खण्ड–504, अंक–1
बुधवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1939
(14 मार्च, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 504 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-124
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-125
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सफीपुर कस्बे के एक डिग्री कालेज के स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125-126
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजबहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के लौहरपुर के पास तरेना नाला पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	127
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र जेवर के ग्राम कपना स्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने तथा दोषी अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	127
जनपद आगरा के सेक्टर-4 ए आवास विकास कालोनी के जर्जर सड़कों एव नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद सहारनपुर के ननौता ब्लाक में गंगा, यमुना, संगम स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	128
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियान के अहरोरा को नया तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में शहीद स्मारक सेनापुर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128-129
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड रामकोला के सप्लाई इंस्पेक्टर की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र सिरसा में ऐतिहासिक मन्दिर के पास सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में रजबहा गढ़मुक्तेश्वर के पास पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
आगरा एक्सप्रेस-वे का इटावा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद हरदोई व नैमिषारण्य के बीच राज घाट पर गोमती नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद मिर्जापुर के ग्राम कोलाही में करणावती नदी पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	130
निषाद (मछुआ) वंशीय जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जनजातियों में सम्मलित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के कतिपय स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में शमशान घाट का रास्ता बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	132
मुजफ्फरनगर में इन्दिरा कालोनी व बसन्त बिहार के तालाबों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	132
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	132
मा0 विधायकों द्वारा खेल का विकास कार्य को कराये जाने हेतु दिये गये प्रस्तावों पर 3-4 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	132
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा मा0 सदस्यों को 100-100 इंडिया मार्का हैण्डपम्प दिये जाने तथा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को 2 वार्ड विकसित किये जाने के कानून शासन द्वारा पत्र प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिती के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	132-133
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली नियमावली (प्रस्तुत की गयी)	133
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष 2017-18 का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	133

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला रायबरेली के ब्लाक डीह के अन्तर्गत सुरैयया मुवक्किल से बरूआ होते हुए बीरगंज बाजार तक मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	133
जिला रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक डीह में सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	133
जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत बिन्दकी बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश गुप्ता लोहिया आदि निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	133-134
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2018-19 की ''लोक लेखा समिति'' प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थायी निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	134-135
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	136-137
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	138-140

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदय-321

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
15. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
16. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
40. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
41. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
42. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
43. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
44. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
45. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर

46. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
47. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
48. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
49. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
50. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
51. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
52. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
53. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
54. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
55. काली प्रसाद, श्री देवरिया
56. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
59. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. केसर सिंह, श्री बरेली
62. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
63. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
64. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
65. गंगा, श्री कुशीनगर
66. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
67. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
68. गौरी शंकर, श्री जालौन
69. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
70. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
71. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
72. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
73. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
74. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
75. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
76. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
77. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
78. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
79. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
80. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
81. जयमंगल, श्री महाराजगंज
82. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
83. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
84. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
85. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
86. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
87. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
88. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
89. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
90. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
91. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
92. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
93. दल बहादुर, श्री रायबरेली
94. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
95. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
96. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
97. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
98. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
99. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
100. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
101. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
102. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
103. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
104. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
105. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
106. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
107. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी

108. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
109. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
110. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
111. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
112. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
113. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
115. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
116. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
117. नाहिद हसन, श्री शामली
118. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
119. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
120. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
121. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
122. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
123. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
124. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
125. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
126. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
127. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
128. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
129. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
130. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
131. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
132. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
133. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
134. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
135. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
136. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
137. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
138. फागू चौहान, श्री मऊ
139. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
140. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
141. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
142. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
143. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
144. बावन सिंह, श्री गोण्डा
145. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
146. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
147. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
148. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
149. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
150. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
151. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
152. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
153. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
154. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
155. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
156. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
157. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
158. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
159. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
160. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
161. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
162. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
163. महबूब अली, श्री अमरोहा
164. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
165. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
166. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
167. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
168. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
169. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई

170. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
171. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
172. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
173. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
174. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
175. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
176. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
177. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
178. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
179. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
180. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
181. योगेश धामा, श्री बागपत
182. योगेश वर्मा, श्री खीरी
183. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
184. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
185. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
186. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
187. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
188. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
189. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
190. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
191. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
192. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
193. रवि शर्मा, श्री झांसी
194. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
195. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
196. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
197. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
198. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
199. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
200. राजबाला, श्रीमती रामपुर
201. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
202. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
203. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
204. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
205. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
206. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
207. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
208. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
209. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
210. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
211. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
212. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
213. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
214. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
215. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
216. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
217. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
218. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
219. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
220. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
221. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
222. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
223. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
224. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
225. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
226. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
227. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
228. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
229. लाखन सिंह, श्री औरैया

230. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
231. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
232. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
233. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
234. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
235. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
236. विजय मिश्र, श्री भदोही
237. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
238. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
239. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
240. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
241. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
242. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
243. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
244. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
245. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
246. वीरेन्द्र, श्री एटा
247. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
248. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
249. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
250. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
251. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
252. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
253. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
254. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
255. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
256. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
257. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
258. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
259. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
260. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
261. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
262. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
263. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
264. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
265. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
266. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
267. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
268. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
269. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
270. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
271. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
272. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
273. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
274. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
275. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
276. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
277. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
278. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
279. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
280. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
281. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
282. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
283. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
284. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
285. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
286. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
287. सुचि, श्रीमती बिजनौर
288. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
289. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
290. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
291. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर

292. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
293. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
294. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
295. सुरेश कुमार, श्री शामली
296. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
297. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
298. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
299. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
300. सुरेश राही, श्री सीतापुर
301. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
302. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
303. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
304. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
305. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
306. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
307. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
308. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
309. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
310. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
311. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
312. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
313. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
314. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
315. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
316. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
317. हरीराम, श्री सोनभद्र
318. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
319. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
320. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
321. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्ना

नोटः- उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण (श्री केशव प्रसाद मौर्य), भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसानों की मांग के अनुरूप आलू के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में

***01-श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री उमाशंकर सिंह तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

उ0प्र0 वि0स0 की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न :-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों द्वारा सरकार के घोषित समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा आलू का उत्पादन होने एवं उसके उत्पादन में बढ़े खर्च को दृष्टिगत रखते हुए किसानों की मांग के अनुरूप समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चौहान-

आलू का समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता है, अपितु आलू का बाजार हस्तक्षेप मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें बढ़ोत्तरी की मांग भारतीय किसान संघ जनपद आगरा, आलू किसान विकास समिति (रजि0), आगरा आदि द्वारा की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा बाजार हस्ताक्षेप योजना के अन्तर्गत बाजार हस्तक्षेप मूल्य में बढ़ोत्तरी के साथ किसानों का 02 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय लेते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2018 द्वारा रू0 549 प्रति कुन्तल की दरें निर्धारित करते हुए 02 लाख मिट्रिक टन आलू क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना को शासनादेश दिनांक 01 मार्च, 2018 द्वारा लागू कर दिया गया है।

गत वर्ष प्रदेश में आलू का उत्पादन 155.63 लाख मिट्रिक टन था। प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर इस वर्ष 160 लाख मिट्रिक टन आलू उत्पादन होने की सम्भावना है। गत वर्ष बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत आलू का मूल्य भारत सरकार द्वारा रू0 487 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया था, जिसे इस वर्ष भारत सरकार द्वारा रू0 62 प्रति कुन्तल बढ़ोत्तरी करते हुए रू0 549 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

शासनदेश दिनांक 01 मार्च, 2018 द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करते हुए नामित संस्थाओं को क्रय केन्द्र खोलकर किसानों का आलू क्रय किये जाने के निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं। उक्त योजना दिनांक 02 मार्च, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक लागू की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि 160 लाख मीट्रिक टन आलू की पैदावार हुई है। मान्यवर, इस बार उत्तर प्रदेश में रिकार्ड तोड़ आलू का उत्पादन होने के नाते जो

सरकार को उसके लिए सही नीति बनायी जानी चाहिए वह नहीं बन पायी है। अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ 100 से 125 क्विंटल आलू पैदा होता है और उसकी लागत 5 से 6 रूपये प्रति किलो के आसपास होती है। आलू का बाजार मूल्य 400 से 600 रूपये प्रति क्विंटल है। सरकार ने यह वायदा किया था कि हम किसानों की आय डेढ़ गुना करेंगे, उस हिसाब से आलू की कीमत 9 रूपये प्रति किलो होनी चाहिए। 160 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ और लक्ष्य रखा 2 लाख मीट्रिक टन का अर्थात 1.4 फीसदी। वस्तु हस्तक्षेप अधिनियम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत आलू की खरीद करने का अधिकार है यानि 20 प्रतिशत न खरीद कर मात्र 1.4 प्रतिशत खरीदा। पिछले साल इन लोगों ने 12937 क्विंटल ही आलू खरीदा था और 1 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था यानि अगर देखा जाय तो मात्र 1.2 प्रतिशत यानि 12 प्रतिशत ही आलू यह खरीद पाये थे अपने लक्ष्य के अनुपात में। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाय तो आलू रिकार्ड तोड़ उत्पादन होने के नाते और सरकार की सही नीति न होने के नाते अलीगढ़ के एक किसान अजय उम्र 29 वर्ष जिन्होंने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सवाल पूछ लीजिये। चार मिनट से आप बोल रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

कन्नौज में एक तिरवा तहसील पुसवारी गांव में मोहित नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली।

श्री दारा सिंह चौहान-

यह सरासर गलत है। कहीं ऐसा नहीं हुआ है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

चाहे वह मथुरा में तेजपाल सिंह हों, रामपुर के निवासी वीर बहादुर सिंह हों।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। प्रश्न करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

उत्पादन का सही दाम न मिल पाने के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली।

श्री अध्यक्ष-

आत्महत्या का इससे क्या सम्बन्ध है। आप प्रश्न करिये ना। यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जनपद में कौन-कौन सी सस्थाओं के द्वारा किसानों को आलू क्रय किये जाने के लिए नामित किया गया है और आलू क्रय करने के लिए क्या नीति रखी गयी है। दूसरा क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो खरीद के लिए जो दो लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है उसका जनपदवार और ब्लाकवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और जनपदवार कितने क्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मैं माननीय सदस्य का यह जो आरोप है यह पूरी तरह से निराधार है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं आलू के किसानों की समस्याओं को ले करके कि पिछली बार भी जब आलू पैदावार हुई

सरकार बनने के तुरन्त बाद डिप्टी सी0एम0 माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उन्होंने सबसे पहले आलू के किसानों की समस्याओं को देखा और सुना। यह पहली सरकार है जिसमें किसानों के आलू का सही मूल्य उनको दिलाये जाने के सम्बन्ध में ऐसे प्रयास किये कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाये। भारत सरकार ने जो 487 रूपया तय किया था उस आधार पर हमने 12 हजार कुछ खरीदा और एक बात और बता दें कि यह एजेन्सी केवल व्यापार करने के लिए नहीं हैं। मूल्य निर्धारित करने का अधिकार हमको भी नहीं है। यह तो जो भारत सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता है। हम तो इन्टरवीन करते हैं मार्केट में उनके भाव को ऊपर लाने के लिए। और यहीं कारण है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे अध्यक्ष रहे, इनके सिग्नेचर से देश के दूसरे प्रदेशों में पत्राचार करके चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यह अनुरोध किया गया कि उत्तर प्रदेश के आलू का विपणन वहां किया जाय कि आलू का रेट वहां ज्यादा था जब यहां पर कम था और विदेश में भी ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी जिसके नाते आलू एक छटांक भी हमारे कोल्ड स्टोरेज में बचा नहीं था। 31 दिसम्बर तक पूरा का पूरा आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर चला गया था। क्योंकि बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने के बाद रेट जब मार्केट में ऊपर आया तो किसान अपना आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर ले जाने लगे और इस बार जो ऐतिहासिक पैदावार होने वाली है मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आलू खेतों से खुदाई करके बाहर निकलने से पहले ही फिर माननीय डिप्टी सी0एम0 श्री केशव प्रसाद मौर्या जी की अध्यक्षता में जो समिति बनायी गयी और यही नहीं पहली बार हमने मंडी शुल्क को भी माफ किया। प्वाइंट फाइव परसेन्ट सेस को माफ किया मैं वह भी उत्तर बता रहा हूं। जो आपने पूछा है उसको मैं बता रहा हूं। एक तो आपने कहा कि उत्पादन 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह पूर्वांचल में 150 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है। पूरे प्रदेश का 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एक एवरेज है। अगर यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी जाय वो 300 से लेकर 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है और आपने जो कहा कि कितनें सेन्टर में हमने किया है। हमने लगभग 70 सेन्टर पर लगभग 70 सेन्टर पर, हमारी जो एजेन्सी है पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 औद्योगिक सहकारी विपणन संघ (ही पैड) आदि यह सारे मिलाकर लगभग प्रदेश के 70 सेन्टर पर, हमने खरीद के लिए व्यवस्था की है कि दो लाख टन हम आलू खरीदेंगे। मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार की नीति के नाते, आलू किसानों के लिए अच्छी नीति के नाते, आज प्रदेश में जो हमारी संभावित पैदावार है वह भी बढ़ेगी और आज हमारी सरकार की अच्छी नीति होने के नाते पूरे सदन के सदस्य बैठे हैं बता दें कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि आलू के बाजार भाव कम हों। इस समय साढ़े आठ सौ, नौ सौ तक का रेट खुले मार्केट में चल रहा है। (मेजें थपथपाई गयी)

इसलिए इसमें कोई आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(मोहम्मद असलम 'राइनी' एडवोकेट का नाम पुकारा गया)

श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आलू 25 परसेन्ट अगर न रह गया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

असलम जी को बुला लिया है आप बैठें।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, आलू सब्जियों का राजा कहलाता है और अगर किसी के घर में आलू न हो तो बगैर आलू के सब्जी बन नहीं सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल, माननीय मंत्री जी कृपया पूरे सदन को बतायें कि आलू कितने प्रकार के होते हैं ? (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे पिछड़े स्थान से आता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' एडवोकेट-

दूसरा सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आलू, जैसा मैंने सुना है जिस तरह से अमरुद के फल आते हैं उसी तरह से आलू के फल आते हैं कृपया माननीय मंत्री बतायें कि आलू पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो अच्छे रेटों में बिक रहा है वह जमीन के नीचे पैदा होता है कि जमीन के ऊपर पैदा होता है। (हंसी)

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मैं सिर्फ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जानकारी अगर राहुल गांधी से कर लेते तो बेहतर होता। (हंसी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आया है यह किसी को अधिकार नहीं है इस तरह की टिप्पणी करने का। सवाल इस बात का है कि राहुल जी ने क्या बोला था यह शायद भाजपा के लोग भूल गये हैं। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में प्रधान मंत्री जी यह भी कह सकते हैं कि 2022 में, मैं आपको चांद पर ले जाऊंगा। आने वाले समय में प्रधान मंत्री यह भी कह सकते हैं कि..

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। आप बैठे। (शोर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आने वाले समय में प्रधान मंत्री जी यह भी कह सकते हैं कि मशीन में इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकाल दूंगा, यह प्रधान मंत्री जी का वर्जन था, इस तरह से किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी करना इतने वरिष्ठ मंत्री को शोभा नहीं देता है। विषय आलू का है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

विषय आलू का है आलू की नीति निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं आलू की समस्या पर हंस रहे हैं। आलू किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी बैठें।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2016 तथा 2017 में आलू की कितनी खरीद आपने की और 2017-2018 में आपने खरीद का कितना लक्ष्य रखा है ? कृपया पूरे सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। कृपया अब आप बैठें।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्या का कहना है कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है या जमीन के ऊपर पैदा होता है। मैं समझता हूं कि सारे सदस्य इस बारे में जानते हैं कि आलू जमीन के नीचे ही पैदा होता है। अगर आपको जानकारी न हो तो मैं बता दूं कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है। आपने पूछा कि आलू की प्रजातियां कितनी हैं ? आलू की 12 प्रजातियां हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी पढ़ दूंगा। पहला कुफरी बहार, कुफरी चिप्सोना, कुफरी आनन्द, कुफरी पुखराज, कुफरी सिन्दूरी, कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या, कुफरी हिमसोना, कुफरी सदाबहार आदि।

(मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बनने के बाद, आलू के किसानों की चिन्ता करने के बाद, आज नतीजा यह है कि भारत सरकार की वाजारें हस्तक्षेप योजना लागू करने के बावजूद कहीं पर आलू खरीदने की नौबत नहीं आयी। जबकि हमने 70 केन्द्रों को निर्धारित कर दिया है, चार महत्वपूर्ण एजेंसियां, जो पूरे प्रदेश में 70 स्थानों पर खरीद करेंगी, क्योंकि हमको बाजार में हस्तक्षेप करके किसानों को उचित मूल्य मिले, यह हमारा प्रयास होता है। आज पूरे प्रदेश में 700, 800, 850 और 900 रूपये तक रेट में आलू बिक रहा है। जहां तक माननीय सदस्य का आरोप है कि आलू कोल्ड स्टोरेज में था.....

[सदस्य श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।]

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठ जायें।

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं कि शीत गृहों में आलू के कई स्टेजेज होते हैं, स्टोरों में जो लकड़ी के रैक बनते हैं, उसमें आलू को निकालने, लादने, बोरे में ले जाने, ले आने के समय बाद जो नीचे गिरा हुआ बच जाता है, अगर उसको कहीं देखा होता तो मैं नहीं कह सकता हूं बाकी 31 दिसम्बर तक एक भी आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं बचा हुआ है।

(सदस्य श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठ जायें।

श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आलू का प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा उत्पादक क्षेत्र सिरसागंज से सादाबाद तक है, अगर माननीय मंत्री जी जानते हों। भानू गुट के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने एटा में आत्महत्या इसलिए कर ली, क्योंकि उसके आलू को कोई कीमत नहीं मिल पायी। आप यहां भाजपा की बातें कहेंगे कि एक आलू नहीं फेंका गया। 25 प्रतिशत आलू कोल्ड स्टोरेज में किसान छोड़ गया।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल कर लें।

श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आलू का आपने जो ये व्योरा दिया है, हमारा भी प्रयत्न है, आपका भाव क्या था और किसान के उत्पादन मूल्य से अधिक था या उससे कम था। आपका समर्थन मूल्य क्या था, जिस पर आपने खरीदा ?

श्री दारा सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य को बता देना चाहता हूं कि आलू का समर्थन मूल्य नहीं होता। मैं पहले भी अपने उत्तर में बता चुका हूं, यह भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत जो भी रेट तय होता है, वह बाजार हस्तक्षेप मूल्य कहलाता है क्योंकि भारत सरकार में जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे अधिकारी हैं, वह यह देखते हैं कि कितनी खाद लगी है, कितनी बिजली लगी है और कितना पानी लगा है, उसके बाद लागत मूल्य के आधार पर बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय होता हैं हमने 646 का रेट प्रदेश सरकार से भारत सरकार को भेजा था, 549 रूपये उन्होंने प्रति क्विंटल के रेट से तय किया और आज पूरे प्रदेश में 700 से लेकर 800, 850 तक का रेट है और मैं जानता हूं, जिस एटा का नाम आप ले रहे थे, पश्चिम के 11 जनपद ऐसे हैं, जो सर्वाधिक आलू उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। जहां 65 प्रतिशत अकेले पूरे प्रदेश के उत्पादन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद पैदा करता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मौका मुझे भी दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको मौका नहीं दिया जायेगा, आप ज्यादा बोल चुके है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और माननीय मंत्री जी इस पर काफी गम्भीर भी हैं और विद्वान भी हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल हैं। पहला यह कि पिछले साल 1 लाख 55 हजार 63 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ था। इस साल मंत्री जी का टार्गेट है अनुमान है कि एक लाख 60 हजार मीट्रिक टन आलू पैदा होगा । एक लाख 60 हजार मीट्रिक टन में हम मात्र 2 लाख टन आलू खरीदेंगे। किसान के लिए जो सबसे उपयोगी पैदावार है जैसे गन्ना है आलू है गेहूँ है और धान है माननीय अध्यक्ष

जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या यह टार्गेट जो दो लाख टन इन्होंने रखा है क्या इसको और बढ़ाने की कृपा करेंगे। दूसरा सवाल जब माननीय मंत्री जी का यह मानना है कि मार्केट में इसकी कीमत सात सौ से आठ सौ रूपया है तो इन्होंने जो सरकारी रेट तय किया है इन्होंने मात्र 549 रुपया रखा है। जिसमें भारत सरकार से इन्होंने पिछले साल की अपेक्षा 62 रुपए की और बढ़ोत्तरी की अनुमति ली है। तो क्या इस रेट को और बढ़ाकर हम मार्केट का जो मूल्य है उसके बराबर हम अपने रेट को लेकर जाएंगे जो सरकारी खरीद होगी। तीसरा सवाल है इतनी बड़ी आबादी में मंत्री जी का कहना है कि मात्र 70 केन्द्र हमने खोले हैं तो जब हमारी पैदावार इतनी बढ़ रही है जिसमें हमको बिचौलियों को रोकना है क्या मंत्री जी और क्रय केन्द्रों को बढ़ाने की कृपा करेंगे।

श्री दारासिंह चौहान-

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ जिस तरीके से योगी सरकार आलू किसानों को लेकर गम्भीर है अगर हमें इससे ज्यादा भी किसानों का आलू खरीदने के लिए सेन्टर खोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से किसानों का आलू खरीदने के लिए जितने भी सेन्टर की जरूरत पड़ेगी उतना हम खोलने का काम करेंगे। चूँकि भारत सरकार जो रेट तय करती है वह लाभ के लिए नहीं जो उत्पादन लागत होता है किसानों का उसको एसेस करके एक रेट तय करती है। जो दो लाख मीट्रिक टन का टार्गेट हमने तय किया है उसका उद्देश्य केवल बाजार में हस्तक्षेप करके आलू के भाव को बढ़ाना है यही कारण है कि आज हमें आलू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमने जो 70 सेन्टर खोले हैं अगर और भी किसान अगर कहीं ले जाना चाहता है अपना आलू बेचने के लिए चूँकि मार्केट में चूँकि पिछली बार जो प्रयास हुआ था और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछली बार जिस तरीके से सरकार ने विपणन करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जहाँ 26 रुपए से लेकर 22 रूपए व 18 रुपए तक रेट था वहाँ ले जाने के लिए किसान ने काम किया उसके लिए हमने 65 करोड़ तक उनको अनुदान देने का काम किया इतना ही नहीं मुझे खुशी है अभी इन्वेस्टर समिट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 30 हजार करोड़ रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए विभिन्न उद्यमियों द्वारा एम0ओ0यू0किया है मुझे खुशी है कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने आलू के प्रोसेसिंग के लिए जो सब्सिडी देने का काम किया है ब्याज में छूट देने का काम किया है ऐसे 20 उद्योगों की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 किये हैं जो आलू पर आधारित हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाने का काम किया है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के आलू के किसान पूरी तरीके से लाभान्वित होंगे और किसी प्रकार से आलू के किसानों का नुकसान नहीं होगा। यह हमारी सरकार की पूरी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें 20 मिनट हो गए हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मेरा मूल सवाल है । मुझे एक सवाल पूछ लेने दीजिए।

नियम-311 पर सर्वप्रथम चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

इसमें 20 मिनट से ज्यादा हो गया। मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोबिन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं नियम 311 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर काल के बीच में यह कहाँ आ जाएगा।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

विशेष परिस्थिति में उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

कोई विशेष परिस्थिति नहीं है।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

इस सदन का गठन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्नोत्तर काल में नहीं हो सकता।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

कैसे सुन लें।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

अभी अभी गोरखपुर में निर्वाचन हुआ है और गणना में वहाँ के पत्रकारों व कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके वहाँ से खदेड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ नेता हैं यह ठीक नहीं है। कृपया बैठें।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

मैं आपसे मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठें। मैं अनुमति नहीं देता।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, नियम 311 आपकी अनुमति से ही हो सकता है।

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(वेल में उपस्थित विपक्ष के अनेक सदस्य 'यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' के नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

किसी चुनाव की किसी घटना को लेकर प्रश्नोत्तर काल बाधित करके आप लोग उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। क्या आप चाहते हैं कि सदन बंद हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि सदन न चले? आप लोग सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। मा0 नेता विरोधी दल, आप मा0 सदस्यों से कहिये कि वह अपने-अपने स्थानों पर वापस जायें। प्रश्नोत्तर काल में इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, गोरखपुर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहाँ पर मतगणना के दौरान पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके बाहर खदेड़ दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्नकाल हो जाने देते उसके बाद आप लोग अपनी बात कहते। अगर आप लोग नहीं चाहते कि सदन चले तो ठीक है। आपका यह तरीका असंगत है, कतई उचित नहीं है। आप लोग मा0 सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन कर रहे हैं जो कि सदन की मर्यादा के खिलाफ है। यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है।

(वेल में उपस्थित सदस्य 'लाठी-डंडे की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' 'पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों का इसमें मनोरंजन हो रहा है कि नहीं? आप लोग चाहते हैं इसलिये मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

प्रदेश के बड़े औद्यौगिक शहरों में प्रदूषण रोकने हेतु संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में

***2-सुश्री अदिति सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री प्रतीक भूषण सिंह, श्री विजय मिश्र, श्री हर्षवर्धन बाजपेयी तथा श्री सुखदेव राजभर-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े औद्योगिक शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार कार्बन उत्सर्जन तथा जहरीली गैसों में बढ़ोत्तरी होने तथा उसके व्यापक दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त को रोकने के लिये आधुनिक तरीकों का अनुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान भी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औद्योगिक नगरों गाजियाबाद, गौतमबद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव एक्शन प्लान फॉर रेड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इन एन0सी0आर0 (यू0पी0) तैयार किया गया है तथा उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर उक्त कार्य योजना के अनुपालन का अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस प्लान में कुल 17 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु वायु प्रदूषण के स्तरों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं।

इसी प्रकार कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं वाराणसी नगरों हेतु वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी है तथा कार्ययोजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया है। सम्बन्धित विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही कराये जाने एवं उसको पोर्टल पर अपलोड किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

कार्बन उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन के वाहनों एवं उद्योगों में प्रयोग, कृषि अपशिष्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने से उत्पन्न होता है। कार्बन उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 28-10-2015 को वायु अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट के जलाने को प्रतिबन्धित किया गया है। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करायी गयी है। ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित एवं संचालित नहीं पाया जाता है, के विरुद्ध वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वाहनों में उपलब्धता के आधार पर सी0एन0जी0 का प्रयोग प्रोत्साहित किया गया है तथा 10/15 साल से अधिक आयु सीमा के डीजल/पेट्रोल चालित वाहनों को एन0सी0आर0 क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने हेतु

कम्बाइन्ड हार्वेस्टिंग मशीन, स्ट्रा रिपर विद बाइण्डर अथवा स्ट्रा रिपर का उपयोग अनिवार्य किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10-02-2017 जारी किया गया है। कृषि अपशिष्ट से तैयार बायो ब्रिकेट के प्रयोग को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने हेतु उद्योगों/भट्ठों के संचालन हेतु निर्गत की जाने वाली सहमति में कम से कम 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 05-01-2018 को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा सी0एन0जी0 तथा बैटरी चालित वाहनों एवं सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा वर्तमान में बी0एस0-4 मानक प्राप्त करने वाले वाहनों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण विभाग द्वारा बड़ी परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय सौर ऊर्जा के प्रयोग किये जाने की विशेष शर्त अधिरोपित की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा पराली को जलाये जाने से रोकने हेतु कृषकों को यंत्र वितरण हेतु भारत सरकार से योजना स्वीकृत करायी गयी है तथा इस हेतु आवश्यक विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

***03-श्री संजय गर्ग-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में 2009 के परिसीमन के बाद नगर निगम सीमा में सम्मिलित किये गये गावों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक

***01-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009 के परिसीमन के बाद लखनऊ नगर के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम सीमा में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम की सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी हां।

लखनऊ नगर के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम सीमा में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों में धन उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाती रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने की जानकारी

***02-श्री संजय गर्ग-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों को गड्ढामुक्त करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य हेतु सरकार ने कितने धन का प्राविधान किया है तथा दिनांक 28-01-2018 तक कितनी सड़कें गड्ढामुक्त हो चुकी हैं

एवं कितनी शेष हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्राम-सभा को जोड़ने वाली सड़कों को भी गड्ढामुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाना सरकार की नीति है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के समस्त श्रेणी के मार्गों के पैच मरम्मत कार्य हेतु रू0 418 करोड़ की धनराशि आंकलित है। राज्य मार्गों तथा मुख्य जिला मार्गों के लक्षित गड्ढायुक्त 4548 कि0मी0 के सापेक्ष लगभग 4530 कि0मी0 गड्ढामुक्त किये जा चुके हैं। शेष 18 कि0मी0 गड्ढामुक्त किये जा रहे हैं।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बेघर लोगों को आश्रय देने हेतु कार्य योजना की जानकारी

***03-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में बेघरों की संख्या और मौजूदा आश्रय स्थलों की क्षमता में बहुत अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्रों के बेघर लोगों को आश्रय देने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

नगरों में बेघरों को आश्रय देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था हेतु राजकीय नलकूप लगवाने की मांग

***04-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) तथा श्री पंकज गुप्ता-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में जहां सिंचाई हेतु नहर आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

प्रदेश के किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) प्रचलित है। अवगतनीय है कि प्रदेश के अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रतिबन्धित होने के कारण इन विकास खण्डों को छोड़ते हुए प्रदेश के अन्य विकास खण्डों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों/बजट आवंटन के अनुसार नवीन नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रू0 14.09 करोड़ की लागत से 79 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विशेष घटक श्रेणी में स्वीकृत धनराशि रू0 53.00 करोड़ की लागत से 210 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में

***05-श्री मनीष असीजा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 में आवश्यक संशोधन हेतु विगत लगभग 2 वर्षों से नगर विकास विभाग में लम्बित पड़े होने के कारण प्रदेश भर में निकायों में करारोपण की प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमावली के संशोधन कराकर प्रदेश में सामान्य नागरिकों का उत्पीड़न एवं आर्थिक दोहन होने से बचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी को प्रेषित प्रस्तावित नियमावली संशोधन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-5 नं0 452991, दिनांक 07-05-2017 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली- 2013 अधिसूचना सं0-1463/9-9-2013-85ज/05टी0सी0, दिनांक-27-12-2013 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली कुल 16 नगर निगमों के सापेक्ष 14 नगर निगमों में लागू है। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन तथा नगर निगम अयोध्या नवसृजित नगर निगम हैं। नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में उक्त नियमावली के अनुसार कार्रवाई दिनांक 12-05-2017 से प्रचलित है। नगर निगम अयोध्या में उक्त नियमावली को दिनांक 01-04-2018 से लागू कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कतिपय नगर निगम सदनों द्वारा उक्त नियमावली में निर्धारित करारोपण के गुणांकों में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव किया गया है, जिसके क्रम में करारोपण के गुणांक में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

नगर निगमों में करारोपण के गुणांक में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधायकों को गाड़ी खरीदने हेतु ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान की मांग

***06-श्री अमिताभ बाजपेयी-**

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों को गाड़ी खरीदने हेतु ब्याजमुक्त ऋण का प्रावधान सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) नियमावली, 1981 में मा0 सदस्यों को वाहन क्रय हेतु ब्याज मुक्त ऋण का कोई प्रावधान नहीं है।

***07-श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-**

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर दूसरे बुधवार हेतु स्थगित]

उ0प्र0 में वर्ष 2017 में जनपदवार कुल आलू की पैदावार, खरीद एवं भण्डारण की जानकारी

***08-श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री सोबरन सिंह यादव-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले वर्ष 2017 में कुल कितने मीट्रिक टन आलू की पैदावार हुई तथा इसमें से कितना आलू सरकार ने खरीदा तथा कितने मीट्रिक टन आलू शीतभण्डार गृहों में रखा गया तथा भण्डारित किये गये आलू में से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने मीट्रिक टन आलू किसानों के द्वारा उठान किया गया और कितने मीट्रिक टन आलू कितने किसानों का शीतभण्डार गृहों में से उठान नहीं हुआ इसका जनपदवार विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा ऐसे आलू किसान जिन्होंने बाजार भाव कम होने के कारण शीतभण्डार गृहों से आलू का उठान नहीं कर पाये, उनको मुआवजा देने के लिए कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

उ0प्र0 में वर्ष 2017 में कुल 155.63 लाख मिट्रिक टन आलू की पैदावार हुई, इसमें से भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या-एल 15016/17/2017 एमपीएस, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 की स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि दिनांक 08 अप्रैल, 2017 से 07 मई, 2017 तक किसानों का कुल 12937.78 कुन्तल आलू क्रय किया गया। प्रदेश में कुल उत्पादित आलू में से 120.29 लाख मीट्रिक टन आलू शीतगृहों में भण्डारित हुआ। 31 दिसम्बर, 2017 तक 120.29 लाख मिट्रिक टन आलू की निकासी कर ली गयी। इस प्रकार जनपदों से शीतगृहों में अवशेष आलू की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

***09-श्री अजीत पाल त्यागी, डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज तथा श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवारा पशु जैसे की नील गाय (घोड़ा) आदि फसलों को नुकसान से रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

नीलगायों एवं जंगली सुअरों से फसलों को होने वाले नुकसान से रोकने हेतु शासनादेश संख्या 446/14-4-2013, दिनांक 04-03-2013 द्वारा कार्ययोजना बनायी गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 04-03-2013 के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित की गयी है, जो नीलगायों एवं जंगली सुअर से फसलों को होने वाले नुकसान की समीक्षा करती है। यह समिति ब्लाक स्तरीय कृषि अधिकारी के माध्यम से समस्या ग्रस्त क्षेत्र में किसानों से वनरोज एवं जंगली सुअरों को मारने हेतु आवेदन एकत्र कराकर उसे खण्ड विकास अधिकारी या वन क्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करती है। वनरोजों को मारने की अनुज्ञा खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु विधायक की संस्तुति पर 25 किमी0 की सड़क बनवाने की मांग

***10-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास के क्षेत्रीय संतुलन के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विधायकों की संस्तुति पर 25 कि0मी0 सड़क बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु प्रस्ताव मांगे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एवं निर्धारित योजना के अनुरूप ही नवीन कार्यो की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु मार्गों की लम्बाई के आधार पर कार्यों की स्वीकृति विषयक लोक निर्माण विभाग में ऐसी कोई योजना प्रचलित नहीं है।

***11-डॉ0 आर0के0 वर्मा-**

[07वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आलू खरीद के लक्ष्य की जानकारी

***12-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष आलू खरीद का लक्ष्य क्या है तथा दिनांक 30-01-2018 तक सरकार ने लक्ष्य के सापेक्ष कितना आलू खरीदा है ? यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दारा सिंह चौहान-

वर्ष 2018 में प्रदेश में 02 लाख मिट्रिक टन आलू खरीद का लक्ष्य है। विगत वर्ष (2017 में) 01 लाख मिट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 1293.78 मिट्रिक टन आलू खरीदा गया।

जनपदों में बाजार हस्तक्षेप योजना लागू होने के कारण आलू के बाजार भाव में बाजार हस्तक्षेप मूल्य रु0 487 प्रति कुन्तल से अधिक वृद्धि होने क कारण 1293.78 मिट्रिक टन आलू खरीद हो सकी।

भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पत्र संख्या-एल 15016/17/2017-एमपीएस, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में दिनांक 08 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रदेश में आलू पर बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गयी। दिनांक 08 अप्रैल, 2017 से मई, 2017 तक 42 जनपदों की मण्डियों में आलू के थोक बाजार भाव, बाजार हस्तक्षेप मूल्य रु0 487 से कम होन के कारण योजना उन्हीं 42 जनपदों में लागू की गयी। इस योजना के लागू होने से बाजार भाव रु0 487 से अधिक हो गये। योजना अवधि दिनांक 07 मई, 2017 को समाप्त होने से पूर्व ही क्रय केन्द्रों पर किसानों के आलू की आवक बन्द हो गयी। निर्धारित अवधि तक आलू क्रय केन्द्र खुले रहे।

प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में बने कांजी हाऊस में स्टाफ एवं रख-रखाव की जानकारी

***13-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं में छुट्टा पशुओं को रखने हेतु बने कांजी हाऊस में स्टाफ एवं रख-रखाव हेतु फण्ड न होने की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार इस हेतु समुचित फण्ड उपलब्ध कराने तथा आवश्यक कर्मियों की भर्ती की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश की नगर निकायों में स्थापित कान्हा गौशाला का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी उपक्रमों/विभागों, प्रतिष्ठित फर्मों, नागर निकायों आदि से आवश्यक सहयोग लेकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा संचालित किये जाने की व्यवस्था है तथा गौशालाओं में रखे गये पशुओं की देखभाल हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था सम्बन्धित नागर निकाय/जिलाधिकारी द्वारा किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमिहीन विस्थापितों को भवन निर्माण हेतु रु0 2,50,000 की धनराशि की मांग

***14-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपनी भूमि पर आवास बनाने हेतु रु0 2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार) की धनराशि दी जाती है, किन्तु बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र में भूमिहीन विस्थापितों को भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण हेतु मात्र रु0 95000.00 की ही धनराशि दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमिहीन विस्थापितों को भी भूमि की लागत एवं भवन निर्माण हेतु रुपया 2,50,000 की धनराशि दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां,

प्रधानमंत्री आवास योजना (श्हारी) में स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण हेतु वित्तीय अंशदान के निमित्त हेतु रु0 2,50,000.00 (रुपये दो लाख पचास हजार) की धनराशि पात्र लाभार्थी को दिया जाना प्रावधानित है। भूमिहीन विस्थापितों को भूमि क्रय करने हेतु अतिरिक्त धनराशि दिये जाने की कोई पृथक व्यवस्था योजना क्रियान्वयन की निर्गत मार्गदर्शिका में उल्लिखित नहीं है।

बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र में भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की मानक एवं दरें निम्नवत् है-

(क)	पूर्णतया क्षतिग्रस्त नष्ट मकान	
(1)	पक्का मकान	रु0 95,100.00 प्रति मकान (मैदानी क्षेत्रों में)
(2)	कच्चा मकान	रु0 1,01,900.00 प्रति मकान (पहाड़ी क्षेत्रों में)
(ख)	अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
(ग)	आंशिक क्षतिग्रस्त मकान	
(1)	पक्का मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहां पर नुकसान कम से कम 15 प्रतिशत हुआ हो।	रु0 5,200.00 प्रति मकान
(2)	कच्चा मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहां पर नुकसान कम से कम 15 प्रतिशत हुआ हो।	रु0 3,200.00 प्रति मकान
(घ)	क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	रु0 4,100.00 प्रति झोपड़ी

उक्त मानक एवं दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। उक्त दरों में परिवर्तन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर में तहसील तुलसीपुर ब्लाक गैशवी के अन्तर्गत विभिन्न जलाशयों को पुनः जीवित करने की योजना

***15-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नेपाल से आने वाले पानी को रोककर सिंचाई करने हेतु सरकार की कितनी योजनायें हैं तथा कितनी योजनायें अव्यवस्था के कारण निष्प्रयोज्य पड़ी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि श्री नहर ताल जनपद महाराजगंज रोहिन नहर प्रणाली एवं डण्डा नहर प्रणाली जनपद बलरामपुर तहसील तुलसीपुर ब्लाक गैशवी के अन्तर्गत मझगांवा जलसकाय चितौणगढ़ जलाशय भगवानपुर जलाशय कोहरगड्डी जलाशय से सिंचाई पूर्णतः अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या उक्त को पुनः जीवित करके सिंचाई योग्य बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में नेपाल से आने वाले पानी को रोककर सिंचाई करने हेतु चार योजनायें हैं-

1-रोहिन नहर प्रणाली

2-डाण्डा नहर प्रणाली

3-श्रीनगर ताल नहर प्रणाली

4-गण्डक नहर प्रणाली

श्रीनगर नहर प्रणाली वर्तमान में निष्प्रयोज्य है।

श्रीनगर ताल नहर प्रणाली से वर्तमान में सिंचाई पूर्णतः अवरुद्ध है। रोहिन नगर प्रणाली से प्रत्येक वर्ष रबी फसल में अस्थायी क्रास बन्धा बनाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तथा डाण्डा नहर प्रणाली से सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिये स्थान चिन्हित करने विषयक

***16-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अक्सर विभिन्न संगठनों द्वारा किये जाने वाले धरना प्रदर्शनों की वजह से ट्रैफिक जाम, रूट डायवर्जन आदि से लखनऊ की आम जनता के साथ ही राजधानी होने के नाते सम्पूर्ण प्रदेश से आयी जनता को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई धरना स्थल चिन्हित किया गया है ? यदि हां, तो क्या आये दिन होने वाले धरना प्रदर्शन उसी निर्धारित स्थल पर होते हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार कोई ऐसी प्रभावी नीति बनायेगी कि धरना निर्धारित धरना स्थल पर ही हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गृह पुलिस अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 3475ख/छ-पु-4-2014, दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 द्वारा विधान भवन के सामने धरना स्थल के स्थान पर लक्ष्मण मेला स्थल को धरना स्थल के रूप में स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुपालन में लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना दिया जाता है कभी-कभी प्रदर्शनकारी सड़क पर निकल आते हैं, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है।

जी हां।

निर्धारित धरना स्थल के अतिरिक्त शहर के अन्य स्थल पर यदि धरना दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध समय-समय पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की कार्ययोजना

***17-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह तथा श्री मसूद अखतर-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की कोई ठोस नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

जी हां। अवैध शराब के निष्कर्षण, तस्करी एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु प्रदेश सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है।

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिये किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

(1) अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथासंशोधित 2018) के दण्डक प्राविधानों को अपेक्षाकृत और कड़ा करते हुये जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा 60(क) जोड़ते हुये अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिये दोषी व्यक्तियों के लिये आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड तक का प्राविधान किया गया है।

(2) शासनादेश संख्या 499 ई-1/तेरह-2017-499(2)/2015, दिनांक 01 मई, 2017 के क्रम में अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 339 अपराध निरोधक क्षेत्रों/सेक्टरों के गठन की किया गया है।

(3) आबकारी अपराधों के शमन के लिये आबकारी विभाग में जनपद स्तर पर अपराध निरोधक क्षेत्रों सहित मण्डल स्तर पर प्रवर्तन दल व एस0एस0एफ0 की इकाई स्थापित है, जिनमें तैनात आबकारी स्टाफ सहित पुलिस विभाग के स्टाफ द्वारा निरन्तर आबकारी अपराधों के उन्मूलन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(4) इस हेतु आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं और वर्ष के प्रारम्भ में तैयार की गयी कार्ययोजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में एक साथ कई बार विशेषकर नववर्ष, होली, दीपावली आदि अवसरों पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश भी दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त यथावश्यकता आकस्मिक रूप से भी विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हाउसिंग फॉर आल के तहत प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग लक्ष्य की जानकारी

***18-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हाउसिंग फार आल योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कितना अनुदान केन्द्र सरकार से मिलता है और प्रदेश सरकार अपनी कितनी पूंजी इस योजना में लगाएगी ? क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हाउसिंग के लक्ष्य क्या हैं और इसको हासिल करने की क्या प्रणाली है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

हाउसिंग फॉर आल योजना (प्रशानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास, शहरी) के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रति इकाई आवास निर्माण के लिये 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश के रूप में अधिकतम रु0 1.50 लाख तथा राज्यांश के रूप में रु0 1.00 लाख अनुदान दिया जाता है। प्रधान मंत्री आवास योजना चार घटकों में विभाजित है-

(1) ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (सी0एल0एस0एस0)-नये आवास और आवासों के विस्तार के लिये ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0/एम0आई0जी0-1/एम0आई0जी0-2

हेतु सब्सिडी 6/9/12 लाख तक की ऋण राशि हेतु क्रमशः 6.5%/4.0%/3.0% की दर से सब्सिडी।

(2) स्व-स्थाने पुनर्वास इन-सीटू (आईएसएसआर) : संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग। केन्द्रांश रु0 1.00 लाख एवं राज्यांश रु0 0.67 लाख प्रति आवास।

(3) भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) : पैरास्टेटल एजेसिंयों सहित निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ। केन्द्रांश-रु0 1.50 लाख एवं राज्यांश रु0 1.00 लाख प्रति आवास।

(4) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (बीएलसी) : ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु नये आवासों का निर्माण एवं आवासों का विस्तार। केन्द्रांश रु0 1.50 लाख एवं राज्यांश रु0 1.00 लाख प्रति आवास। अब तक केन्द्रांश के रूप में रु0 241.24 लाख एवं राज्यांश के रूप में रु0 160.83 लाख कुल रु0 402.07 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवास के लिये रु0 1.20 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य है। नक्सल प्रभावित जनपद (मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली) में प्रति आवास रु0 1.30 लाख की अनुमन्यता हैं अनुमन्य धनराशि में से 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के समेकित लक्ष्यों के सापेक्ष 8.85 लाख आवास स्वीकृत किये गये हैं। इसके सापेक्ष रु0 6372 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा तथा रु0 4248 करोड़ राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाना निर्धारित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) मांग पर आधारित योजना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों में 5 लाख आवास स्वीकृत कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त के सापेक्ष कुल 3,24,358 आवास अद्यतन भारत सरकार से स्वीकृत कराये जा चुके हैं। इस योजना हेतु पात्रता की शर्तें निम्नवत है-

(1) ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थी, जिनकी वार्षिक आय रु0 3.00 लाख है, पात्र होंगे।

(2) (i) लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य कें नाम से भारत वर्ष में पक्का घर नहीं होना चाहिये। परिवार की परिभाषा पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियां शामिल होंगे।

(ii) भारत सरकार द्वारा परिवार की परिभाषा में किये गये संशोधन के अनुसार ऐसे वयस्क पुरूष/स्त्री (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना) जो उपार्जक/रोजी कमाता हो, को भी पृथक परिवार के रूप में माना जायेगा। उक्त वयस्क पुरूष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

(iii) विवाहित दम्पति के प्रकरण में, पति-पत्नी दोनों में से किसी एक के नाम या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि इस योजना की गाइड लाइन्स में निर्धारित आय के मानकों को पूर्ण करता हो।

(3) लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किय जाने के लिये पात्र होगा।

(4) नये आवास निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिये।

(5) जिन लाभार्थियों के पास पक्का अथवा अर्द्धपक्का आवास है, जिसका कारपेट एरिया 21 वर्गमी0 तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बीनेशन आदि में से कोई एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है-

(अ) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मी0 जोड़ा जायेगा, जिसमें एनबीसी मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर बाथरुम और/या शौचालय बनाया जायेगा।

(6) पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज होने आवश्यक है।

योजना से लाभान्वित होने हेतु लाभार्थी आनलाइन (पीएमएवाईएम आईएस0जीओवी0इन) अथवा आफलाइन (संबंधित जनपद के डूडा कार्यालय) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 8.85 लाख आवासों का निर्माण के लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये तीव्र गति से कार्यवाही चल रही है। अब तक 3,00,323 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने की मांग

***19-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त पालीथीन/प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी प्रदेश में पालीथीन/प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पालीथीन/प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने के लिए कोई नये कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदेश में पालिथीन कैरी बैग्स के विक्रय, भण्डारण, प्रयोग, विनिर्माण, आयात, ढुलाई को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 22-12-2015 निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 21-01-2016 से प्रभावी हैं उक्त प्रतिबन्ध में प्लास्टिक सामग्री से निर्मित व थैलियां शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती हैं या इसका अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुयें सीलबन्द की जाती हैं।

उक्त अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा पालीथिन/प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर रोक लगाने के लिये नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है। उक्त प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में नियमित रूप से स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं एवं वर्ष 2017 में 10,884 कि0ग्राम पालिथीन जब्त की गयी तथा रु0 4,27,650.00 मात्र का जुर्माना वसूला गया है। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकायों द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध 1953 चालान भी जारी किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में अपनी निजी भूमि पर उपासना स्थल के निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया

1-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपनी निजी भूमि पर कोई व्यक्ति यदि उपासना स्थल यथा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का निर्माण करना चाहे तो उसे अनुमति प्राप्त करने हेतु किन अधिकारियों से अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन करना होगा तथा उन अधिकारियों को किसी अधिनियम/कानून/ नियमावली से शक्ति प्राप्त है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र तथा विनियमित क्षेत्र में स्थित निजी भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण एवं विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी यथा-उपाध्यक्ष एवं नियत प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।

जी हां।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा- 14(1), उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1986 की धारा-13(1) तथा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम-1985 की धारा- 7(1) के अनुसार निर्माण/विकास की अनुज्ञा देने की शक्ति प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज बाजार से भदेवरा मार्ग पर डामरीकरण कराये जाने की जानकारी

2-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज बाजार से भदेवरा मार्ग पर संजय पी0सी0ओ0 से ग्राम असवारा से होते हुए भदेवरा यादव बस्ती तक क्षतिग्रस्त मार्ग का सरकार डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत माह जनवरी, 2018 में करा दी गयी है तथा मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में शारदा नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

3-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा से होकर जाने वाली शारदा नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मराज सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा से होकर जाने वाली शाहगंज राजवाहा के किमी0 27.100 पर पूर्व से वी0आर0बी0 विद्यमान है, जिसका पैरापेट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी मरम्मत करा दी गयी है तथा आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत जहांगीरगंज बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में

4-श्रीमती अनीता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जहांगीरगंज बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-ग-6/089116, दिनांक 28-07-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में कतिपय कमियां पाये जाने के कारण शासन के पत्र संख्या-112/9-1-2018 36 टीए/17, दिनांक 07-02-2018 द्वारा जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को भेजकर कमियों का निराकरण कर, सूचना/विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायों में पुवायाँ से मोहम्मदी तक निर्मित मार्ग की गुणवत्ता की जांच विषयक

5-श्री चेतराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ में पुवायाँ से मोहम्मदी तक एन0एच0आई0 द्वारा मार्ग का निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की गुणवत्ता की जनहित में जांच कराकर मानकों के अनुसार रोड बनवाने के आदेश देकर कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली द्वारा कराया जा रहा है।

कार्य मानक के अनुरूप सम्पादित कराया जा रहा है। कार्य का निरीक्षण तथा गुणवत्ता परीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। कार्य में किसी प्रकार की कमी प्रदर्शित नहीं हुई है। अतः जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायॉ में पुवायॉ से पूरनपुर वाया वण्डा तक निर्मित रोड की गुणवत्ता की जांच विषयक

6-श्री चेतराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ के अन्तर्गत एन0एच0आई0 द्वारा पुवायॉ से पूरनपुर वाया वण्डा मार्ग के निर्माण कार्य में पत्थर में मिट्टी मिलाकर डाली जा रही है तथा मानकों के अनुसार विभाग द्वारा मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में शासन स्तर से जांच कराकर निर्धारित मानकों के अनुसार मार्ग बनायेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

राष्ट्रीय मार्ग सं0-730ए के पुवायां से पूरनपुर वाया बण्डा तक सिंगल लेन मार्ग को टू लेन विद पेव्ड शोल्डर के रूप में विकसित करने का कार्य राष्ट्रीय मार्ग, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली द्वारा कराया जा रहा है।

उक्त मार्ग के सम्बन्ध में उल्लिखित शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं, जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् मैरिट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में दि किसान सहकारी चीनी मिल में वि0आर0एस0 ले चुके कर्मचारियों की बकाया देनदारियों के भुगतान के सम्बन्ध में

7-श्री चेतराम-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजाहपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायाँ में दि किसान सहकारी चीनी मिल में वी0आर0एस0 ले चुके कितने कर्मचारियों का वेतन एवं बकाया देनदारियों का अभी तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार वी0आर0एस0 ले चुके कर्मचारियों के बकाया अवशेष धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्यानिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

पुवायाँ चीनी मिल में 459 वी0आर0एस0 प्राप्त कर्मचारियों की वेतन एवं अन्य भत्तों की देयता शून्य है जिनमें से 58 कर्मचारियों की भविष्य निधि देयता भी शून्य है। शेष 401 वी0आर0एस0 प्राप्त कर्मकारों के भविष्य निधि मद की धनराशि मिल पर बकाया है। चीनी मिल की सम्प्रति अलाभप्रदता के कारण उक्त कर्मकारों का भुगतान बकाया है।

जी हां।

चीनी मिल में उपलब्ध धनराशि रु0 770.00 लाख से वी0आर0एस0 प्राप्त शेष कर्मकारों के भविष्य निधि की बकाया धनराशि के भुगतान की कार्रवाई प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की सिम्भावली चीनी मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में

8-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की सिम्भावली चीनी मिल पर गन्ना किसानों का पिछले सत्र 2016-17 का कितना धन अब तक बकाया है ? क्या सरकार किसानों के गन्ने के बकाया धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 07-02-2018 की स्थिति के अनुसार, जनपद बहराइच में स्थित सिम्भावली शुगर मिल्स लि0, इकाई चिलवरिया पर गन्ना किसानों का गत पेराई सत्र 2016-17 का रु0 46.33 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है।

अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित व समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु चीनी मिल चिलवरिया को समय-समय पर यथा-दिनांक 08-12-2016, 01-03-2017, 17-03-2017 एवं 21-03-2017 को नोटिसें निर्गत की गयी। इसके पश्चात् दिनांक 14-07-2017 को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा कम गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है कि उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चीनी मिल के गन्ना मूल्य के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करें। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के किसान सहकारी चीनी मिल लि0, पूरनपुर की पेराई क्षमता बढ़ाने व विस्तारीकरण के सम्बन्ध में

9-श्री बाबू राम पासवान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की किसान सहकारी चीनी मिल लि0 पूरनपुर, का (रिजर्व) सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना पूरनपुर चीनी मिल की पेराई क्षमता कम होने के कारण सात अन्य चीनी मिलों को जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना अन्य चीनी मिलों को न आवंटित करके पूरनपुर चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने व विस्तारीकरण की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जनपद पीलीभीत की किसान सहकारी चीनी मिल लि0, पूरनपुर की प्लान्ट मशीनरी पुरानी होने के काारण यह चीनी मिल अपनी पेराई क्षमता (2500 टी0सी0डी0) के अनुरूप गन्ना नहीं पेर पा रही है। अतएव इस चीनी मिल के सुरक्षित (रिजर्व) क्षेत्र का गन्ना पूरनपुर चीनी मिल के साथ-साथ

अन्य 05 चीनी मिलों (मकसूदापुर, गुलडिया, पीलीभीत, बरखेड़ा एवं पलिया) को आवंटित किया गया है।

जी नहीं।

चीनी मिल पूरनपुर की वर्तमान पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 है एवं विगत 05 वर्षों में, एक पेराई सत्र में अधिकतम 25.50 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की है। जहां तक उक्त चीनी मिल के विस्तारीकरण का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चीनी मिल पूरनपुर की दिनांक 31-03-17 तक कुल संचित हानि रु0 407.06 करोड़ है तथा इसका नेटवर्थ भी ऋणात्मक है। अतः चीनी मिल पूरनपुर की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विस्तारीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद बरेली के सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा की पेराई क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में

10-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा की गन्ना पेराई क्षमता कम होने के कारण क्षेत्र के गन्ना किसान अपना गन्ना प्राइवेट चीनी मिलों को बेचते हैं ? यदि हां, तो क्या इस चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

चीनी मिल सेमीखेड़ा अपनी पेराई क्षमता (2750 टी0सी0डी0) के अनुरूप प्रतिवर्ष कृषकों के समस्त अनुबन्धित गन्ने (बान्डेड केन) को पेरती है। कोई भी कृषक अपने गैर अनुबन्धित गन्ने (अनबान्डेड केन) को गन्ना आपूर्ति नीति के अनुसार अन्यत्र बेचने को स्वतंत्र है।

जी नहीं।

चीनी मिल सेमीखेड़ा की वर्तमान पेराई क्षमता 2750 टी0सी0डी0 है तथा विगत 05 वर्षों में एक पेराई सत्र में चीनी मिल द्वारा अधिकतम 32.32 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की गयी है। जहां तक उक्त चीनी मिल के विस्तारीकरण का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत करना है कि चीनी मिल सेमीखेड़ा की दिनांक 31-03-17 तक कुल संचित हानि रु0 278.56 करोड़ है तथा इसका नेटवर्थ भी ऋणात्मक है। अतः चीनी मिल सेमीखेड़ा की वर्तमान वित्तीय स्थिति की दृष्टिगत रखते हुए विस्तारीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में हाइवे के किनारे स्थित ग्राम गुड़वारा एवं लोधीपुर में जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में

11-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली-बागेश्वर मार्ग को उत्तराखण्ड की सीमा तक फोरलेन सड़क का निर्माण किया गया था, जिसमें बहेड़ी विधान सभा के गांव गुडवारा एवं लोधीपुर के किनारे जल भराव रोकने हेतु नाला निर्माण कार्य कराया जाना था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त नाले का निर्माण पी0एन0ओ0 कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, मार्ग के फोर लेन में चौड़ीकरण/उच्चीकरण के साथ ग्राम गुडवारा में 300 मीटर नाले का निर्माण स्वीकृत था, परन्तु ग्राम लोधीपुरा में नाले का निर्माण स्वीकृत नहीं था।

निजी विकासकर्ता मेसर्स पीएनसी बरेली नैनीताल हाइवेज प्रा0लि0 आगरा द्वारा मार्ग/नाले का निर्माण सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्यति पर किया गया है। ग्राम गुडवारा में बायीं ओर 100 मीटर लम्बाई में एवं दायीं ओर 285 मीटर लम्बाई में नाले का निर्माण किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी करने की जानकारी

12-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में स्थायी प्रकृति के पदों पर आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कोई कर्मचारी नहीं रखा गया है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर सेवायें ली जा रही है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में वंचित ग्राम सभाओं को डामर रोड से जोड़े जाने विषयक

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील धौरहरा में कितनी ग्राम सभायें/राजस्व ग्राम जो डामर रोड से नहीं जुड़ें हैं ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं को डामर रोड से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

धौरहरा के 18 ग्राम सभाओं के कुल 34 राजस्व ग्रामों में से 18 राजस्व ग्राम डामर रोड से नहीं जुडे हैं।

कुल 18 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 03 राजस्व ग्रामों को डामर रोड से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 15 में से 4 राजस्व ग्रामों की लम्बाई 7.05 कि0मी0 है। इन चारो राजस्व ग्रामों को डामर/सी0सी0 रोड से जोड़े जाने हेतु रु0 473.70 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 11 राजस्व ग्रामों में से 07 राजस्व ग्राम जिनकी लम्बाई 20.70 कि0मी0 है, डूब

क्षेत्र में होने के कारण इन मार्गों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है तथा 04 राजस्व ग्रामों की आबादी 250 से कम होने के कारण इन्हें लेपित मार्ग से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के बसढ़िया चौराहा से खमरिया ऐरा मिल होते हुए सरैया से जेठरा मार्ग को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने विषयक

14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर में बसढ़िया चौराहा से खमरिया ऐरा मिल होते हुए सरैया से जेठरा ग्राम सिंगावर तक गन्ना किसानों का मुख्यमार्ग पूर्ण रूप से गड्ढायुक्त होने से गन्ना किसानों को गन्ना ढुलाई में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों के हित में इस मार्ग को नव निर्माण कराकर गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद लखीमपुर-खीरी में विकास खण्ड ईसानगर में बसढ़िया चौराहा से खमरिया ऐरा मिल होते हुए सरैंया से जेठरा ग्राम सिंगावर तक प्रश्नगत मार्ग में निम्नलिखित 4 मार्ग सम्मिलित हैं :--

1-बसढ़िया चौराहे से सरैयां तक मार्ग की लम्बाई 8.00 कि0मी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है एवं लो0नि0वि0 के स्वामित्व में है। वर्तमान में मार्ग गड्ढ़ामुक्त है।

2-ऐरा-ईसानगर मार्ग के कि0मी0-5 से खमरिया-ऐरा मिल गेट मार्ग की लम्बाई 0.950 कि0मी0 है, जो गन्ना विभाग के स्वामित्व में है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3-सरैंया से जेठरा तक मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है, जोकि मण्डी परिषद् के स्वामित्व में है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

4-जेठरा से सिंगावर तक मार्ग की लम्बाई 4.00 है, जो कि गन्ना विभाग के स्वामित्व में है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का मार्ग वर्तमान में गड्ढ़ामुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर के नगर पालिका परिषद् दादरी में सीवर डालने की कार्य-योजना

15-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में दादरी नगर पालिका परिषद् के क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर में सीवरेज योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु मानक के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पेयजल की आपूर्ति हो रही हो। नगर पालिका परिषद्, दादरी में पेयजल पुर्नगठन योजना का कार्य प्रगति पर है। पेयजल की मानक के अनुसार आपूर्ति होने के उपरान्त सीवरेज योजना का कार्य कराया जा सकेगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने में वसूली गई धनराशि को गाजियाबाद के विकास में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरीनगर में एवं जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने हेतु स्टाम्प ड्यूटी की 2 प्रतिशत धनराशि ली जाती है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी धनराशि दादरी नगर एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जमा है ? क्या सरकार उक्त धनराशि को दादरी नगर एवं गाजियाबाद के विकास कार्यों पर खर्च किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि को दादरी नगर एवं गाजियाबाद के विकास कार्यों पर कब तक खर्च किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि नक्शा पास कराने हेतु नहीं ली जाती है। अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में वितरित की जाती है।

वर्तमान में कोई धनराशि उपयोग हेतु शेष नहीं है।

अवस्थापना निधि में हस्तान्तरित धनराशि का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा में दादरी नगर तहसील के सम्मिलित गावों एवं गाजियाबाद के विकास कार्यों पर अवस्थापना निधि समिति की बैठक में स्वीकृत करा कर उपयोग किये जाने का प्राविधान है।

पूर्व में अवस्थापना निधि में जमा धनराशि का उपयोग अवस्थापना निधि समिति की बैठक में स्वीकृत कार्यों पर किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में धनराशि प्राप्त होने पर अवस्थापना निधि समिति की बैठक में स्वीकृत कराकर उपयोग किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र दादरी के रिवाज व उत्तम स्टील की रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी व नक्शा पास कराने की कुल जमा धनराशि के सम्बन्ध में

17-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रिवाज व उत्तम स्टील (अंसल वाले) की रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी तथा नक्शा पास कराने से लेकर कुल कितनी धनराशि खुर्जा बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण में जमा है ? क्या उस जमा धनराशि में से दादरी (गौतमबुद्धनगर) के प्रभावित ग्रामों के विकास कार्यों में भी लगाया गया है ? यदि हां, तो

कहां-कहां और किस-किस मद में धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएटस (कन्शो0) से ले-आउट/मानचित्रों स्वीकृति से विभिन्न मदों यथा निरीक्षण शुल्क के मद में लगभग रु0 356.82 लाख, नगरीय विकास शुल्क के मद में लगभग रु0 491.75 लाख एवं भू-उपयोग परिवर्तन के मद में लगभग रु0 2731.11 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

उपरोक्त जमा धनराशि से प्रभावित ग्रामों के विकास कार्यों में हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है, बल्कि इन प्रभावित ग्रामों के अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विकास कार्य कराये जाने का प्राविधान है। इसी क्रम में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा ग्राम-बील अकबरपुर, भोगपुर, चमरावली रामगढ़ एवं दतावली में कतिपय विकास कार्य कराये गये हैं।

मै0 रिवाज इन्फ्राटेक प्रा0लि0 का प्रथम चरण का डिटेल्ड ले-आउट प्लान पर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में

18-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले कूड़े कचरे को अस्पताल एवं नर्सिंग होम के बाहर खुले में फेंके जाने से होने वाले प्रदूषण से बीमारियों पर अंकुश लगाने हेतु कोई प्रभावी योजना सरकार ने बनायी हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जनपद-लखनऊ में संचालित नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले कूड़े कचरे के उठान एवं निस्तारण के लिए मै0 एस0एम0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नागपुर की लखनऊ इकाई मैं0 एस0एम0एस0 वाटरग्रेस मेडीवेस्ट मैनजमेन्ट प्रा0लि0 के साथ पी0पी0पी0 आधार पर अनुबंध किया गया है। इस संस्था द्वारा नगर निगम लखनऊ की सीमा में संचालित नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से कूड़े कचरे का उठान कर निस्तारण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण को रोकने की कार्य-योजना

19-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जनपद लखनऊ में व्याप्त वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा ''काम्प्रेहेंसिव एक्शन प्लान फार रीड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बनाया गया है'' जिसे मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को लागू किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त एक्शन प्लान में 16 विभागों द्वारा कुल 31 एक्शन बिन्दुओं पर की जाने वाली कार्यवाही अंकित की गई है। प्रदूषण के विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वतः कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सुगतमा पूर्वक उपलब्ध कराये जाने हेतु एक वेब पोर्टल www.upecp.in तैयार किया गया है जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश में विभिन्न विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाता है, जिसका अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के छजलैट-नूरपुर मार्ग से तेलीपुरा खालाना एवं शेरपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नु)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में छजलैट-नूरपुर मार्ग से तेलीपुरा खालसा एवं शेरपुंर व मादपुर होते हुए कोठी खिदमतपुर पर अमरोहा-कांठ रोड पर मिलने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं संकरा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 9.600 कि0मी0 है एवं लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है। वर्षा ऋतु में आबादी भाग में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत करा दी गयी है।

मार्ग पर पर्याप्त पी0सी0यू0 न होने अर्थात चौड़ीकरण के मानक पूर्ण न होने के कारण चौड़ीकरण प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलैट के ग्राम राजीपुर से ठाकुर द्वारा विकास खण्ड के ग्राम दरियापुर को जाने वाले मार्ग को पक्का कराने की मांग

21-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नु)-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलैट के ग्राम राजीपुर से ठाकुर द्वारा विकास खण्ड के ग्राम दरियापुर को जाने वाले मार्ग पर लगभग एक किमी0 भूमि वन विभाग की है ? यदि हां, तो क्या वन विभाग उक्त रास्ते पर पक्की सड़क बनाने की अनुमति देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

वनभूमि पर कोई मार्ग नहीं है। विगत कुछ वर्षो से स्थानीय लोगों के आवागमन से पगडण्डी बनी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त आरक्षित वन भूमि पर पक्की सड़क बनाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद मुरादाबाद के हरिद्वार मार्ग पर कांठ रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

22-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नु)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के हरिद्वार मार्ग पर कांठ रेलवे क्रासिंग पर जाम की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार उक्त रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत रेलवे क्रासिंग सम्पार संख्या-432 की पर रेलवे उपरिगामी सेतु की कुल लम्बाई 665.00 मी0 एवम् अनुमानित लागत रु0 3278.33 लाख आंकलित कर ली गयी है।

रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत सरयू नहर के निर्माण, पुनर्स्थापना, प्रोटेक्शन वर्क तथा बन्धों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

23-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 से राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनान्तर्गत सरयू नहर के निर्माण, पुनर्स्थापना प्रोटेक्शन वर्क तथा बन्धों के वर्ष 2012 से प्रारम्भ निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सम्बन्धित जिलें में वर्ष 2012 से 31-12-2017 तक वर्षवार कितना धन स्वीकृत एवं व्यय किया गया है व उक्त निर्माण कार्य करने को कोई समय सीमा सरकार निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्ष 2019 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

वर्ष	स्वीकृत/व्यय (धनराशि करोड़ में)
2012-13	31.58
2013-14	499.70
2014-15	623.00
2015-16	834.00
2016-17	300.00
कुल योग	2288.28

दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषद् के अध्यक्षों पर गबन व घोटाले से सम्बन्धित विचाराधीन केस पर कार्यवाही

24-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिका परिषद् के कतिपय अध्यक्षों पर गबन व घोटाले से सम्बन्धित केस विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अध्यक्षों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां, प्रदेश की 23 नगर पालिका परिषद् के अध्यक्षों पर कार्रवाई विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् के अध्यक्षों पर कार्रवाई उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों तथा संगत नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत प्राथमिकता पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा-मरिया, निन्दनपुर, जहानपुर को डामर रोड से जोड़ने की मांग

25-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभाओं उमरिया, निन्दनपुर तथा जहानपुर के ग्राम पंचायत होने के बाद उक्त ग्राम सभा डामर रोड से जुड़ी नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों को डामर रोड से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशप प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम सभा उमरिया एवं जहानपुर की आबादी 250 से कम होने के कारण उक्त ग्राम पंचायतों को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु शासन की प्राथमिकता में नहीं है। निन्दनपुर की आबादी 250 से अधिक है। अतः इसकी बसावटों को जोड़े जाने हेतु मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

26-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव संख्या 437/रा0का0 दिनांक 20-07-2017 जिलाधिकारी फिरोजाबाद

के पत्र सं0 1197/स्था0 नि0/नं0प0 मक्खनपुर/2017 दिनांक 24-07-2017 के द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध शासन के पत्र दिनांक 02-02-2018 द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में ठेका दैनिक के रूप में कार्यरत कार्मिकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में ठेका दैनिक के रूप में कार्यरत 11 कार्मिकों को दैनिक मजदूरी विनियमितीकरण नियमावली 2016 का लाभ शासनादेश सं0 3412/09-01-2016/119सा/14, दिनांक 03-01-2017 के क्रम में दिये जाने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद का प्रमुख सचिव, नगर विकास को पत्र सं0 6347/सा0प्र0/2017-18 दिनांक 19-12-2017 एवं प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव, नगर विकास को पत्र सं0 क-6 नं0 037968 दिनांक 22-12-2017 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में नगर आयुक्त, फिरोजाबाद की आख्या और संगत अभिलेख, उनके पत्र दिनांक 27-02-2018 से प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी एवं उसकी सहायक नदियों में हो रहे प्रदूषण रोकथाम हेतु कार्यवाही

28-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0-276/2017 के अन्तर्गत यमुना नदी एवं उसकी सहायक नदियों में हो रहे प्रदूषण एवं उसकी रोकथाम हेतु दिनांक 19-05-2017 को आदेश पारित करे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है, कि फिरोजाबाद नगर में दो प्रमुख नाले (प्रथम रहना-हिमायूंपुर से दतौजी नाला तथा द्वितीय मालवीय नगर संतनगर से बासठ गांव नाला) सीधे यमुना नदी में गिरने के कारण यमुना नदी का जल प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों नालों को टेप करवाकर व पम्पिंग स्टेशन बनवाकर सोफीपुर स्थित 67 एम0एल0डी0 क्षमता के निर्माणाधीन एस0टी0पी0 पर इन नालों के दूषित जल का शोधन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

फिरोजाबाद नगर के अन्तर्गत सीवेज शोधन हेतु 67 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का कार्य प्रगति पर है। इस एस0टी0पी0 पर नगर के सीवेज को पाईप लाईन के माध्यम से लाकर शोधित किया जाना प्रस्तावित है।

नालों के अवजल को शोधित करने की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी सीवेज नालों में न जाने पाये और इस हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत हाउस सीवर कनेक्शन के कार्य अनुमन्य किये गये है। हाउस सीवर कनेक्शन के माध्यम से घरों का सीवेज सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर एस0टी0पी0 तक पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है।

फिरोजाबाद नगर में अमृत योजना के अन्तर्गत हाउस कनेक्टिंग चैम्बर्स एवं हाउस सीवरेज कनेक्शन के 02 परियोजनायें (फेज-1 रु0 4145.00 लाख एवं फेज-2 रु0 3859.84 लाख) के कार्य स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत हाउस कनेक्टिंग चैम्बर्स एवं हाउस सीवरेज कनेक्शन के कार्य कराये जा रहे है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितताओं की जांच

29-कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितताओं की जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा पत्रांक 1476 टी0ए0सी0 बाराबंकी, दिनांक 12-09-17 द्वारा जांच कराकर दोषी सिद्ध करते हुए शासन से कार्यवाही हेतु अनुमति मांगी गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्री रामशरण पाठक, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पंचायत, रामनगर, जिला बाराबंकी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच आख्या जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक-1476 टी0ए0सी0 बाराबंकी दिनांक 12-09-2017 द्वारा कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या का परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र संख्या-4291/9-1-2018-29च/15, दिनांक 23-01-2018 द्वारा जांच आख्या में अंकित प्रतिकूल तथ्यों पर कार्रवाई कराकर आख्या/प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, बाराबंकी को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर महानगर वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवस्थापना निधि व 14 वित्त आयोग से आवंटन धन व विधान सभावार विवरण

30-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवस्थापना निधि व 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत कितना-कितना धन आवंटन हुआ है तथा विधान सभावार विकास के कितने धन के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कानपुर नगर निगम को अवस्थापना निधि व 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी है :--

(1) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0-8/1307/02प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा आवंटित धनराशि रु0 511.01 लाख।

(2) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0-8/1308/02प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा आवंटित धनराशि रु0 1428.40 लाख।

(3) 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0-8/1322/171(11)/14वेंवि0आ0/17-18, दिनांक अक्टूबर, 2017 द्वारा आवंटित धनराशि रु0 4429.97 लाख।

अवस्थाना निधि एवं 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में नगर निगम, कानपुर को आवंटित धनराशि के सापेक्ष विधानसभावार निम्नवत् प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है :--

धनराशि (लाख रु0 में)

विधान सभा क्षेत्र	अवस्थापना निधि	14वां वित्त आयोग
महराजपुर	378.57	2125.01
आर्यनगर	0	253.85
गोविन्द नगर	0	1484.81
सीसामऊ	50.00	140.10
कल्यानपुर	114.82	514.51
किदवई नगर	166.35	417.19
योग	709.74	4935.47

जी हां। विवरण उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के युवकों में बढ़ रही नशे की लत की रोकथाम का विवरण

31-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं में नशा करने की लत बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ रहे नशे की रोकथाम के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रदेश में मद्यनिषेध विभाग द्वारा नशा एवं नशीले पदार्थो के दुष्परिणामों के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों यथा :--शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षात्मक, ज्ञानवर्धक व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शन कक्षों, गोष्ठियों का आयोजन, चलचित्र प्रर्दशन, प्रभातफेरी/रैलियों, वालपेन्टिंग्स, होर्डिग्स, टी गार्ड्स व बस पैनल्स पर सुवाक्यों के माध्यम से संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रचार साहित्य का वितरण कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं, में नशे से ग्रसित व्यसनियों को उपचार कराने के लिये भर्ती होने हेतु प्रेरित किया जाता है। प्रदेश की मलिन बस्तियों में भी विभाग द्वारा नशे के दुष्परिणामों से जागरूक करने हेतु शिक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रचार का कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड के पार्क संख्या 9 व 10 में एल0ई0डी0 लाइट लगाये जाने की मांग

32-श्री ओमकार सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना अन्तर्गत रतन खण्ड के पार्क सं0 10 व 9 के चारों तरफ लाइट पोलों में से कितनों पर एल0ई0डी0 लाइटें लगायी गयी हैं तथा कितने पोलों पर एल0ई0डी0 लाइटें क्लैम्प के अभाव में नहीं लगी हैं ? क्या सरकार क्लैम्प उपलब्ध कराकर एल0ई0डी0 लाइटें लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड दिनांक 05-10-2017 को नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया। हस्तान्तरण के समय पार्क सं0-10 के चारों तरफ कुल 21 विद्युत पोल स्थापित थे जिनमें से 12 पोलों में एल0ई0डी0 लाइटें स्थापित थीं व शेष 9 पोल रिक्त थे। इसी प्रकार पार्क संख्या-9 के चारों तरफ कुल 16 विद्युत पोल स्थापित थे जिनमें से 8 में एल0ई0डी0 लाईट स्थापित थीं तथा शेष 8 में पोल रिक्त थे। नगर निगम द्वारा अभी उक्त स्थल पर एल0ई0डी0 लाईट लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

जी हां। वर्तमान में परम्परागत सोडियम/ट्यूब फिटिंगों के स्थान पर एल0ई0डी0 लाईट लगाने का कार्य मेसर्स ई0ई0एस0एल0 द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

फैजाबाद से जिला अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत पौसरा राजवाहा का चौड़ीकरण कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

33-श्री लाल जी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड फैजाबाद से जिला अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-टाण्डा के अन्तर्गत (पौसरा) राजवाहा में पिछले 10 वर्षों से टेल तक पानी नहीं आने से किसानों की फसलें सूख जाया करती हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त राजवाहे से करीब 15-20 माइनर भी निकलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजवाहे का चौड़ीकरण करवाते हुए राजवाहे के टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

जी हां। पौसरा राजवाहे से कुल 28 माइनरें निकलती हैं।

पौसरा राजवाहे की चौड़ाई कमाण्ड के अनुसार सही है तथा चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है। पौसरा राजवाहा की कुल लम्बाई 32.000 कि0मी0 व शीर्ष डिस्चार्ज 161.60 क्यूसेक है, इसके हेड से टेल तक पूर्ण लम्बाई में सिल्ट सफाई कराकर वर्तमान रबी 1425 फसली में टेल तक पानी पहुंचाते हुए कृषकों को समुचित पानी उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत रज्जकलपुर, पॉचेली आदि गांवों को जलमग्न होने से बचाने के लिए सोलनी नदी पर बांध बनाये जाने की मांग

34-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत आने वाले गांव रज्जकलपुर, पांचेली, फरतपुर, भदौला, मारकपुर, दादूपुर, हुसैनपुर समस बढ़ीवाला, भसीलीवाला, चान्वक, चमरावाला, अलमावाला, निन्दावाला, विरालसीठिया, श्हदरा व फरीदपुर आदि गांव बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाते हैं, जिससे उक्त गांवों में रहने वाले जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोलनी नदी पर बांध बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

नदी के दाहिने किनारे पर पूर्ण लम्बाई में तथा बाएं किनारे पर उत्तर प्रदेश की सीमा मे बांध बनाने हेतु एक परियोजना विचाराधीन है। परियोजना के साध्य पाये जाने, सक्षम स्तर से अनुमोदित होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी भवनों एवं नवनिर्मित भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाने की जानकारी

35-श्री कपिल देव अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर गिरते भू-जलस्तर को नियंत्रित रखने एवं वर्षा जल को संचित करने के लिए सरकारी भवनों एवं नव-निर्मित भवनों, शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथासंशोधित (2011 व 2016) के नियम 3.1.2.3 (12) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है :--

सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क न होने की दशा में 300 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल (ग्रुप हाउसिंग सहित) के समस्त उपयोगों के भूखण्डों में (वाटर लागिंग की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर) रूफ-टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीकी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जायेगा ताकि भू-जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। वाटर लागिंग की समस्या वाले क्षेत्रों में भू-जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनाई जाय, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

उक्त के साथ ही नागर निकायों के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों, जिनके द्वारा वर्षा जल संचयन की प्रणाली विकसित की जाती है, उन्हें हाउस टैक्स में 02 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिलखनी डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, सहारनपुर व उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में

36-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिलखनी डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, जनपद सहारनपुर के द्वारा अपनी ईटीपी प्लांट व रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट सही तौर पर नहीं चलाये जाने से जीरो डिस्जार्च इंडस्ट्रियल वेस्ट के नियम का उल्लंघन उपरोक्त संस्थान द्वारा किया जा रहा है इससे संस्थान की 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले जन समुदाय के पीने के पानी पर गम्भीर असर पड़ रहा है तथा उत्तम शुगर मिल्स, ग्राम शेरपुर, जनपद सहारनपुर द्वारा भी वायु एवं जल प्रदूषण प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है जिससे ग्राम कोटड़ा में जल एवं वायु प्रदूषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु उपरोक्त दोनों संस्थानों की जांच करेगी

तथा जांच निष्पक्ष हो इस हेतु जांच में क्या लोक सुनवाई का भी प्रावधान करेगी जिससे प्रभावित ग्रामीण व स्थानीय जनप्रतिनिधि जांच अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05-02-2018 को उद्योग मै0 पिलखनी डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स जनपद-सहारनपुर तथा मै0 उत्तम शुगर मिल्स ग्राम-शेरपुर, जनपद-सहारनपुर का निरीक्षण किया गया।

उद्योग मै0 पिलखनी डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, जनपद-सहारनपुर में कच्चे माल के रूप में गन्ने का शीरा (मोलेसिस) का प्रयोग कर 36 कि0ली0 रेक्टिफाईड स्प्रिट के उत्पादन की क्षमता है। उद्योग में एम0ई0ई0 की स्थापना एवं जेड0एल0डी0 सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 10-04-2017 द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण के समय उद्योग में आसवनी इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी। उद्योग मै0 उत्तम शुगर लि0, जनपद-सहारनपुर में कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की गन्ना पेराई क्षमता 7500 टन/दिन है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की समस्त इकाईयां संचालित पायी गयी। उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के आउटलेट पर आनलाईन कन्टीन्युअस एफ्लूएन्ट मॉनिटरिंग सिस्टम व फ्लो मीटर स्थापित है। उद्योग द्वारा उत्प्रवाह को ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धीकृत कर पक्के लैगून में एकत्रित किया जाता है एवं भूमि पर छिड़काव हेतु तथा ग्रीन बैल्ट की सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित किया गया। विश्लेषणाख्यानुसार उत्प्रवाह में जल प्रदूषणकारी परिचालक जैसे-बी0ओ0डी0-20मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0-192 मिग्रा0/ली, टी0एस0एस0-25 मिग्रा0/की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया। उद्योग में वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में 120 टन/घण्टा क्षमता का 01 नग ब्वायलर स्थापित है। ब्वायलर से जनित स्रोत उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वैट स्क्रबर एवं स्रोत उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु भू-तल से 60 मी0 ऊंची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी। उद्योग के समीप पश्चिम दिशा में ग्राम-कोटड़ा रोड पर स्थित नाले का निरीक्षण किया गया। उक्त नाला पूर्णतः सूखा पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के पयश्विनी नदी में अविरल जल प्रवाह की जानकारी

37-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में पयश्विनी नदी में कितने माह तक जल प्रवाह, कितने माह तक धारा प्रवाह तथा कितने माह प्रवाह समाप्त हो जाने से नदी शुष्क हो जाती है ? क्या सरकार बतायेगी प्रवाह को अविरल बनाने का कोई प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद-चित्रकूट में पयश्विनी नदी में मानसून सत्र में धारा प्रवाह जल प्रवाहित होकर दिसम्बर तक रहता है, इसके पश्चात् प्रवाह कम हो जाता है, नदी में निरन्तर प्रवाह रहता है, कम अवश्य होता है परन्तु नदी शुष्क नहीं होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम रसिन में बानगंगा नदी पर निर्माणाधीन बांध का कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

38-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट के ग्राम रसिन में बानगंगा नदी में निर्माणाधीन बांध, कितने वर्ष से निर्माणाधीन है व उक्त बांध का प्रथम प्राक्कलन कितनी धनराशि का था और निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है एवं क्या उक्त बांध को पूर्ण कराने की कोई समय सीमा सरकार निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद चित्रकूट के रसिन बांध परियोजना वर्ष 2003-04 से निर्माणाधीन है। परियोजना का मूल (प्रथम) परियोजना प्राक्कलन धनराशि रु0 1724.62 लाख था। परियोजना पर अब तक धनराशि रु0 8035.75 लाख व्यय किया जा चुका है।

परियोजना को वर्ष 2018-19 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में यमुना नदी में ग्राम चिल्लीराकस में बनाई गई लिफ्ट कैनाल की सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित करने विषयक

39-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में यमुदा नदी में ग्राम चिल्लीराकस में बनाई गई लिफ्ट कैनाल की कितने हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वर्तमान में यह लिफ्ट कैनाल कितने हेक्टेयर तक सिंचन कर पाती है ? क्या सरकार इस लिफ्ट कैनाल की सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद चित्रकूट में ग्राम चिल्लीराकस में स्थापित राजापुर पम्प नहर यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है तथा इसकी क्षमता 50 क्यूसेक है। वित्तीय वर्ष 2017-18 खरीफ 1425 फसली में पम्प नहर हेतु निर्धारित लक्ष्य 200 हेक्टेयर था जिसके सापेक्ष 175 हेक्टेयर सिंचाई की गयी एवं रबी 1425 फसली में निर्धारित लक्ष्य 1940 हेक्टेयर है जिसके सापेक्ष पक्षान्त 25-01-2018 तक 1250 हेक्टेयर सिंचाई की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि इस पम्प नहर पर पूर्व में लो वोल्टेज विद्युत आपूर्ति की समस्या रही है, जिसके कारण पम्प नहर का संचालन प्रभावित था। विगत एक माह से विद्युत विभाग द्वारा स्थानीय प्रबन्ध कर उचित वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा प्रतिदिन लगभग 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है, जिसके सापेक्ष कृषकों की मांग के अनुरूप पम्प नहर का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में राजापुर पम्प नहर की सिंचन क्षमता में वृद्धि का कोई पस्ताव/परियोजना प्रचलित नहीं है।

वर्तमान में उचित वोल्टेज की 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने पर कृषकों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद लखनऊ के गोमती नगर से सटे खरगापुर में नवनिर्मित कालोनियों में प्रकाश की व्यवस्था कराने विषयक

40-श्रीमती जय देवी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, गोमतीनगर से सटे खरगापुर में नवनिर्मित कालोनियों में जैसे-कौशलपुरी, सरस्वतीपुरम, कैलाश विहार, गीतापुरी में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण वहां के निवासी अंधेरे में चलने को मजबूर उपेक्षित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में भरवारा क्रासिंग से राम जानकी लेन होते हुए कामख्याधाम मन्दिर से गोरखधाम मन्दिर एवं छीरसागर मिठाई दुकान होते हुए खरगापुर रेलवे लाइन क्रासिंग तक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा के बाहर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजाबाद रोड के निकट गोमती नगर से सटे खरगापुर, मल्हौर, भरवारा में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने विषयक

41-श्रीमती जय देवी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ फैजाबाद रोड के निकट गोमती नगर से सटे खरगापुर, मल्हौर, भरवारा क्रासिंग से रामजानकी मन्दिर कौशलपुरी होते हुए कामाख्या मन्दिर सरस्वतीपुर, गीतापुरी की नवनिर्मित कालोनियों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है ? क्या यह सही है कि अप्रयुक्त सामग्री खाली प्लाटों में सड़ने के कारण संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बना हुआ है ? क्या सरकार प्रधान मंत्री के स्वच्छ भारत के मिशन को सफल बनाने हेतु सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

फैजाबाद रोड के निकट गोमतीनगर से सटे खरगापुर, मल्हौर, भावरा क्रासिंग से रामजानकी मन्दिर कौशलपुर होते हुए कामाख्या मन्दिर सरस्वतीपुर गीतापुरी आदि क्षेत्र नगर निगम, लखनऊ सीमान्तर्गत नहीं आते हैं। अतः नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल बार्डर रोड प्रोजेक्ट हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर में भूमि की कीमत को कम करने विषयक

42-श्री श्रीराम चौहान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 16-05-2017 जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा नेपाल बार्डर रोड प्रोजेक्ट में भूमि की कीमत कम करते हुये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ''जिला क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति'' द्वारा भूमि क्रय करने हेतु सर्किल रेट से शहरी क्षेत्र में डेढ़ गुना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तीन गुना दर पर प्रतिकर दिये जाने हेतु की गई संस्तुति के आधार पर आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु प्रतिकर का अनुमोदन शासन के पत्र संख्या-1638/23-12-2016-1291/2013(आ0/आर), दिनांक 06-01-2016 द्वारा जारी किया गया है। तद्नुसार भूमि क्रय का कार्य प्रगति में है।

जनपद सिद्धार्थनगर में इण्डो नेपाल बार्डर के लिये भूमि क्रय करने की कीमत के सम्बन्ध में

43-श्री श्रीराम चौहान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के काश्तकारों द्वारा इण्डो नेपाल बार्डर रोड प्रोजेक्ट के लिये भूमि की कीमत (प्रतिकर) वर्तमान सरकारी रेट का चार गुना (ग्रामीण क्षेत्र में) तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना के दर से शासनादेश सं0 2/2015/215/एक-13-15-20148, दिनांक 19-03-2015 के अवलोकन में तय करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को दिया गया था ? ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ''जिला क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति'' द्वारा भूमि क्रय करने हेतु सर्किल रेट से शहरी क्षेत्र में डेढ़ गुना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तीन गुना दर पर प्रतिकर दिये जाने हेतु की गई संस्तुति के आधार पर आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु प्रतिकर का अनुमोदन शासन के पत्र संख्या-1638/23-12-2016-1291/2013(आ0/आर), दिनांक 06-01-2016 द्वारा जारी किया गया है। तद्नुसार भूमि क्रय का कार्य प्रगति में है।

जनपद मुरादाबाद में कपूर कम्पनी पुल को ठीक कराने के साथ-साथ चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में

44-श्री रितेश कुमार गुप्ता-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद में कपूर कम्पनी पुल मुरादाबाद नगर के दो प्रमुख भागों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसके कारण इस पुल पर हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहती है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पुल की वर्तमान स्थिति आवागमन के भार को सहन करने के योग्य नहीं है तथा पुल पर भारी भीड़ के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कपूर कम्पनी पुल को ठीक कराने के साथ-साथ उसका चौड़ीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। परन्तु प्रश्नगत पुल रेलवे विभाग (भारत सरकार) द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत भड़सर से अबिसहन मार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत हेतु

45-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत भडसर से अबिसहन मार्ग जो कि अति जर्जर अवस्था में है ? उसका चौड़ीकरण और मरम्मत किया जाना जनहित में आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

भड़सर अबिसहन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

चौड़ीकरण हेतु मानक के अनुरूप न होने के कारण मरम्मत हेतु लम्बाई 12.125 कि0मी0 के लिए लागत रु0 279.59 लाख की धनराशि आंकलित की गई है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम देवकठियां, अखाड़ा से दाऊतपुर तक सड़क निर्माण विषयक

46-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम-देव कठिया, अखाड़ा से दाउतपुर तक सड़क का निर्माण कार्य लगभग 2 किमी0 कराया जाना जनहित में आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित ग्राम देवकठियां में अखाड़ा व दाऊतपुर के मध्य कच्चा/पगडण्डी मार्ग है, परन्तु अखाड़ा व दाऊतपुर अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से संतृप्त है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत नेवदा नहर से नखतपुर तक के सड़क के लेपन कार्य हेतु

47-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत नेवदा नहर से नखतपुर तक के सड़क का लेपन कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त सड़क अति जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित मार्ग नेवादा पिच रोड से पठनपुरा, नखतपुर, नटपुरा, बेदौली होते हुए मिर्जापुर रोड तक (नेवादा नहर से नखतपुर तक) सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत लम्बाई 5.000 कि0मी0 हेतु प्राप्त है एवं कार्य प्रगति में है। कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम परशेख से नरवनपुर वाया जुझारपुर तक सड़क लेपन कार्य हेतु

48-श्री विरेन्द्रयादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम-परशेख से जुझारपुर होते हुए नखतपुर तक के सड़क जर्जर होने के कारण लेपन कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य वर्ष 2016-17 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत पूर्ण कराया जा चुका है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ब्लाक विरनो में जयन्तीदासपुर से पारा मार्ग तक सड़क निर्माण हेतु

49-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ब्लाक विरनो में जयन्तीदास पुर तक का मार्ग जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का मरम्मत/निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत प्रश्नगत जंगीपुर पारा मार्ग के कि0मी0 1 से ब्रह्मस्थान (जसन्तीदासपुर) सम्पर्क मार्ग, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वर्ष 16-17 में लम्बाई 3.500 कि0मी0 हेतु रु0 163.73 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 32.75 लाख आवंटित की गयी है। इस आवंटित धनराशि में मार्ग की पूरी लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण करते हुए 0.500 कि0मी0 लम्बाई में जी0एस0बी0 का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कार्य-योजना बनाने विषयक

50-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत प्रत्येक जनपद की विशिष्टता को उसकी पहचान राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने व रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ में आंवला किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-123/18-4-2018-18 (विविध)/17टी0सी0, दिनांक 25-01-2018 द्वारा ''एक जनपद एक उत्पाद'' के नाम से नई योजना प्रारम्भ करते हुए उक्त योजना हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये गये हैं।

जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा प्रसंस्करण इकाईयों की प्रदेश में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ''उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017'' निर्गत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के ग्राम डूडा से हरदोई नहर के 4 कि0मी0 लोहन्ना-सोहन्ना पुल के पास पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में

51-श्री बाबूराम पासवान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के ग्राम ढूडा से हरदोई नहर के 4 किमी0 लोहन्ना-सोहन्ना पुल पास साइफन तक नहर की सेम का पानी व बरसात का पानी इतना भयंकर इकट्ठा होकर झावर व भैसी झील का रूप धारण कर हजारों एकड़ किसानों की कृषि योग्य भूमि बर्बाद करती है जिससे हजारों कृषक भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर 4 कि0मी0 पक्का नाला बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद पीलीभीत के ग्राम डूडा(ददौल) हरदोई शाखा के कि0मी0 27.500 पर स्थित है एवं लोहन्ना-सोहन्ना हरदोई शाखा के कि0मी0 35.00 के बायें किनारे स्थित है। दिनांक 06 फरवरी, 2018 को श्री बाबूराम पासवान, मा0 विधायक, पूरनपुर, जिला पीलीभीत के साथ अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स खण्ड शारदा नहर, बरेली द्वारा उक्त रीच का निरीक्षण किया गया और देखा गया कि उक्त रीच में लो लैंड होने के कारण पानी इक्ट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुयी है।

समस्या के समाधान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण करके परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति में प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के वि0स0 क्षेत्र छपरौली में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में

52-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में स्थित मलकपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 263 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य वर्ष 2016-17 का दिनांक 19-10-2017 तक बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में स्थित एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल्स लि0 मलकपुर पर पेराई सत्र 2016-17 में दिनांक 19-10-2017 को रु0 262.13 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया था। वर्तमान में दिनांक 07-02-2018 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2016-17 के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष चीनी मिल पर रु0 124.12 करोड़ बकाया है।

अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित व समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु चीनी मिल मलकपुर को समय-समय पर यथा-दिनांक 01-03-2017, 17-03-2017, 21-03-2017, 14-07-2017 एवं 12-09-2017 को नोटिसें निर्गत की गयी। गन्ना आयुक्त व शासन स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी इस आशय के निर्देश दिए गये कि चीनी मिल के गन्ना मूल्य भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करायें।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में योजित/विचाराधीन जनहित रिट याचिका संख्या-2144(एम0बी0)/2017 धूम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में चीनी मिल मलकपुर द्वारा पेराई सत्र 2016-17 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र के माध्यम से माह मार्च, 2018 तक का भुगतान शेड्यूल प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के गौराबादशाहपुर-आजाद नगर तक जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

53-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के गौराबादशाहपुर के पुलिस चौकी से ग्राम सोनारी, अमरा, असवारा होते हुये आजाद नगर जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को सरकार डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत गौराबादशाहपुर के पुलिस चौकी से ग्राम सोनारी, अमरा, असवारा होते हुये आजाद नगर ग्राम तक के सेवामार्ग की कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0 है, जिसमें नहर के सेवामार्ग में 6.00 कि0मी0 में डामरीकरण सेवामार्ग, 2.800 कि0मी0 में सोलिंग (खड़ंजा) तथा 0.200 कि0मी0 डब्ल्यू0बी0एम0 सेवा मार्ग विद्यमान है, जो अन्य द्वारा निर्मित है। शेष कच्ची सेवा मार्ग की लम्बाई 1.000 कि0मी0 है। वर्तमान में डामरीकरण कराये जाने सम्बन्धी कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान क्षेत्र केराकत के ग्राम भड़ेरी में गोमती नदी पर अधूरे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

54-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में भड़ेरी गांव से बीरमपुर गांव को जोड़ने वाली गोमती नदी पर स्थित अधूरा पुल का निर्माण सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हॉ।

वर्तमान में गोमती नदी पर निर्माणाधीन सेतु की भौतिक प्रगति 58.35 प्रतिशत है। सेतु को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपरद हापुड़ में मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग एन0एच0-235 एवं एन0एच0-24 को जोड़ते हुए ऊपर से एलीवेटिड रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

55-श्री विजय पाल (आढती)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ में मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग पर यातायात भार अत्यधिक होने के कारण आये दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो

क्या सरकार मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग एन0एच0-235 और एन0एच0-24 को जोड़ते हुए ऊपर से एलीवेटिड रोड का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग-235, मेरठ से बुलन्दशहर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनपद हापुड़ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हापुड़ शहर पर लगभग 12.056 किमी0 में (ग्राम कैली किमी0 23.400 से ग्राम पटना सैल तक किमी0 35.456) बाईपास प्रस्तावित है जिससे हापुड़ शहर में जाम से निजात मिलेगा। प्रस्तावित हापुड़ बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी0 60.00 पर स्थित अण्डरपास पर मिलेगा तथा मेरठ से बुलन्दशहर जाने वाला ट्रैफिक बाईपास द्वारा बिना ट्रैफिक जाम के सुगमता से चलता रहेगा।

जनपद हापुड़ के काठीखेड़ा अमादनगर मार्ग पर मध्य गंगा नहर पर क्षतिग्रस्त सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में

56-श्री विजय पाल (आढ़ती)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के काठीखेड़ा अमादनगर मार्ग पर मध्य गंगा नहर पर सेतु अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतु का पुनः निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हॉ। प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सेतु (स्पान 3x16मी0) के दोनों ओर दुर्घटना नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संकेतन/साइन बोर्ड लगाते हुए चार ऊँची पक्की दीवार/चिनाई कर यातायात रोका गया है।

क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर नये सेतु (स्पान 3x16मी0) के निर्माण का प्रस्ताव आर0आई0डी0एफ0-23 योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के गांव दोयमी से लेकर गांव मुरादपुर निजामसर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु

57-श्री विजय पाल (आढती)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के गांव दोयमी से लेकर गांव मुरादपुर निजामसर मार्ग अत्यन्त व्यस्त होने के कारण आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की लम्बाई लगभग 07 किलोमीटर काली सड़क का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हॉ।

जाम की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी, हापुड़ को प्रभावी कार्यवाही हेतु निदेशित कर दिया गया है।

विषयगत मार्ग के चौड़ीकरण पर लगभग रु0 15.50 करोड़ की धनराशि का व्यय आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों में कूड़ा (पालीथीन इत्यादि) जलाने को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में

58-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के शहरों में सफाई के उपरान्त ज्यादतर कूड़ा (पालीथीन इत्यादि) जला दिया जाता है जिससे वायु प्रदूषण में गुणात्मक दर से वृद्धि हो रही है एवं कैन्सर जैसी भयावह बीमारियों का दिन प्रतिदिन प्रसार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कूड़ा (पालीथीन इत्यादि) को जलाने को प्रतिबन्धित करेगी एवं जलाने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रदेश के शहरों में कूड़ा जलाने की छिटपुट घटनायें प्रकाश में आती है।, जिनकी रोकथाम हेतु स्थानीय निकायों के स्तर से कार्यवाही की जाती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियम-4 में सॉलिड वेस्ट को जलाया जाना प्रतिबन्धित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट को जलाया जाना प्रतिबन्धित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0सं0-199/2014 अलमित्रा एच0 पटेल प्रति यूनियन ऑट इण्डिया व अन्य तथा ओ0ए0 सं0-21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियत ऑफ इण्डिया व अन्य में ठोस अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) को जलाये जाने को प्रतिबन्धित करते हुए दोषी व्यक्तियों पर जुर्माने की दर निर्धारित की गई है। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने से होने वाले वायु प्रदूषण हेतु दोषी व्यक्तियों पर वित्तीय वर्ष-2017-18 में जनवरी, 2018 तक रूपये 1821490/- मात्र का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

जनपदअ बरेली की तहसील बहेड़ी में किच्छा नहर से निकली क्षतिग्रस्त पनवड़िया माइनर को ठीक कराने विषयक।

59-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में किच्छा नहर से निकली पनवड़िया माइनर (नहर) विगत 10 वर्ष पूर्व किच्छा नदी की बाढ़ में लगभग 200 मीटर नहर नदी में कट कर गिर गई थी, जिससे पांच गांव की कृषि भूमि को सिंचाई से वंचित

होना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में किच्छा नहर से निकलने वाली नहर (बैरमनगर राजवाहा) जो कि पनवड़िया ग्राम से होकर गुजरती है, विगत 10 वर्ष पूर्व किच्छा नदी की बाढ़ में कट कर नदी में समाहित हो गई थी, जिससे कटान स्थल से नीचे के ग्रामों की सिंचाई प्रभावित हुई है।

बैरमनगर राजवाहे की कुल लम्बाई 13.200 कि0मी0 हैं विगत 10 वर्ष पूर्व किच्छा नदी में आयी बाढ़ में नहर के कि0मी0 8.410 ग्राम गेूल मोहम्मदपुर के पास, नहर कटकर नदी में समाहित हो गयी तथा नहर के स्थान पर नदी बह रही है। इससे नीचे भी तीन स्थलों पर नदी द्वारा कटान किया गया तथा नहर विस्थापित है। नदी को वर्तमान में तकनीकी रूप से शिफ्ट किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। नदी को बगैर वहां से विस्थापित किये नहर को पुनर्स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम मुडिया मुकर्रमपुर में निर्माणाधीन मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक

60-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम-मुड़िया मुकर्रमपुर में 260 एकड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन मेगा फूड पार्क तय समय अवधि में पूर्ण करायेगी तथा इस मेगा फूड पार्क में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु सरकार की प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत मेगा फूड पार्क सम्बन्धित योजना संचालित की जा रही है। मेगा फुड पार्क की स्थापना हेतु न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 50 से 100 एकड़ है जिसमें कम से कम 30-35 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिनमें कुल रु0 250 करोड़ का निवेश हो और उनका वार्षिक टर्न ओवर रु0 450 से 500 करोड़ हो, स्थापित होनी चाहिये। इन इकाईयों द्वारा लगभग 30000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होना चाहिए। योजनान्तर्गत पात्र परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 50 करोड़ अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। सम्पदा योजना सम्बन्धी पूर्ण विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक उद्यमी/संस्था उक्त वेबसाईट पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

जी हॉ, अधिसूचना संख्या-33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक 27-10-2017 द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 घोषित की गयी है, जिसके अनुसार भारत सरकार की प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क

परियोजनाओं, जिसमें न्यूनतम पूंजी निवेश रु0 50 करोड़ या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के नगर पंचायत फरीदपुर में आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने एवं निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच कराने विषयक

61-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत फरीदपुर में आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु बहुमंजिला भवनों का काम प्रगति पर है ? क्या सरकार को जानकारी है कि भवनों में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता अत्यन्त खराब है तथा मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हॉ।

जी नहीं। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा नगर पंचायत फरीदपुर में आसरा आवास योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 द्वारा निर्मित कराये जाने वाले आवासों का सत्यापन कराया गया है, समिति की आख्या में कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक बताया गया है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 18.01.2018 को निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण सामग्री का परीक्षण किया गया है, जो मानक के अनुरूप है।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में उत्तराखण्ड से बहकर आने वाली किच्छा नदी में पिचिंग लगाकर मिट्टी कटान रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक

62-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में उत्तराखण्ड से बहकर आने वाली किच्छा नदी वर्षा ऋतु में अत्यधिक कटान करती है जिससे ग्राम-रजपुरा, मोहम्मदपुर, नरायन-नगला, वाकौली, घमीपुर, राजूनगला की आबादी का बाकी हिस्सा नदी में कट चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पिचिंग लगाकर इन गांवों के कटान को नहीं रोका गया तो भविष्य में इन गांवों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार पिचिंग लगाकर मिट्टी कटान रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम बकौली की आबादी का कुछ भाग पूर्व में कट गया था, जिस पर विगत वर्ष में कटाव निरोधक कार्य कराकर सुरक्षित कर दिया गया है। इस वर्ष ग्राम बकौली में कोई कटान नहीं हुआ है।

शेष ग्रामों की आबादी का क्षेत्र क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। विभाग द्वारा कटान निरोधक कार्य आवश्कतानुसार कराये जाते रहते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम टेहरा के बरई नदी तथा ग्राम खमरिया के बहगुल नदी पर पक्का बांध निर्माण कराने हेतु

63-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम-टेहरा में बरई नदी तथा ग्राम-खमरिया में बहगुल नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा कच्चा बांध बनाया जाता था जिससे निकली नहरों द्वारा फसलों की सिंचाई होती थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि सन् 1990 के बाद यह कच्चे बांध विभाग द्वारा नहीं बनवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में पक्के बांधों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्ष 1993-94 से पूर्व प्रतिवर्ष वर्षा के पश्चात 15 दिसम्बर से 15 जून तक ग्राम टेहरा में बरौर नदी तथा ग्राम खमरिया में बहगुल नदी पर अस्थाई रूप से कच्चा बन्धा बनाकर कृषकों को जलापूर्ति की जाती थी। वर्ष 1993-94 के पश्चात यह अस्थाई बन्धे नहीं बनाये जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण विगत वर्षों में नदियों में अप्रत्याशित रूप से पानी का कम होना तथा सिंचाई शुल्क के रूप में नगण्य राजस्व प्राप्त होना पाया गया। इन अस्थाई बन्धों के निर्माण में लाखों रूपये का व्यय होता था। बंधों के निर्माण में लाभ लागत अनुपात कम होने के कारण तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं पायी गयी, जिसके कारण अस्थाई बन्धों का निर्माण बन्द कर दिया गया।

वर्तमान में ग्राम टेहरा में बरौर नदी पर एवं ग्राम खमरिया में पश्चिमी बहगुल नदी पर पक्के रेगुलेटर के निर्माण की परियोजना पुनः तैयार की जा रही है, जिसे आगामी मुख्य अभियन्ता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच नगर में जाम की समस्या के समाधान के लिए बहराइच गोण्डा रोड से लखनऊ रोड तक बाईपास बनाने विषयक

64-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगर में ट्रैफिक जाम होने से आम आदमी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाम की इस समस्या से निपटने के लिए बहराइच शहर के बाहर बहराइच गोण्डा रोड से लखनऊ रोड तक बाईपास बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

बहराइच नगर में ट्रैफिक जाम होने से आवागमन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

बहराइच शहर के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा तैयार की गई बहराइच महायोजना-2031 में बहराइच नगर के बाहर से एक रिंग रोड के निर्माण का प्रस्ताव सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने विषयक

65-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या इसे नगर पंचायत बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर पंचायत पयागपुर बनाये जाने हेतु अनन्तिम अधिसूचना संख्या-2833/9-1-16-36 नियम-13, दिनांक 30-01-2017 निर्गत की गयी।

नगर पंचायत सृजन की अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के वि0स0 क्षेत्र आलापुर के किसानों के भण्डारण की समस्या के सम्बन्ध में

66-श्रीमती अनीता-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों के भण्डारण की समस्या के निदान हेतु जहांगीरगंज, रामनगर, राजे सुल्तानपुर में आधुनिक शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-007820, दिनांक 16-10-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

जी हॉ।

जहांगीरगंज, रामनगर व राजे सुल्तानपुर में आधुनिक शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) स्थापित किये जाने हेतु न किसी सहकारी संस्था के पास भूमि उपलब्ध है और न ही धन उपलब्ध है। अतः सहकारिता विभाग द्वारा इन बाजारों में आधुनिक शीतगृह स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में पिकिया नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में

67-श्रीमती अनीता-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सराय हंकार और कमालपुर ग्राम के बीच पिकिया नदी पर पुल का निर्माण कराये

जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-337, दिनांक 20-12-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सराय हंकार और कमालपुर ग्राम के बीच पिकिया नदी पर प्रस्तावित स्थल से 1.50 कि0मी0 की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में दीर्घ सेतु पूर्व से निर्मित है, इसलिए प्रस्तावित स्थल पर सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के प्रचलित नीति में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर की अवशेष सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराने विषयक

68-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र में मेरठ-दिल्ली रोड गाजियाबाद जनपद के पिलखवा से धौलाना, एन0टी0पी0सी0 दादरी से होते हुए जी0टी0 रोड दादरी जाने वाली सड़क का गाजियाबाद जनपद के हिस्सा का चौड़ीकरण हो गया है तथा अवशेष गौतमबुद्ध नगर की सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार गौतमबुद्ध नगर के अवशेष भाग के चौड़ीकरण का कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 24.40 कि0मी0 है, जिसमें पिलखुआ से धौलाना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की लम्बाई 11.55 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7 मी0 है, जो जनपद गाजियाबाद में न होकर जनपद हापुड़ के अन्तर्गत है इसके आगे जनपद गौतमबुद्धनगर मे चैनेज 00 से 0.500 कि0मी0 मार्ग की चौड़ाई 5.50 मीटर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधीन है और चैनेज 0.50 से 2.20 कि0मी0 तक चौड़ाई 3.75 मीटर लोक निर्माण विभाग के अधीन ग्रामीण मार्ग है। चैनेज 2.20 से 12.85 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7.00 मीटर, एन0टी0पी0सी0 के स्वामित्व में सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग है। लोक निर्माण विभाग के अधीन 1.70 कि0मी0 लम्बाई व 3.75 मीटर चौड़ाई का ग्रामीण श्रेणी मार्ग होने के कारण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की चौड़ीकरण हेतु प्रचलित किसी भी योजना में आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कुल निर्मित शौचालयों की संख्या एवं अपूर्ण शौचालयों को पूर्ण कराने विषयक

69-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु वर्तमान में कितने पात्र आवेदक हैं, कितनों की प्रथम

किश्त जारी हुई है, कितनों की द्वितीय किश्त जारी हुयी है तथा कितने शौचालय पूर्ण हो गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि कुल ऐसे कितने आवेदन है, जो जांच के लिये लम्बित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पात्रता श्रेणी के व्यक्तिगत शौंचालय को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु वर्तमान में 9755 आवेदक पात्र पाये गये हैं। कुल 5765 आवेदकों को प्रथम किश्त की धनराशि जारी की जा चुकी है। कुल 2540 आवेदकों को द्वितीय किश्त की धनराशि जारी हुई है। उक्त के सापेक्ष कुल 2540 शौचालय पूर्ण हो गये है।

कुल 1654 आवेदकों के आवेदन जाँच हेतु लम्बित है।

व्यक्तिगत शौचालयों की पात्रता की श्रेणी में चिन्हित आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार शौचालय हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा प्रथम किश्त की धनराशि का उपभोग हो जाने पर द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कर शौचालय के निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों हेतु बनाये जा रहे आवासों हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

70-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद नगर में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों हेतु बनाये जा रहे 454 आवासों की अवशेष धनराशि को अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-5 नं0 452910, दिनांक 20-07-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हॉ।

जनपद-फिरोजाबाद में राजीव आवास योजनान्तर्गत प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही शासन स्तर से अवमुक्त कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 67 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

71-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 67 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 की द्वितीय किश्त जारी न होने के

कारण एस0टी0पी0 का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होकर अवरुद्ध है ? क्या सरकार अवगत है कि सीवर लाइन के गृह संयोजन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत रुपये 80.00 करोड़ स्वीकृत एवं रुपये 6.81 करोड़ की धनराशि अवमुक्त होकर वर्तमान में क्रियान्वित किये जा रहे सीवर लाइन के गृह संयोजनों का लाभ नगरवासियों को एस0टी0पी0 एवं मेन पंम्पिंग स्टेशन के कार्य पूरा होने पर ही मिल सकेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद सीवरेज योजना पूर्ण करने हेतु एस0टी0पी0 निर्माण की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने एवं मेन पम्पिंग स्टेशन, राइजिंग मेन आदि कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिये तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति देने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

फिरोजाबाद नगर में सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 67 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 की निर्धारित लागत रु0 16774.79 लाख में से रू0 13929.43 लाख क धनराशि पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रु0 2845.36 लाख में से रु0 2027.04 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

जी हॉ।

उपरोक्त परियोजना का पुनरीक्षण 02 बार हो चुका है। तृतीय पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित औद्योगिक इकाइयों में अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 तथा मै0 कनौड़िया सीमेंट में वायु प्रदूषण की जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में

72-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित औद्योगिक इकाइयों मै0 अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 तथा मै0 कनौड़िया सीमेंट की वायु प्रदूषण की जांच दिनांक 01-04-2017 से 31-12-2017 के मध्य कितनी बार की गयी है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-21/22 के प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति प्रदान करते समय यह शर्त लगायी जाती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से वायु गुणता अनुश्रवण कराकर बोर्ड में प्रस्तुत करें।

उक्त शर्त के अनुपालन में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से चिमनी उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण मै0 अल्ट्राटेक सीमेण्ट लि0 द्वारा दिनांक 15-12-2017 एवं 16-12-2017 तथा

मै0 कनोडिया सीमेण्ट द्वारा दिनांक 12-06-2017 एवं दिनांक 14-12-2017 को कराया गया जिसमें वायु गुणता मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

प्रदेश में मानक के विरुद्ध बन रही सड़कों की जांच कराने विषयक

73-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानक के विरुद्ध बन रही सड़कों की जांच उच्चस्तरीय कमेटी से कराकर दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

मार्गो पर गुणवत्ता जांच हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से नियमित निरीक्षण किया जाता है। समय-समय पर उच्चस्तरीय स्टेट लेबल निरीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय एवं क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर गठित टेक्निकल आडिट सेल के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में टेक्निकल आडिट टीम भेजकर निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच करायी जाती है। गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ एवं गाजियाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करने विषयक

74-श्री असलम अली-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ व गाजियाबाद जो ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों से 8 से 10 गांव को जोड़ते हैं गड्ढा युक्त जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों को गड्ढा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद हापुड़ एवं गाजियाबाद में विभिन्न श्रेणी के मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद हापुड़ :-

मार्ग की श्रेणी	कुल लम्बाई (किमी0)	गड्ढामुक्त की गयी लम्बाई (किमी0)	वर्तमान में गड्ढायुक्त लम्बाई (किमी0)
राज्य मार्ग	18.86	5.86	0
प्रमुख जिला मार्ग	74.02	42.40	10.90
अन्य जिला मार्ग	249.82	103.20	0
ग्रामीण मार्ग	145.13	279.94	0
योग	**1087.83**	**431.40**	**10.90**

जनपद गाजियाबाद :-

मार्ग की श्रेणी	कुल लम्बाई (किमी0)	गड्ढामुक्त की गयी लम्बाई (किमी0)	वर्तमान में गड्ढायुक्त लम्बाई (किमी0)
राज्य मार्ग	0	0	0
प्रमुख जिला मार्ग	12.50	5.50	0
अन्य जिला मार्ग	239.77	75.70	3.50
ग्रामीण मार्ग	725.94	153.02	29.79
योग	**978.21**	**234.22**	**33.29**

उपरोक्त गढ्डायुक्त किमी0, नवीनीकरण/विशेष मरम्मत में स्वीकृत हैं, जिन्हें मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हापुड़ के ग्राम खचरा में हिन्दुस्तान कोका कोला विवेरजीस प्रा0लि0 से होने वाले प्रदूषण की जांच एवं कार्रवाई विषयक

75-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के ग्राम खचरा में, हिन्दुस्तान कोका कोला विवेरजीस प्रा0लि0 से निकलने वाला गन्दा पानी जो आबादी में भर जाता है जिससे बीमारियां फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

जनपद हापुड़ में स्थित मैसर्स कोका कोला बेवरीज प्रा0लि0, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, जिला हापुड़ द्वारा कोल्ड ड्रिंक एवं फ्रूट जूस का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं । दिनांक 21.11.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रश्नगत उद्योग के किये गये निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा निस्तारित उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है। उद्योग का शुद्धिकृत उत्प्रवाह यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ड्रेन के माध्यम से हसनपुर नाले में निस्तारित किया जाता है, जो अंततः हिण्डन नदी में मिलता है। पुनः दिनांक 13-02-2018 को ग्राम-खिचड़ा का सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें पाया गया है कि ग्राम-खिचड़ा में एक तालाब स्थित है, जो ग्राम से तीन ओर से घिरा हुआ है। ग्राम का घरेलू पानी तालाब में आता है। तालाब से जल निकासी नहीं है। तालाब में जलकुम्भी पूरी तरह से भरी पायी गयी। उक्त तालाब में मैसर्स कोका कोला बेवरीज प्रा0लि0, एम0जी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, जिला-हापुड़ के उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के ग्राम देहया में एन0एच0-24 से आने वाले सम्पर्क मार्ग पर टूटी पुलिया की मरम्मत के सम्बन्ध में

76-श्री असलम अली-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के ग्राम देहपा में एन0एच0-24 से आने वाला सम्पर्क मार्ग पर पुलिया टूटी होने से सम्पर्क मार्ग पर तकरीबन 10 गांवों के क्षेत्रवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का पुनः निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद हापुड़ के ग्राम देहपा में एन0एच0-24 से आने वाले सम्पर्क मार्ग पर पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नई पुलिया का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में निर्मित पानी की टंकियों के सम्बन्ध में

77-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, चित्रकूट द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोन्धित मेरे पत्र दिनांक 26-11-17 के क्रम में सूचित किया गया है कि जनपद चित्रकूट में कुल निर्मित पानी की टंकियों में से कितनी चालू तथा कितनी बंद हैं ? क्या सरकार उक्त जनपद में चालू तथा बंद टंकियों की अलग-अलग सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद चित्रकूट में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल निर्मित पानी की टंकियां 174 नग है, इनमें से 137 नग पानी की टंकिया चालू हैं तथा 37 नग पानी की टंकिया बंद है।

हॉ।

प्रश्न नहीं उठता है।

सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम बेनी माधवपुर के जल मग्न जमीन से पानी निकासी हेतु नाले का निर्माण कराने विषयक

78-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम बेनीमाधवपुर में शारदा सहायक के उत्तर सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न है ? यदि हां, तो वहां पर ड्रेन/नाला खुदवाकर किसानों की जमीन को सीपेज मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हॉ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक पोषक नहर शारदा बैराज, शारदानगर से निकलती है। इसका शीर्ष पर परिकल्पित डिस्चार्ज 27000 क्यूसेक है। यह नहर जनपद सीतापुर में लहरपुर, बिसवॉ, महमूदाबाद तहसील से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में शारदा सहायक पोषक नहर की सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ का काफी क्षेत्र सीपेज के कारण प्रभावित रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नहर के लगातार चलने के कारण नहर के दोनों तरफ कुछ भागों में भूगर्भ जल स्तर जमीन की सतह पर आ गया है।

लखनऊ के गोमती नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त बैराज की मरम्मत कराने विषयक

79-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में गोमती नदी पर स्थित गोमती बैराज पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण छोटे वाहनों व भारी वाहनों का प्रवेश इस पुल पर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल की मरम्मत कर कब तक संचालित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में गोमती नदी पर स्थित गोमती बैराज पुल क्षतिग्रस्त नहीं है, अपितु इसके दोनों तरफ के एप्रोच की सड़क कुछ लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे जी0एस0बी0 (ग्रन्यूलर सब बेस) लेयर डालकर छोटे वाहनों के लिए पूर्व में ही खोल दिया गया था। वर्तमान में इसके अवशेष कार्यो को भी पूर्ण कराते हुए बिटुमिन की सड़क बनायी जा चुकी है एवं दिनांक 21-02-2018 से इस पर यातायात सुगमतापूर्वक संचालित हो रहा है।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सुमली नदी के विलासपुर घाट पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में

80-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुमली नदी के विलासपुर घाट पर वर्ष 2016-17 में पुल बनाये जाने हेतु नाबार्ड में प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पुल की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नाबार्ड में प्रस्तावित था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सीतापुर महमूदाबाद, सिधौली की सड़कों का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में

81-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के तम्बौर, महमूदाबाद, महमूदाबाद-सिधौली तथा महमूदाबाद की सड़कों के चौड़ीकरण/उच्चीकरण का स्वीकृत कार्य का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सीतापुर में तम्बौर महमूदाबाद मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण कार्य शासनादेश सं0-56/2016/289(1)/23-11-2015-1/2(90)/15, दिनांक 18-03-2016 द्वारा रु0 3450.73 लाख एवं शासनादेश सं0-297/2016/144 ई/23-11-2016-1/2(127)/16, दिनांक 23-11-2016 द्वारा रु0 4053.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

महमूदाबाद सिधौली मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण कार्य शासनादेश सं0-53/2016/288(1)/23-11-2015-1/2(91)/15, दिनांक 18-03-2016 द्वारा रु0 4142.38 लाख एवं शासनादेश सं0-286/2016/131(1)/23-11-2016-1/2(132)/16, दिनांक 17-11-2016 द्वारा रु0 2196.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

इसके अतिरिक्त बिसवां-सरैया-महमूदाबाद मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण कार्य शासनादेश सं0-04/2016/229/23-12-2016 जी0आई0-23/16, दिनांक 30-03-2016 द्वारा रु0 5639.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उक्त मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, इन्हें पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

82-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[02सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

83-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[दिनांक 13-03-2018 को अता0प्र0सं0-58 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत नावा मार्ग से चौरही पुलिया होते हुए बलिया गाजीपुर तक के मार्ग की मरम्मत कराने हेतु

84-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत नावा मार्ग से निजामपुर चौरही पुलिया होते हुए बलिया-गाजीपुर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गाजीपुर घाट से सरैया तक मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

85-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत घाट से सरैया तक की 2 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग के आबादी भाग में जलभराव होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त था जिसकी मरम्मत करा दी गयी है। मार्ग सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत बघौल से भगौतीपुर तक सड़क मार्ग का शून्य से लेपन स्तर तक का कार्य कराने विषयक

86-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत बघौल से भगौतीपुर तक की सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का शून्य से लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित मार्ग बघौल से भगौतीपुर के मध्य कच्चा मार्ग है, परन्तु बघौल व भगौतीपुर अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से संतृप्त है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में लहसुन उत्पादन से सम्बन्धित इकाई स्थापित कराने विषयक

87-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में काम आने वाले लहसुन का प्रदेश सरकार ने कोई समर्थन मूल्य घोषित किया है? यदि हां, तो क्या है ? क्या सरकार सर्वाधिक लहसुन उत्पादक जनपद मैनपुरी में उपरोक्त से सम्बन्धित कोई इकाई स्थापित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर विभिन्न प्रकार की रियायतें एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें लहसुन आधारित उद्योग शामिल हैं। इस नीति के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र के निवेशक लहसुन आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव के विभिन्न गांवों के मार्गों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण करने विषयक

88-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव के ग्राम गढ़मऊ के रेलवे क्रासिंग से ग्राम पालर गौरारी लेवा होते हुये अतबेई, मुड़ेई, छिनौरा तक ग्राम टांकोरी रेलवे फाटक से ग्राम पालर तक, ग्राम अम्बावाय से लंकारा, आरी, बरगढ़, मवई गिर्द, खिरिया पाली होते हुये रनगुवा तक, ग्राम रनगुवा, बावल टांडा होते हुये गांधीनगर तक तथा परीक्षा चौकी से ग्राम रिछौरा तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का चौड़ीकरण कराते हुये सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-ग्राम गढ़मऊ के रेलवे क्रासिंग से ग्राम पालर गौरारी लेवा होते हुये अतपेई, मुडेई, छिरौना सम्पर्क मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 21.00 किमी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

2-ग्राम टांकोरी रेलवे फाटक से ग्राम पालर तक सम्पर्क मार्ग-यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में मार्ग पर चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक के अनुपात में यातायात घनत्व उपलब्ध नहीं है अतः मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

3-ग्राम अम्बावाय से लंकारा, आरी, बरगढ़, मवई गिर्द, खिरिया पाली होते हुये रनगुवा तक सम्पर्क मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 22.600 किमी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है। वर्तमान में ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है। मार्ग के किमी0 1 से 12 एवं 22(300) से 23(600)

की दशा संतोषजनक है। किमी0 13 से 18 तक मार्ग की दशा खराब है, जिसकी विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग के किमी0 19 से 22(700) कुल लम्बाई 3.700 किमी0 में विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त है, जिसको मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

4-ग्राम रनगुवा, बावल टांडा होते हुये गांधीनगर तक सम्पर्क मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है। वर्तमान में ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

मार्ग के किमी0 1 से 5 तक की दशा संतोषजनक है। मार्ग के किमी0 6, 7 में विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

5-पारीछा चौकी से ग्राम रिछौरा तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-इस मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग का स्वामित्व लो0नि0वि0 का नहीं है, अपितु पारीछा थर्मल पावर कारपोरेशन का है। अतः लोक निर्माण विभाग के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव के विभिन्न ग्रामों में मार्गों के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

89-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव के ग्राम निवी से खिरियाराम, नरी होते हुये सिमथरी तक, ग्राम छिनौरा से नरी एवं निवी होते हुये भाण्डेर रोड म0प्र0 की सीमा तक ग्राम-रमपुरा से चन्दवारी होते हुये टहरौली तहसील तक तथा ग्राम बंगरा बंगरी से फूलखिरिया होते हुये ग्राम दिनैरी तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का चौड़ीकरण कराते हुये सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-निवी से खिरियाराम व नरी होते हुये सिमथरी तक सम्पर्क मार्ग में दो मार्ग सम्मिलित हैं :-

(1) निवी से खिरियाराम मार्ग लम्बाई 1.50 कि0मी0 कच्चे स्तर का मार्ग है। निवी ग्राम चिरगांव भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 5 में स्थित है। खिरिया ग्राम की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से कम है। अतः इस मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) निवी से नरी होते हुये सिमथरी मार्ग लम्बाई 5.00 कि0मी0 कच्चे स्तर का मार्ग है। ग्राम निवी एवं ग्राम सिमथरी पूर्व में ही चिरगांव भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः निवी से खिरियाराम नरी होते हुये सिमथरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

2-ग्राम छिरौना से नरी एवं निवी होते हुये भाण्डेर रोड मध्य प्रदेश की सीमा तक (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण)-इस मार्ग की लम्बाई 5.200 कि0मी0 है। यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है जिसकी लेपित सतह की चौड़ाई 7.00 मी0 है। मार्ग की वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक है।

3-ग्राम रमपुरा से चन्दवारी होते हुये टहरौली तहसील तक सम्पर्क मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है जिसकी लम्बाई 7.00 कि0मी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 से 3.75 मीटर है। मार्ग की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में ग्रामीण मार्ग का पी0सी0यू0 कम होने के कारण चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

4-ग्राम बंगरा बंगरी से फूलखिरिया होते हुये ग्राम दिनेरी तक (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण)-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है जिसकी लम्बाई 5.50 कि0मी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है। मार्ग की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में ग्रामीण मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ब्लाक बबीना के विभिन्न ग्रामों में मार्गों के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

90-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बबीना के ग्राम बल्लमपुर (बलौरा), मथुरापुरा से रामपुर खजराहा बुजुर्ग होते हुये ग्राम सिमरावारी तक, हंसारी रोड से ग्राम बल्लमपुर, चमरौआ, मरारी होते हुये ग्राम बैदोरा तक तथा बबीना नगर में बने चर्च से खाड़ी होते हुये बुड़पुरा हीरापुरा तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का चौड़ीकरण कराते हुये सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में वर्णित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम बल्लमपुर (बलौरा), मथुरापुरा से रामपुर खजराहा बुजुर्ग होते हुये ग्राम-सिमरावारी (आरा मशीन) तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

प्रश्नगत मार्ग की ल0 20.5 किमी0, जिसमें 03 मार्ग सम्मिलित हैं-

1-(क) बल्लमपुर (बलौरा), मथुरापुरा से रामपुर खजराहा खुर्द-इस मार्ग की ल0 9.80 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी स्थिति संतोषजनक है। वर्तमान में ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

(ख) खजरहाखुर्द से रक्सा-टूंका-बैदोरा मार्ग के किमी0 25 तक-इस मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी स्थिति संतोषजनक है। वर्तमान में ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

(ग) रक्सा-टूंका-बैदोरा मार्ग के किमी0 25 से खजराहाबुजुर्ग होते हुये ग्राम-सिमरावारी (आरा मशीन) तक-इस मार्ग की लम्बाई 9.700 किमी0 है, जो अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की सतह की चौड़ाई 3.70 मीटर है। मार्ग की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। इस मार्ग को डेढ़ लेन (3.70 मीटर से 5.50 मीटर) करने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-हंसारी रोड से ग्राम बल्लमपुर, चमरौआ, मुरारी होते हुये ग्राम-बैदोरा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 17.00 किमी0 है तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है। प्रश्नगत मार्ग झांसी-बबीना के किमी0 7 से बल्लमपुर, मथुरापुरा, चमरौआ, मुरारी होते हुये बैदोरा को जाती है। प्रश्नगत मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। इस मार्ग को डेढ़ लेन (3.70 मीटर से 5.50 मीटर) करने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3-बबीना नगर में बने चर्च से खाड़ी होते हुये बड़्पुरा-हीरापुर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-प्रश्नगत मार्ग में दो मार्ग सम्मिलित हैं-

(1) बबीना से खाड़ी, (2) हीरापुर-बुड़पुरा सम्पर्क मार्ग।

1-बबीना से खाड़ी-प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 9.00 कि0मी0 तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मीटर है। प्रश्नगत मार्ग झांसी-बबीना (अ0जि0मा0) के किमी0 26 से चर्च होते हुये खाड़ी को जाता है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, झांसी द्वारा कराया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2-हीरापुर-बुड़पुरा मार्ग-प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। जिसकी लम्बाई 9.10 किमी0 है तथा लेपित सतह की चौड़ाई 3.70 मीटर है। प्रश्नगत मार्ग बबीना-खाड़ी मार्ग से निकलकर बुड़पुरा होते हुये हीरापुर को जाता है। प्रश्नगत मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। इस मार्ग को डेढ़ लेन (3.70 मीटर से 5.50 मीटर) कराने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव में विभिन्न नदियों पर रपटा पुल बनवाये जाने हेतु

91-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव के ग्राम लेवा में भादई नदी पर रपटा पुल एवं ग्राम बराटा पर बेतवा नदी पर रपटा पुल न होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में रपटा पुल बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम लेवा में भादई नदी पर रपटा पुल-लेवा से पचार हेतु कच्चे मार्ग के संरेखण पर विषयगत ग्राम लेवा में भादई नदी पर रपटा पुल की लम्बाई 70 मी0 होगी। रपटे के निर्माण हेतु अनुमानित लागत रु0 140.00 लाख की आवश्यकता होगी, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम बराठा पर बेतवा नदी पर रपटा पुल-ग्राम बराठा पर बेतवा नदी पर बड़ागांव भसनेह मार्ग (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0 3 में बराठा घाट पर नदी का स्पान एवं पानी का बहाव अधिक होने से रपटा पुल बनाया जाना उचित नहीं होगा अपितु उक्त स्थान पर दीर्घ सेतु बनाये जाने की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 18 कि0मी0 की दूरी पर झांसी-मिर्जापुर मार्ग पर 562.80 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है तथा डाउन स्ट्रीम में 24 कि0मी0 की दूरी पर ध्वानी-धमना मार्ग पर 630.00 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। प्रस्तावित दीर्घ सेतु की लम्बाई 585.20 मी0 होगी, जिस हेतु कुल लागत रु0 5843.62 लाख आंकलित होती है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव में ग्राम बराटा घाट से गरौठा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

92-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव के ग्राम बराठा घाट से भसनेह से गरौठा तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

बराठा घाट से भसनेह सम्पर्क मार्ग होते हुये गरौठा तक मार्ग की कुल लम्बाई 50.600 किमी0 है, जिसके अन्तर्गत मार्ग के संरेखण में जनपद-झांसी के दो मार्ग सम्मिलित हैं।

बड़ागांव भसनेह मार्ग-यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 47.600 किमी0 है। मार्ग के चैनेज 0.000 किमी0 से 29.000 किमी0 तक की दशा संतोषजनक है। मार्ग के चैनेज 29.000 किमी0 से 47.660 किमी0 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत होकर प्रगति पर है।

भसनेह से गरौठा तक मार्ग-यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 13.00 किमी0 व चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग के किमी0 8 से 13 तक की दशा संतोषजनक है। मार्ग के किमी0 1 से 7 तक सुदृढ़ीकारण का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में जबरन अपने परिसर से ही खाद्य वस्तु खरीदने के सम्बन्ध में कार्रवाई

93-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के मल्टीप्लेक्स सिनेमा स्वामियों, संचालकों को किसी अधिनियम अथवा उसके द्वारा प्रख्यापित नियमावली के द्वारा कोई ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके द्वारा दर्शकों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा परिसर में बाहर की खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करने की मनाही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ स्थित सहारागंज व फन मॉल व वेब मॉल के भीतर स्थित मल्टीप्लेक्स सिनेमाहाल में दर्शकों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा परिसर में ही स्थित दुकानों से ही एमआरपी से अधिक से अधिक खाद्य वस्तु खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सरकार द्वारा प्रदेश के मल्टीप्लेक्स सिनेमा स्वामियों, संचालकों को मनोरंजन कर विभाग हेतु किसी सुसंगत अधिनियम अथवा उसके द्वारा प्रख्यापित नियमावली के द्वारा कोई ऐसा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, जिसके द्वारा दर्शकों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा परिसर में बाहर की खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करने की मनाही हो, परन्तु उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम-13 के प्राविधानों के अनुसार मल्टीप्लेक्स सिनेमाओं को मानकों के अनुसार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रबंधतंत्र द्वारा गुटका, पान मसाला एवं तम्बाकू आदि के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बाह्य खाद्य पदार्थों को ऑडिटोरियम के अन्दर ले जाने से रोका जाता है।

संदर्भित मल्टीप्लेक्सों में एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर खाद्य या पेय पदार्थों को बेचने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सुसंगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुख्यालय शामली को जाम से बचाने हेतु बाईपास के निर्माण विषयक

94-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय शामली को प्रतिदिन के जाम से बचाने हेतु स्थानीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित बाईपास के प्रस्ताव को सरकार मंजूरी देगी ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली के कितने मार्ग दिनांक 30-01-2018 तक गड्ढायुक्त कर दिये गये हैं तथा कितने मार्ग अभी तक गड्ढामुक्त नहीं हुये हैं ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत मार्ग हेतु बाईपास निर्माण के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। कार्यवाही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जानी है।

जनपद शामली में लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 146 मार्गों के (लम्बाई 308.70 कि0मी0) गड्ढ़ामुक्ति हेतु चयनित थी, जिन्हें गड्ढामुक्त किया जा चुका है तथा 39 मार्ग विशेष मरम्मत/नवीनीकरण हेतु स्वीकृत हैं, जो वर्तमान में प्रगति में है। पैच मरम्मत का कार्य दिनांक 30-01-2018 तक शत-प्रतिशत पूर्ण है।

प्रदेश में ई-टेन्डरिंग में निविदा स्वीकार करने से पहले बाजार दर का अध्ययन करने विषयक

95-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ई-टेन्डरिंग व्यवस्था में बाजार दर से भी कम दर पर निविदा डालने वाले निविदाकर्ताओं के कार्यों/आपूर्ति में गुणवत्ता प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार निविदा स्वीकार करने के पहले बार दर का अध्ययन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ई-टेण्डरिंग व्यवस्था में विभागीय दर से भी कम दर पर निविदा डालने वाले निविदाकर्ताओं के कार्यों/आपूर्ति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अतिरिक्त सिक्योरिटी/बैंक गारण्टी लिये जाने की व्यवस्था है।

जनपद इलाहाबाद से मिर्जापुर तक बन रहे फोर लेन मार्ग के निर्माण के दौरान काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाने विषयक

96-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद से मिर्जापुर सड़क को फोर लेन बनाने में कितने आम और महुआ के हरे वृक्षों को काटा गया है ? क्या यह सही है कि सरकार वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिये काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्षों का रोपड़ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद-इलाहाबाद से मिर्जापुर सड़क के चौड़ीकरण के फलस्वरूप आम के कुल 211 वृक्ष और महुआ के 193 वृक्ष काटे गये हैं।

जी हां।

सड़क चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के भूतनाथ मार्केट स्थित आवास संख्या बी-417 व 409 तक की नालियों को ढकने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु

97-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के भूतनाथ मार्केट स्थित आवास संख्या-बी-417, बी-409 तक की नालियां खुली होने के कारण वहां कूड़ा फेंका जाता है जिससे वर्षा में जल निकासी में दिक्कत होती है और वहां स्थित आवासों में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त नालियों की सफाई कराकर नालियों को ढकने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

जी नहीं, नालियां कम चौड़ी होने के कारण ढकने से नियमित सफाई कराने में कठिनाई होती है। अतः नाली ढकने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के आवास संख्या-1 स्टार कालोनी, पटेल नगर व सेन्ट्रल अकेडमी के पीछे वैशाली एनकलेव की नालियों की सफाई कराने एवं स्टार पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु

98-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास संख्या-1 स्टार कालोनी पटेल नगर सेन्ट्रल अकेडमी के पीछे निकट वैशाली एन्क्लेव लखनऊ में नाली भरी होने के कारण नाली का पानी सड़क पर बहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली की सफाई करायेगी तथा उक्त आवासों के सामने स्थित स्टार पार्क का भी सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

जी हां, नालियों की सफाई नियमित करायी जाती है तथा पार्क सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाईजर्स/सोसायटीज द्वारा अनियोजित ढंग से बसायी गयी कालोनी है, जिसका कोई भी तलपट/भू-विन्यास मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अनियोजित रूप से बसायी गयी कालोनी में किसी भी प्रकार का विकास कार्य कराये जाने का प्राथमिक दायित्व नगर निगम का नहीं है। प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में है, के दृष्टिगत जनहित में समय-समय धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के एल्डिको ग्रीन्स कालोनी के आवास संख्या-290 से 350 तक एल0ई0डी0 लाइट लगाने विषयक

99-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमतीनगर, एल्डिको कालोनी में कितनी स्ट्रीट लाइट को बदल कर एल0ई0डी0 लाइट लगा दी गयी है ? क्या सरकार आवास संख्या-290 से आवास संख्या-350 तक एल0ई0डी0 लाइट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

गोमती नगर में स्थित एल्डिको ग्रीन्स कालोनी में कुल 91 परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को परिवर्तित कर एल0ई0डी0 लाइट स्थापित करायी गयी है।

गोमती नगर में स्थित एल्डिको ग्रीन्स कालोनी में भवन संख्या-290 से 350 तक स्थापित समस्त पोलों पर एल0ई0डी0 फिटिंग स्थापित करा दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित आवास संख्या-1, स्टार कालोनी पटेल नगर, इन्दिरानगर के वैशाली एन्क्लेव से सेन्ट्रल अकेडमी सेक्टर-8 तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण हेतु

100-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित आवास संख्या-1 स्टार कालोनी पटेल नगर, सेन्ट्रल अकेडमी इन्दिरानगर के पीछे वैशाली एन्क्लेव से सेन्ट्रल अकेडमी सेक्टर-8 तक का मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को कब तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में जर्जर नहीं है तथा यातायात सुगम रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रामजानकी रोड स्थित रामरेखा नदी में पानी उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाने विषयक

101-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में रामजानकी रोड स्थित पौराणिक महत्व के रामरेखा नदी जो कि सिर्फ 17 किमी0 में है, सिल्ट के कारण सूखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रामरेखा नदी की सिल्ट सूखी हुई नदी में पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

सिल्ट सफाई से सम्बन्धित परियोजना वर्ष 2015 में मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। तकनीकी रूप से साध्य न पाये जाने के कारण समिति द्वारा परियोजना को अस्वीकृत कर दिया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत आने वाली मनोरमा नदी में पानी उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

102-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पौराणिक महत्व की मनोरमा नदी सूख गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

इस प्रकार का कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत आने वाली मांझा क्षेत्र के वी0डी0 बांध का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराने हेतु

103-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मांझा क्षेत्र के वी0डी0 बांध के उच्चीकरण के साथ-साथ चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत बी0डी0 बांध (विक्रमजोत-धुसवा) पर वर्ष 2008-09 में उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। वर्तमान में तकनीकी दृष्टिकोण से उक्त तटबंध के उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत बांध के अधूरे कार्य से प्रभावित ग्रामवासियों के विस्थापन के लिये कार्य योजना विषयक

104-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विक्रमजोत धुसवा (वी0डी0 बांध) के बचे हुये 6 कि0मी0 के निर्माण को पूर्ण कराने हेतु एवं निर्माण से प्रभावित ग्रामवासियों के विस्थापन की सरकार के पास क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत विक्रमजोत-धुसवा तटबंध (बी0डी0 बांध) पूर्ण है।

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत चीनी मिलों के ओवरलोडिंग ट्रकों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में

105-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत सेक्सरिया शुगर फैक्ट्री बिसवां तथा जवाहरपुर चीनी मिल के क्रय केन्द्रों से ओवरलोड ट्रक गन्ना ले के जाते हैं जिससे सड़कें टूटती हैं तथा बिजली की लाइनें भी टूट जाती

हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिलों पर कार्यवाही कर ओवरलोडिंग पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चीनी मिलों द्वारा बाह्य क्रयकेन्द्रों एव मिलगेट पर गन्ने की खरीद की जाती है। जनपद सीतापुर में स्थित चीनी मिल बिसवां एवं जवाहरपुर द्वारा गन्ने की खरीद गन्ना क्रयकेन्द्रों एवं मिलगेट पर की जा रही है।

वाहनों की ओवरलोडिंग का अनुश्रवण तथा उल्लंघन के मामलों में मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्यवाही करने का अधिकार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को प्राप्त है तथा गन्ने की ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सीतापुर ने अपने पत्र दिनांक 17-02-2018 द्वारा अवगत कराया है कि गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की गई जिसके अन्तर्गत गन्ना ढुलाई में लगे 72 ट्रकों को चेक करते हुये 17 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों के शिलापटों पर जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाने के सम्बन्ध में

106-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण शिलापटों पर जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में शिलान्यास एवं लोकार्पण शिलापटों पर जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे जाने हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है। तत्समय शासन द्वारा आवंटित धनराशि (शासकीय धनराशि) वाले कार्यों हेतु दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265सा/2015, दिनांक 24 फरवरी, 2016 के माध्यम से प्राप्त हुये थे, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर निगम कानपुर में संविदा एवं आउटसोर्सिंग से लगाये कर्मचारियों के सम्बन्ध में

107-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम कानपुर में संवदि एवं आउटसोर्सिंग से कितने कर्मचारी लगाये गये हैं कर्मचारियों का वेतन कितना निर्धारित है ? क्या सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम कानपुर द्वारा चयनित संविदा पर 1412, अचयनित संविदा पर 752 एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से 1505 सफाई कर्मचारी को लगाकर सफाई का कार्य कराया जा रहा है।

(अ) चयनित संविदा सफाई कर्मचारियों का वेतन 7000+डी0ए0 (महंगाई भत्ता)

शासनादेश संख्या-3390/9-1-15-66सा/2005 नगर विकास अनुभाग-1, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 के अनुसार-

(ब) आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मचारियों का वेतन 259/-रु0 प्रतिदिन की दर से।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में खुले कूड़ाघरों को व्यवस्थित करने विषयक

108-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में खुले कूड़ा घरों को व्यवस्थित करने या ढंकने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के प्राविधानों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत कुल 6 जोनों में पूर्व संचालित कूड़ा अड्डों की व्यवस्था को समाप्त करते हुये एक-एक स्मार्ट ट्रांसफार्मर स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित है। कार्य की निविदायें आमंत्रित की गयी है। निविदा स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर में उतारी गयी सोडियम लाइटों के सम्बन्ध में

109-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में जो सोडियम और मरकरी लाइट हटा कर एल0ई0डी0 लाइट लगाई गई हैं, उसमें उतारी गई सोडियम लाइटों का क्या प्रयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उतारी गयी लाइटों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इन लाइटों को स्टोर में सुरक्षित रखा जा रहा है।

शासनादेश संख्या-5540/नौ-8-17-37ज/2017 टी0सी0, दिनांक 28-12-2017 के अनुसार नगर निगमों में पूर्व में लगी पारम्परिक लाइट्स के स्थान पर एल0ई0डी0 लाइट्स लगाने के उपरान्त अवशेष परम्परागत स्ट्रीट लाइट्स का निस्तारण निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने के निर्देश हैं।

जनपद कानपुर नगर में लगायी गयी एल0ई0डी0 लाइटों हेतु क्लैम्प व राड के लिये धन के सम्बन्ध में

110-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जो सोडियम व मरकरी लाइट हटा कर एल0ई0डी0 लगाई जा रही है, उसमें क्लैम्प और राड का धन सम्मिलित है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कानपुर नगर में जो सोडियम और मरकरी लाइट हटा कर एल0ई0डी0 लाइटें लगायी जा रही हैं उसमें क्लैम्प और राड का धन सम्मिलित नहीं है।

यदि क्लैम्प और राड (आर्म) क्षतिग्रस्त स्थिति में है तो आवश्यकतानुसार ई0ई0एस0एल0 द्वारा लगाये जायेंगे जिनका वास्तविक मूल्य नगर निगम कानपुर द्वारा देय होगा।

इंटीग्रेटेड ग्रिवान्स रिड्रेसल सिस्टम प्रणाली पर लम्बित प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में

111-श्री चन्द्रपाल कुशवाहा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बांदा का संलग्नकों सहित पत्रांक-88(1)/शिकायत लिपिक बांदा, दिनांक 06 सितम्बर, 2017 जो इंटीग्रेटेड ग्रिवान्स रिड्रेसल सिस्टम प्रणाली पर लम्बित प्रकरण सं0 181157 170291894 का निस्तारण के सम्बन्ध में है, विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 सिडको, बांदा की आख्यानुसार नगर पंचायत बबेरू हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) 2017-18 के अन्तर्गत पेयजल हेतु एक अदद नलकूप का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को प्रेषित कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता 16वां खण्ड उ0प्र0 जल निगम, बांदा द्वारा बबेरू नगर पंचायत के लिये ही दो नग नलकूप निर्माण हेतु प्राक्कलन बना कर मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। प्राक्कलनों की स्वीकृति एवं धनावंटन होने के उपरान्त प्राथमिकता पर नलकूप निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम-लखनपुर में यमुना नदी के दाहिने तट पर 60 क्यूसेक क्षमता वाले सिंह वाहिनी पम्प कैनाल की स्थापना के सम्बन्ध में

112-श्री चन्द्रपाल कुशवाहा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का संलग्नकों सहित पत्र सं0-ख-6 नं0176522, दिनांक 02 जनवरी, 2018 जो जनपद बांदा की तहसील बबेरू के ग्राम लखनपुर में यमुना नदी के दाहिने तट पर 60 क्यूसेक क्षमता वाले सिंहवाहिनी पम्प कैनाल की स्थापना के सम्बन्ध

में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू में केन नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सिंहवाहिनी पम्प कैनाल की स्थापना व्यवहारिक एवं तकनीकी रूप से साध्य नहीं पायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज, पराऊगंज आदि से जल निकासी हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु

113-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0 002664, दिनांक 12-04-2017 जो कि जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज, पराऊगंज एवं चन्दवक बाजार में जल निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कया कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत का मुफ्तीगंज बाजार लखनऊ मांझीघाट राज मार्ग संख्या-36 पर स्थित है व पराउगंज बाजार कुण्डहा-सुजानगंज-मछलीशहर-मडियाँहू-जलालपुर-केराकत-सुल्तानपुर प्रमुख जिला मार्ग संख्या-151 ई पर स्थित है तथा चन्दवक बाजार, वाराणसी, आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 पर स्थित है। मुफ्तीगंज, पराऊगंज एवं चंदवक बाजार में नाली निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धत पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड हलिया के ग्रामों के वाणसागर नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

114-श्री राहुल प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड हलिया के बड़ौहा व उमरिया न्याय पंचायत के ग्रामों को वाणसागर नहर से सिंचाई सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

बाणसागर परियोजना के स्वीकृत प्राविधान एवं मध्य प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये पानी की मात्रा के अनुसार इस परियोजना से अदवा जलाशय, मेजा जलाशय, जिरगो जलाशय को पानी दिया जाना प्राविधानित है, साथ ही साथ इस परियोजना के द्वारा मेजा कोटा पोषक नहर के माध्यम से उपरौध राजवाहा एवं हर्रई नहर प्रणाली तथा लोअर खजुरी नहर को पानी दिया जाना प्रस्तावित है। बाणसागर परियोजना केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से स्वीकृत है। इसके प्राविधानों में कोई

परिवर्तन किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है, क्योंकि परियोजना के समस्त कार्य लगभग पूर्ण किये जा चुके हैं।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत ग्राम सभा बीरमपुर से चंडी माता मन्दिर होते हुये विजईपुर त्रिमुहानी घाट सड़क पर लेपन कार्य हेतु

115-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम सभा वीरमपुर दल्ला के बगीचे से चंडीमाता मंदिर होते हुये विजईपुर त्रिमुहानी घाट तक लेपन कार्य करायेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

बीरमपुर से चंडी माता मन्दिर होते हुये विजईपुर त्रिमुहानी घाट मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 खड़न्जा ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मार्ग पर दो ग्राम बीरमपुर एवं विजईपुर पड़ते हैं, ग्राम सभा बीरमपुर, बीरमपुर कटहरी सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। विजईपुर को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु विजईपुर प्रा0 पा0 कटहरी सम्पर्क मार्ग कि0मी0 2 से विजईपुर घाट पर मार्ग की कुल लम्बाई 3.10 किमी0 एवं लागत रु0 130.93 लाख स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0ख0 ईसानगर के ग्राम ऐरा खमरिया से सरैया होते हुये ईसानगर मार्ग के निर्माण हेतु

116-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद लखीमपुर खीरी विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम ऐरा खमरिया से सरैया होते हुये वाया रामपुर ईसानगर तक पी0एम0जी0एस0आई0 योजना के पूर्व से प्रस्तावित मुख्य मार्ग सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में मार्ग की दशा सामान्य है एवं कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। यातायात की दृष्टि से उक्त मार्ग उपयुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में साधन सहकारी समितियों में एकाउन्टेन्ट व चौकीदारों के कुल रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

117-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में साधन सहकारी समितियों में एकाउन्टेन्ट व चौकीदारों के किन-किन समितियों में कितने-कितने पद रिक्त हैं जिससे किसानों को समय पर खाद, बीज मिलने में दिक्कत होती है ? क्या सरकार वर्ष 2018 में उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जनपद लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित समितियों में उनके सम्मुख वर्णित संख्या के अनुसार आंकिक एवं चौकीदार के पद रिक्त हैं।			
क्र0-सं0	नाम समिति	एकाउन्टेन्ट/आंकिक के रिक्त पद	चौकीदार के रिक्त पद
1	भलिया बुजुर्ग साधन सहकारी समिति लि0	00	01
2	विझौली साधन सहकारी समिति लि0	01	01
3	गनेशपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
4	रुकनापुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
5	कंचनपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0	00	01
6	सरवां किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
7	बसहा किसान सेवा सहकारी समिति लि0	00	01
8	सेवढ़ा साधन सहकारी समिति लि0	01	00
9	बढईडीहा साधन सहकारी समिति लि0	01	00
10	अछनियां किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
11	भूलनपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
12	मदुरी गोपालपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
13	सिसाबा कला साधन सहकारी समिति लि0	01	00
14	नीमगांव साधन सहकारी समिति लि0	01	00
15	शंकरपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
16	बसतौली साधन सहकारी समिति लि0	01	01
17	रमुवापुर साधन सहकारी समिति लि0	00	01
18	भदेउ साधन सहकारी समिति लि0	01	00
19	ग्रान्ट नं0 18 किसान सेवा सहकारी समिति लि0	00	01
20	अलीगंज किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
21	सहाबुद्दीनपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
22	ममरी साधन सहकारी समिति लि0	01	00

नाम समिति		एकाउन्टेन्ट/आंकिक के रिक्त पद	चौकीदार के रिक्त पद
23	अहमदनगर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
24	सिकन्दराबाद साधन सहकारी समिति लि0	00	01
25	लंदनपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
26	मडिहा साधन सहकारी समिति लि0	01	01
27	राजापुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0	00	01
28	गुलौली साधन सहकारी समिति लि0	01	01
29	बगरेठी साधन सहकारी समिति लि0	01	01
30	शिवनगरा साधन सहकारी समिति लि0	01	01
31	इटउवा पुरगवां साधन सहकारी समिति लि0	01	00
32	गोकन साधन सहकारी समिति लि0	01	01
33	सिरौसा साधन सहकारी समिति लि0	01	00
34	फरेन्दा साधन सहकारी समिति लि0	01	01
35	बड़खर किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
36	मूडागालिब किसान सेवा सहकारी समिति लि0	00	01
37	किसान मंगलगंज सेवा सहकारी समिति लि0	01	01
38	खरगापुर साधन सहकारी समिति लि0	00	01
39	पसगवां साधन सहकारी समिति लि0	01	01
40	बनिकागावां साधन सहकारी समिति लि0	01	00
41	किरियारा साधन सहकारी समिति लि0	01	00
42	मोहिउद्दीन किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	01
43	मितौली किसान सेवा सहकारी समिति लि0	00	01
44	कल्लुवामोती साधन सहकारी समिति लि0	01	00
45	सलाहपुर साधन सहकारी समिति लि0	01	00
46	बबीना साधन सहकारी समिति लि0	00	01
47	कस्ता साधन सहकारी समिति लि0	01	00

नाम समिति		एकाउन्टेन्ट/आंकिक के रिक्त पद	चौकीदार के रिक्त पद
48	अबगवां साधन सहकारी समिति लि0	01	00
49	मुरासा साधन सहकारी समिति लि0	01	00
50	सडिलवां साधन सहकारी समिति लि0	00	01
51	उदहरा साधन सहकारी समिति लि0	01	01
52	निंघासन किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
53	खैरीगढ़ साधन सहकारी समिति लि0	01	01
54	नौरंगाबाद साधन सहकारी समिति लि0	01	01
55	ढाका किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	01
56	मरुवा पश्चिम किसान सेवा सहकारी समिति लि0	02	01
57	सिगाही खुर्द किसान सेवा सहकारी समिति लि0	02	01
58	परसपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
59	चन्दन चौकी लैम्प्स	01	00
60	बनकटी लैम्प्स	01	00
61	खगरियां पण्डित किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
62	फिरोजाबाद साधन सहकारी समिति लि0	01	00
63	हसनपुर कटौली साधन सहकारी समिति लि0	00	01
64	चपकहा साधन सहकारी समिति लि0	00	01
65	लखाही किसान सेवा सहकारी समिति लि0	01	00
66	कलुवाकोट साधन सहकारी समिति लि0	00	01
उक्त रिक्तियों के बावजूद किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध करायी जा रही है।			
सहकारी समितियां स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। समिति की आर्थिक स्थिति पर कार्यवाही निर्भर करती है। उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता।			

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत निर्मित बहेड़ी से कताई मिल होते हुए मनुआ पट्टी मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराने विषयक

118-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहेड़ी से मुडिया नवीवक्स मार्ग तथा बहेड़ी से कताई मिल होते हुए मनुआ पट्टी मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मानकों के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है एवं चौड़ीकरण व सुदृढीकरण ठीक से न होने के कारण शीघ्र ही मार्ग क्षतिग्रस्त होने लगा है जबकि अभी कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुनः निर्मित सड़क की उच्चस्तरीय तकनीकी टीम से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत दोनों मार्गो पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं कराया जा रहा है, बल्कि विशेष मरम्मत के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

मार्गों पर पी0सी0 एवं सीलकोट का कार्य मानक के अनुसार हॉटमिक्स प्लांट एवं पेवर द्वारा अभियन्ताओं की देखरेख में कराया जा रहा है। कार्य करते समय गन्ने से भरे भारी वाहनों के आवागमन एवं अत्यधिक शीत भरा मौसम होने के कारण कुछ स्थानों पर सीलकोट उखड़ गया था, जिसे ठेकेदार द्वारा ठीक करा दिया गया है। कार्य अभी प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत रुहेलखण्ड डिवीजन की नहरों को कब्जा मुक्त किये जाने विषयक

119-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रूहेलखण्ड डिवीजन की नहरों में विगत अनेक वर्षों से सिंचाई हेतु पानी नहीं आया है तथा नहरों पर भू-माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जानकारी देगी कि इन नहरों में पानी न आने का क्या कारण है ? क्या उक्त नहरों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था सरकार करायेगी तथा भू-माफियों से नहरी भूमि पर किया गया अवैध कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत माइनर, राजूनगला, बैरमनगर एवं राजवाह दाया उगनपुर के बाढ़ क्षतिग्रस्त रीचों क्रमशः 3.00, 8.41 एवं 10.05 किमी0 के डाउनस्ट्रीम एवं राजवाह दौलतपुर एवं राइट पहा के क्रमशः 8.00 किमी0 एवं किमी0 10.600 के डाउनस्ट्रीम तथा बल्ली नहर में विगत वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त समस्त नहरों पर समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है।

माइनर राजूनगला, राजवाह बैरमनगर एवं राजवाह दाया उगनपुर के क्रमशः किमी0 3.00, 8.41 पर किच्छा नदी एवं किमी0 10.05 पर बहगुल नदी की बाढ़ में कट कर नदी में समाहित हो

गयी एवं बहगुल नदी में आयी बाढ़ के कारण बल्ली नहर के लिये निर्मित खमरिया डैम/रेगुलेट बह गया, जिसके कटान स्थल के नीचे के ग्राम सिंचाई से प्रभावित हुये।

राजवाह दौलतपुर एवं राजवाह राइट पहा पर के0पी0 फीडर का साइफन बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के कारण विगत वर्षों में जल की उपलब्धता कम रही तथा सिंचाई की सुविधा प्रभावित हुई। नहरों के कुछ भाग पर कब्जा है, जिसे चिन्हांकित किया गया है।

माइनर राजूनगला की कुल लम्बाई 6.85 किमी0 है। किच्छा नदी में आई बाढ़ में इस नहर के किमी0 3.00 के डाउनस्ट्रीम में लगभग 4.00 मीटर में एवं अन्य रीचों तथा टेल भाग नदी में समाहित हो गयी है तथा नहर के स्थान पर नदी बह रही है तथा नहर विस्थापित है। राजवाह बैरमनगर की कुल लम्बाई 13.200 किमी0 है। किच्छा नदी में आई बाढ़ में इस नहर के किमी0 8.410 के डाउनस्ट्रीम में नहर कट कर नदी में समाहित हो गयी है तथा नहर के स्थान पर नदी बह रही है। इसके नीचे भी नदी द्वारा कटान किया गया तथा नहर विस्थापित हैं राजवाह दाया उगनपुर की कुल लम्बाई 14.9 किमी0 है। बहगुल नदी में आई बाढ़ में इस नहर के किमी0 10.05 के डाउनस्ट्रीम में लगभग 350 मीटर नहर कट कर नदी में समाहित हो गयी है तथा नहर के स्थान पर नदी बह रही है तथा नहर विस्थापित है।

उक्त नहरों के स्थान पर नदी बहने के कारण, नहरों के पुनः स्थापित कर सिंचाई सुविधा दिया जाना साध्य नहीं है।

बल्ली नहर की कुल लम्बाई 14.600 किमी0 है इस नहर को पोषित करने के लिये बहगुल नदी पर एक्वाडक्ट बना है। बरौर नहर द्वारा इस एक्वाडक्ट के माध्यम से इस खरीफ फसली 1425 एवं रबी फसली 1425 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। बरौर नदी में जल उपलब्धता के अनुसार इस रबी में इस नहर के किमी0 10.00 तक पानी पहुंचाया गया है।

राजवाह दौलतपुर एवं राजवाह राइट पहा को पोषित करने वाली के0पी0 फीडर पर क्षतिग्रस्त साइफन का पुनः निर्माण करा लिया गया है। राजवाह दौलतपुर एवं राइट पहा की कुल लम्बाई 27 किमी0 एवं 29.200 किमी0 है। विगत वर्षों में इन नहरों के क्रमशः किमी0 8.00 एवं किमी0 10.600 तक पानी पहुंचाता था। इस रबी फसली 1425 में विशेष प्रयास कर इन नहरों के क्रमशः किमी0 13.00 एवं किमी0 21.00 तक पानी पहुंचाया गया है।

नहरों के कुछ भागों पर हुये कब्जों का चिन्हांकन करा लिया गया है तथा कब्जा हटाने की कार्यवाही गतिशील है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण डार्क जोन में किसानों को ट्यूबवेल के लिये बिजली के नये कनेक्शन देने के सम्बन्ध में

120-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण डार्क जोन घोषित कर दिया गया है और ट्यूबवेल के लिये नये बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये किसानों को सिंचाई के लिये वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली के अन्तर्गत विकास खण्ड बिनौली एवं छपरौली है। शासनादेश संख्या-01/1208/45/62-1-2018-04आर/2009, दिनांक 10-01-2018 के अनुसार भू-गर्भ जल के परिपेक्ष्य में विकास खण्ड बिनौली अतिदोहित की श्रेणी में विकास खण्ड छिपरौली क्रिटीकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। शासनादेश के अन्तर्गत अतिदोहित एवं क्रिटीकल श्रेणी के विकास खण्डों में नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण पूर्णतया प्रतिबन्धित है। वर्तमान में विकास खण्ड बिनौली में 92 एवं विकास खण्ड छपरौली में 20 राजकीय नलकूप सिंचाईरत हैं, जिनसे कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के सोनौली अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर जाम की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

121-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-सोनौली अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रतिदिन सोनौली में जाम के कारण नेपाल जाने एवं नेपाल से आने वाले व्यवसायिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा यहां की व्यवसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आम जनमानस को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग पर जाम की समस्या के स्थानीय स्तर पर प्रभावी निराकरण हेतु जिलाधिकारी, महराजगंज को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-सहारनपुर में सहारनपुर-चिलकाना मार्ग पर ग्राम हलालपुर के निकट यमुना नहर के ऊपर नया पुल बनाने विषयक

122-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में सहारनपुर चिलकाना मार्ग पर ग्राम हलालपुर के निकट यमुना नहर के ऊपर नया पुल बन चुका है परन्तु अभी तक पहुंच मार्ग न बनने के कारण पुल पर यातायात आरम्भ नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार पहुंच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

नये पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.50 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 125 वृक्षों के पातन की भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ की अनुमति उपरान्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शामली के कैराना नगर पालिका परिषद् के ड्रेनेज वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर सफाई कराने हेतु

123-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् कैराना का प्रदूषित जल ग्राम ममोर, पंजीठ, सहपत, मवी में इकट्ठा हो जाता है जिससे वहां पर एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया है और उपरोक्त गांव का भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका परिषद् कैराना के प्रदूषित जल को ईटीपी प्लांट लगा कर सिंचाई योग्य बनाकर उपरोक्त गांव को इस समस्या से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ग्राम ममोर का भूमिगत जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में कोई प्राधिकृत स्तर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जनहित याचिका संख्या-64017/2015 मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की गयी है, जो अद्यतन मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

नगर पालिका परिषद्, कैराना द्वारा नगरीय क्षेत्र के अवजल को शोधित किये जाने हेतु प्रारम्भिक आगणन तैयार कराया गया था, किन्तु विस्तृत आगणन तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण उ0प्र0 जल निगम द्वारा किये जाने हेतु नगर निकाय से भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की गयी। नगर पालिका परिषद्, कैराना जनपद-शामली द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, जिसके कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो पायी है। नगर निकाय द्वारा तालाब के आंशिक भाग पर एस0टी0पी0 लगाये जाने का प्रस्ताव किया गया है, किन्तु एस0टी0पी0 हेतु आवश्यक भूमि के अभाव में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विस्तृत आगणन तैयार नहीं किया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद से गुजरने वाली नहर एवं बम्बों की सफाई करने हेतु

124-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद से गुजरने वाली नहर एवं बम्बों की सफाई सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद मे रबी 1425 फसली में राजवाहा सकरौली, राजवाहा गिजरौली, राजवाहा बिसाना, राजवाहा कुरसण्डा, राजवाहा जुगसना, राजवाहा खन्दौली, माइनर सहवाजपुर, माइनर तामसी, माइनर सैमरा एवं माइनर दुर्जिया पर कुल 25.260 कि0मी0 में सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा चुका है।

शेष राजवाहा सहपऊ, राजवाहा सादाबाद, राजवाहा दघैटा, राजवाहा बल्देव, माइनर मढ़ाभोज, माइनर बढार, माइनर रदोई, माइनर अवैरनी एवं माइनर कूपा आदि माइनरों/राजवाहों पर सिल्ट सफाई का कार्य धन की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में दिघिया व घोरी डैम को बाणसागर नहर परियोजना से जोड़ने विषयक

125-श्री राहुल प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में दिघिया व घोरी डैम को बाण सागर नहर परियोजना से सरकार जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी, नहीं।

बाणसागर नहर परियोजना, उ0प्र0 केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली भारत सरकार की सिंचाई एवं बाढ़ परामर्शदात्री समिति की 106वीं बैठक में दिनांक 16-09-2010 को रु0 3148.91 करोड़ अनुमोदित की गयी। बाणसागर बांध से 1.00 एम0ए0एफ0 पानी उत्तर प्रदेश को मिलना है, जिसमें 0.78 एम0ए0एफ0 पानी बाणसागर पोषक नहर के माध्यम से व 0.22 एम0ए0एफ0 पानी सोन नदी के माध्यम से उपयोग किया जाना है। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 0.78 एम0ए0एफ0 पानी उपलब्ध जल से जनपद मिर्जापुर एवं इलाहाबाद की 150132 हे0 क्षेत्रफल की सिंचाई की जानी है।

बाणसागर परियोजना के स्वीकृत प्राविधान के अनुसार सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को 71.494 किमी0 लम्बी बाणसागर पोषक नहर क्षमता 46.46 क्यूमेक जिसमें 2.047 लम्बी सुरंग सम्मिलित है। आद नाले पर अदवा बैराज, अदवा बैराज से निकलने वाली अदवा मेजा लिंक नहर, लम्बाई 25.600 किमी0 क्षमता 46.46 क्यूमेक, मेजा बांध से निकलने वाली मेजा जिरगोलिंक नहर लम्बाई 71.130 किमी0 क्षमता 16.43 क्यूमेक एवं मेजा कोटा पोषक नहर लम्बाई 3.577 किमी0 क्षमता 9.21 क्यूमेक का निर्माण एवं जल के कुशल उपयोग के लिये मिर्जापुर व इलाहाबाद जिले के मौजूदा नहर प्रणाली के पुनरोद्धार का कार्य सम्पादित कराना है। परियोजना के समस्त कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं तथा अवशेष कार्य माह मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

दिघिया व घोरी डैम को बाणसागर परियोजना से पानी दिया जाना परियोजना प्राविधान में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड हलिया के ग्राम बैधा मे कनौठी आश्रम के पास पुल का निर्माण कराने हेतु

126-श्री राहुल प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड हलिया के ग्राम बैधा में कनौढ़ी आश्रम के पास पुल न होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकों के अन्तर्गत नहीं है।

प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना लागत के साथ लाभांश भी देने हेतु

127-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों की गन्ना उत्पादन लागत जो लगभग 289.00 रुपये प्रति कुन्तल आती है, के साथ-साथ लाभांश भी जोड़ कर सरकार किसानों का गन्ना मूल्य निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रत्येक पेराई सत्र के लिये गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निर्धारित किया जाता है। राज्य परामर्शित मूल्य के निर्धारण से पूर्ण गन्ना कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों/चीनी मिल प्रतिनिधियों एवं गन्ना शोध से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एवं उनके पक्ष तथा गन्ने की उत्पादन लागत आदि अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-18 के लिये गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

(1) अगैती प्रजातियों के लिये रु0 325.00 प्रति कुन्तल

(2) सामान्य प्रजातियों के लिये रु0 315.00 प्रति कुन्तल

(3) अनुपयुक्त प्रजातियों के लिये रु0 310.00 प्रति कुन्तल

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के रूधौली शुगर मिल पर किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की तिथि निर्धारित करने विषयक

128-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अठदमा (रूधौली) शुगर मिल पर किसानों का अवशेष गन्ना बकाया मूल्य रुपया 1870.34 लाख वाल्टरगंज शुगर मिल पर रुपया 3125.09 लाख का भुगतान मिल द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान की कोई निश्चित तिथि निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 18-02-2018 की स्थिति के अनुसार, पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 अठदमा (रूधौली) पर रु0 6.92 करोड तथा गोविन्द शुगर्स (ए0 यूनिट आफ फेनिल शुगर्स लि0) वाल्टरगंज, बस्ती पर रु0 25.88 करोड गन्ना मूल्य अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित व समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु उक्त दोनों चीनी मिलों को समय-समय पर यथा दिनांक 08-12-2016, 01-03-2017, 17-3-2017 एवं 21-03-2017 को नोटिसें निर्गत की गयी। इसके पश्चात् दिनांक 14-07-2017 को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा कम गन्ना मूल्य भुगतान करने के कारण उक्त चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है कि उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये। इसी क्रम में गोविन्द शुगर्स (ए0 यूनिट आफ फेनिल शुगर्स लि0) वाल्टरगंज जनपद बस्ती के विरुद्ध दिनांक 07-02-2018 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गाजियाबाद के कस्बा डासना में गन्दे नालों की सफाई एवं निर्माण कराने विषयक

129-श्री असलम अली-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना में कल्लू गढ़ी से डासना होते हुये डासना देहात तक, ग्राम नाहल में खाकी वाले तालाब से नहर तक व उस्मान गढ़ी से राजवाहे बम्बा तक पानी निकासी हेतु नाला खराब व जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्दे नालों का निर्माण व सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आच्छादित क्षेत्र में इंगित दो नाले-नाला डासना एवं नाहल नाला पूर्व से ही निर्मित है इनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है केवल इनकी सफाई की आवश्यकता है। उक्त दोनों नालों की सफाई का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सभी पुल व पुलियों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु

130-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2014 से 2017 तक स्वीकृत सभी पुल व पुलियों का निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत सभी पुल व पुलियों का निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के प्रमुख चौराहों पर शौचालय का निर्माण करने हेतु

131-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विभिन्न नगरों के प्रमुख चौराहों पर शौचालयों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र महादेवा में स्थित मात्र एक नव सृजित नगर पंचायत बनकटी है। निकाय द्वारा विभिन्न स्थानों पर शौचालयों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया की नगर पालिका परिषद् रसड़ा में जरूरत मन्द गरीबों को आवास व शौचालय दिये जाने हेतु

132-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श नगरपालिका परिषद्,रसड़ा (बलिया) में विगत 10 वर्षों में किसी भी आवास विहीन व्यक्ति को आवास अथवा किसी भी आवास पर शौचालय दिया गया है ? यदि आवास अथवा शौचालय दिया गया है तो कब-कब और किसको-किसको ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जरूरतमन्द गरीब व्यक्तियों को आवास अथवा शौचालय दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आवास विहीन व्यक्तियों को विगत 10 वर्षों में नगर पालिका परिषद्, रसड़ा, बलिया द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) बलिया द्वारा विगत वर्षों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रसड़ा में लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की योजना संचालित नहीं थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, रसड़ा में कुल व्यक्तिगत आवास निर्माण नया (बी0एल0सी0एन0) घटक के अन्तर्गत सूडा द्वारा एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 (हाउसिंग फार ऑल प्लान आफ एकशन) हेतु नामित कसल्टेंट से सर्वेक्षण कर डी0पी0आर0 तैयार कर सूडा,लखनऊ प्रेषित करने के उपरान्त कुल 310 आवासों का रु0 775.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृत लाभार्थियों को शासनादेश के क्रम में निर्धारित धनराशि उनके खाते में हस्तानरित कर आवास निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ कराये जायेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु 195 गरीब पात्र व्यक्तियों को रुपया चार-चार हजार की प्रथम किश्त की धनराशि दी जा चुकी है।

जनपद झांसी के ब्लाक चिरगांव एवं बड़ागांव के बेतवा नदी पर बराठा घाट पर दीर्घ सेतु का निर्माण कराने हेतु

133-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव एवं बड़ागांव में बेतवा नदी पर बराठा घाट पर दीर्घ सेतु का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु स्थल के अपस्ट्रीम में 18 किमी0 की दूरी पर झांसी-मिर्जापुर मार्ग पर 562.80 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है तथा डाउन स्ट्रीम में 24 किमी0 की दूरी पर ध्वनी-धमना मार्ग

पर 630.00 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। विषयक सेतु की लम्बाई 585.20 मी0 होगी। जिसकी अनुमानित लागत रु0 5843.62 लाख होगी। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के ब्लाक चिरगांव के निवी से खिरियाराम से मुडेई सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराने हेतु

134-श्री राजीव सिंह "पारीछा"-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव में निवी से खिरियाराम होते हुये सिमथरी सम्पर्क मार्ग पचार से मुड़ेई सम्पर्क मार्ग एवं झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से उजयान घाट होते हुये बड़ागांव भसनेह सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-निवी से खिरियाराम व नरी होते हुये सिमथरी तक सम्पर्क मार्ग में दो मार्ग सम्मिलित है :-

(1) निवी से खिरियाराम मार्ग-लम्बाई 1.50 कि0मी0 कच्चे स्तर का मार्ग है। निवी ग्राम चिरगांव भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 5 में स्थित है। खिरिया ग्राम की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से कम है। अतः इस मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) निवी से नरी होते हुये सिमथरी मार्ग-लम्बाई 5.00 कि0मी0 कच्चे स्तर का मार्ग है। ग्राम निवी एवं ग्राम सिमथरी पूर्व में ही अलग-अलग एकल लेपित मार्ग से जुड़े है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

2-पचार से मुडई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य-इस मार्ग की लम्बाई 4.00 कि0मी0 है एवं उक्त मार्ग कच्चे स्तर का है। ग्राम पचार तथा ग्राम मुडई पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़े है। अतः पचार से मुडई तक मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

3-झांसी कानपुर राष्ट्रीय मार्ग से उजयान घाट होते हुये बड़ागांव भसनेह मार्ग तक सं0 मार्ग का निर्माण-ग्राम पारीछा, झांसी, कानपुर राष्ट्रीय मार्ग सं0-27 के कि0मी0 124 में स्थित है। ग्राम पारीछा राष्ट्रीय मार्ग से पारीछा घाट पीपा पुल की दूरी 0.300 मी0 तथा दूसरी तरफ उजियान घाट पान्टून पुल से बड़ागांव भसनेह अन्य जिला मार्ग कि0मी0 4 तक की दूरी 2.700 है। इस तरह मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 है तथा मार्ग कच्चे स्तर का है। इस मार्ग पर बेतवा नदी पर पान्टून पुल प्रतिवर्ष बनाया जाता है। इस मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानसुार।

जनपद झांसी के झांसी प्रखण्ड बेतवा नहर डिवीजन की पहूज नहर ईशागढ़ से मबई तक सर्विस रोड का पुनर्निर्माण कराने विषयक

135-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत झांसी प्रखण्ड बेतवा नहर डिवीजन की पहूज नहर के ईशागढ़ से मवई तक नहर की सर्विस रोड लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

ईशागढ़ से मवई सम्पर्क मार्ग-यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 8.00 किमी0 व चौड़ाई 3.00 मी0 है। किमी0 1 से 2 तक मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। मार्ग के किमी0 3 से 8 तक का सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के ब्लाक चिरगांव के चिरगांव नगर से रामनगर होते हुये गुरसराय तक मार्ग का पुनर्निर्माण कराने हेतु

136-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक चिरगांव के चिरगांव नगर से रामनगर होते हुये गुरसराय तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराते हुये सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग राज्य मार्ग सं0-42 के चैनेज 118.600 से 167.745 किमी0 (गरौठा से चिरगांव कस्बे के समीप स्थित राष्ट्रीय राज मार्ग सं0-27 के जंक्शन तक) का भाग है जिसके निर्माण हेतु शासनादेश सं0-846/23-12-15-4(सा)/12टी0सी0, दिनांक 13-07-2015 के द्वारा रु0 22716.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्य हेतु मेसर्स एन0के0सी0 प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के नाम अनुबन्ध सं0-100-UPCRNDP/CEEAP/2016-17 दिनांक 04-01-2017 गठित हो चुका है। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 15-01-2018 है एवं कार्य प्रगति पर है।

137-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बलरामपुर में उतरौला-बलरामपुर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही विषयक

138-श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत उतरौला बलरामपुर मार्ग जो कि 14 कि0मी0 गड्ढायुक्त है, का निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उतरौला-बलरामपुर के मध्य कुल लम्बाई 27.930 कि0मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-42/2016/395(1)/23-11-2015-1/2(91)/15, दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा रु0 10192.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें 12.530 कि0मी0 डी0बी0एम0 कार्य पूर्ण है शेष 15.40 कि0मी0 में सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत बाढ़ से सुरक्षा के लिए राप्ती नदी पर बन्धे का निर्माण कराने हेतु

139-श्री राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से हजारों एकड़ फसल किसानों की नष्ट हो जाती है तथा घरों में पानी भरा रहता है। यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में राप्ती नदी पर बभनपुरवा ग्राम से लेकर रसूलाबाद तक बन्धे का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

बलरामपुर भड़रिया तटबन्ध निर्माणाधीन है, जो बभनपुरवा से रसूलाबाद तक को भी सुरक्षित करेगा।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत उतरौला से मनकापुर नवाबगंज मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

140-श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत (उतरौला-फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग) तथा उतरौला से मनकापुर नवाबगंज मार्ग पूरी तरह से

गड्ढों में तब्दील है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, परन्तु प्रश्न में वर्णित जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत उतरौला से मनकापुर नवाबगंज मार्ग (उतरौला-फैजाबाद-इलाहाबाद) राज्य मार्ग संख्या-9 का भाग है जिसके नवाबगंज आबादी भाग को छोड़कर मार्ग के शेष भाग की दशा सन्तोषजनक है।

क्षतिग्रस्त भाग के साथ नवाबगंज मार्ग के किमी0 46.00 से किमी0 58.600 तक कुल 12.60 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में एन0एच0-27 पर एक ही जिले में 3 टोल प्लाजा होने के सम्बन्ध में

141-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के एन0एच0-27 (नेशनल हाइवे) पर 2 (दो) टोल प्लाजा पहले से कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि एक और टोल प्लाजा लुम्बिनी दुदधी मार्ग जो जनपद बस्ती में स्थित टोल प्लाजा से मार्ग 15 किमी0 पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक जिले में 3 टोल प्लाजा का होने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार तीसरे टोल प्लाजा का कार्य रुकवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा में 60 किमी0 की दूरी के भीतर कोई अन्य टोल प्लाजा स्थापित न करने का प्राविधान है। जनपद बस्ती में वर्तमान में स्थित 02 टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27) पर स्थित है जबकि जनपद बस्ती में प्रश्नगत टोल प्लाजा का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28) जिसे लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, के चैनेज 108.025 पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है, जो नियम संगत है।

जनपद शामली के कतिपय ग्रामों को नदियों में आई बाढ़ से बचाने विषयक

142-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में ग्राम भड़ी, नाई नगला, सकोती, मंगलोरा, शीतल गढ़ी, बिडोली सादात, कबीरपुर, फतेहपुर, बल्हेड़ा यमुना नदी में आई बाढ़ से कटान के कारण प्रतिवर्ष जान व माल की हानि तथा गांवों को नदी कटान एवं बाढ़ से बचाने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शामली में यमुना नदी के बायें किनारे बसे प्रश्न में इंगित ग्रामों की कृषि योग्य भूमि एवं जान माल की हानि को यमुना नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु समय-समय पर बाढ़ सुरक्षा परियोजना तैयार कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान में जनपद शामली में यमुना नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक परियोजना (लागत रु0 229.96 लाख)

पर 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। दो नई परियोजनायें (लागत क्रमशः रु0 416.40 लाख तथा रु0 786.59 लाख) नाबार्ड से वित्त पोषित हैं। दोनों परियोजनाओं पर दिनांक 22-01-2018 को रु0 50-50 लाख की धनराशि आवंटित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लकड़मण्डी से हैदराबाद तक सड़क चौड़ीकरण कार्य को पूर्ण कराने विषयक

143-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र के हरैया के अन्तर्गत आने वाले लकड़मण्डी-मखोड़ा रोड का बस्ती जिला में पड़ने वाले भाग का 12 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण पूर्ण हो गया है, किन्तु शेष लगभग 3 किमी0 लकड़मण्डी से हैदराबाद मार्ग जो कि जनपद गोण्डा में पड़ता है, अभी अपूर्ण होने के कारण क्षेत्रवासियों को बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क के शेष भाग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बस्ती के अन्तर्गत पड़ने वाले लकड़मण्डी मखौड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य योजना के अन्तर्गत चैनेज 2.700 से 23.300 तक 20.600 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है। मार्ग पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। चैनेज 3.700 से 4.800 तक में 01 लेन का कार्य पूर्ण है तथा दूसरे लेन का सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य माह मार्च, 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।

जनपद गोण्डा स्थित मखौड़ा से लकड़मण्डी तक मार्ग की लम्बाई 2.800 कि0मी0 है, जिसकी वर्तमान चौड़ाई 3.30 मी0 है। 7.00 मीटर चौड़ीकरण किये जाने हेतु 388.49 लाख धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

144-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

[दिनांक 06-03-2018 को अता0प्र0सं0-187 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के गोमती नगर से सटे खरगापुर गीतापुर कालोनी में सड़क, पानी विद्युत की व्यवस्था कराने विषयक

145-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम की सीमा से सटे विकसित प्राइवेट आवासीय कालोनियों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार गोमती नगर विस्तार स्थित खरगापुर गीतापुरी

कालोनियों में भी उक्त अवस्थापना सुविधायें मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा के बाहर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के ग्रामीण बैंक खरगापुर से कांशीराम आवास योजना कालोनी के मोड़ तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं लेपन स्तर का कार्य कराने विषयक

146-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या उप मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गीतापुरी कालोनी, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में आर्यवर्त ग्रामीण बैंक खरगापुर से कांशीराम आवास योजना कालोनी मोड़ तक दूरी लगभग 400 मीटर लोक निर्माण विभाग की सड़क को सड़क के दोनों तरफ चौड़ा करके लेपन स्तर तक कार्य न कराने एवं नाली का निर्माण न कराने के कारण पूरी सड़क में गड्ढों के कारण जल-भराव हो गया है तथा इससे प्रायः एक्सीडेन्ट हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को चौड़ा कराकर लेपन कार्य एवं नाली बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद लखनऊ में गीतापुरी कालोनी गोमती नगर विस्तार लखनऊ के अन्तर्गत आर्यवर्त ग्रामीण बैंक खरगापुर से कांशीराम आवास योजना कालोनी मोड़ तक मार्ग की लम्बाई 0.400 किमी0 है जो विराम खण्ड-5 रेलवे क्रासिंग से खरगापुर होते हुए मलेशेमऊ सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0 व चौड़ाई 3.0 मी0) का भाग है। प्रश्नगत 400 मी0 लम्बाई का मार्ग शहरी श्रेणी का मार्ग है जो कि वर्तमान में पूर्णतः गड्ढायुक्त है। चौड़ीकरण हेतु मार्ग पर आवश्यक यातायात घनत्व न होने के कारण मार्ग को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित नहीं है। नाली निर्माण का कार्य शहरी भाग होने के कारण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ से वाराणसी तक वाया सुल्तानपुर हाई-वे के निर्माण में काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगवाने विषयक

147-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से वाराणसी तक वाया सुल्तानपुर मुख्य सड़क के चौड़ीकरण (फोरलेन) के दौरान कितने हरे वृक्ष की कटान की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि कटे हुए हरे वृक्षों के एवज में नये वृक्षों का रोपड़ सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ से सुल्तानपुर (138 कि0मी0) एन0एच0-56 तक फोरलेन चौड़ीकरण के लिये कुल 20,493 वृक्षों की कटान की गयी है तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सुल्तानपुर से वाराणसी खण्ड (127 कि0मी0) तक कुल 17123 वृक्षों की कटान की गयी है। वर्तमान में इस खण्ड के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर हैं। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा इसके लिये वन विभाग को राशि का भुगतान एन0एच0ए0आई0 द्वारा कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के न्यूनतम गन्ना मूल्य को बढ़ाने की कार्य योजना बनाने विषयक

148-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के न्यूनतम गन्ना मूल्य बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को उनकी ऊपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रत्येक पेराई सत्र के लिए गन्ने का "राज्य परामर्शित मूल्य" निर्धारित किया जाता है। राज्य परामर्शित मूल्य के निर्धारण से पूर्व, गन्ना कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों/चीनी मिल प्रतिनिधियों एवं गन्ना शोध से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एवं उनके पक्ष तथा गन्ने की उत्पादन लागत आदि अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-18 के लिए गन्ने का "राज्य परामर्शित मूल्य" निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

(1) अगैती प्रजातियों के लिए रु0 325-00 प्रति कुन्तल

(2) सामान्य प्रजातियों के लिए रु0 315-00 प्रति कुन्तल

(3) अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए रु0 310-00 प्रति कुन्तल

उपरोक्तानुसार पेराई सत्र 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जा चुका है।

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने विषय

149-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का वर्षवार अब तक कुल कितना बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 31-01-2018 की स्थिति के अनुसार, वर्षवार अवशेष गन्ना मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:-

(धनराशि करोड़ रु0)

वर्ष	अवशेष गन्ना मूल्य
1994-95	1.36
1995-96	0.25
1996-97	12.70
1997-98	14.85
1998-99	2.67
2002-03	16.84
2003-04	0.67
2006-07	8.49
2007-08	22.96
2008-09	0.82
2009-10	0.38
2010-11	4.47
2011-12	17.00
2012-13	5.03
2014-15	22.92
2016-17	394.35
2017-18*	2740.49
योग	**3266.25**

(*14 दिन पूर्व अवधि का अवशेष)

गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन), अधिनियम, 1953 एवं तदविषयक नियमावली 1954 के अन्तर्गत विद्यमान है। तत्क्रम में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा शहर के किनारे रिंग रोड (बाईपास) बनवाने हेतु कार्य योजना विषयक

150-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा शहर के किनारे-किनारे रिंग रोड (बाई-पास) के निर्माण हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

बांदा शहर के चारों ओर बाईपास कुल लम्बाई 29.30 किमी0 स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य योजना सामान्य के अंतर्गत शासनादेश सं0-4069ई/23-11-2008-10(8) बादां/07, दिनांक 30-12-2008 द्वारा 18.60 किमी0 लागत रु0 7398.03 लाख केन नदी पर दीर्घ सेतु के निर्माण सहित एवं शासनादेश सं0-66(1)/23-11-2011, दिनांक 10-06-11 द्वारा लम्बाई 10.70 किमी0 लागत रु0 4409.27 लाख निर्माण हेतु एवं 10.70 किमी0 लम्बाई में अवशेष बाईपास के भूमि अधिग्रहण हेतु शासनादेश सं0-37(1)/23-11-2011 दिनांक 08-06-2011 द्वारा रु0 1354. 88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

शासनादेश सं0-4069ई/23-11-2008-10(8) बांदा/07 दिनांक 30-12-2008 द्वारा रु0 7398.03 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध 15.60 किमी0 में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया, जिस पर यातायात सुगमतापूर्वक चल रहा है। भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण अवशेष कार्य हेतु आगणन को पुनरीक्षित करते हुए लागत रु0 13055.38 लाख का गठित किया गया है।

केन नदी पर चार लेन सेतु का कार्य पूर्ण है एवं एक दीर्घ सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर देहात में झिंझक नहर पर पुल के नवनिर्माण के सम्बन्ध में

151-श्रीमती निर्मला संखवार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में झिंझक नहर का पुल लगभग 100 वर्ष पुराना होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशप प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। जनपद कानपुर देहात में झींझक नहर पुल कम रेगुलेटर से वर्तमान में यातायात चल रहा है।

लघु सेतु के नवनिर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत मडियाहूं को नगर पालिका परिषद का दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में

152-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत मड़ियाहूं में नगर क्षेत्र की आबादी मानक के अनुरूप हो जाने के कारण सरकार सर्वे कराकर मड़ियाहूं को नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निकाय की कुल जनसंख्या 22778 है तथा निकाय का क्षेत्रफल 4.43 वर्ग कि0मी0 है। शासनादेश संख्या-2212/9-6-2014-181 मिस/2014 दिनांक 10-11-2014 व शासनादेश संख्या-240/9-6-2015-181मिस/2014 दिनांक 30-01-15 में निर्धारित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रकरण में सर्वे/जांच से संबंधित कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर में जाम की समस्या के निराकरण हेतु बाईपास बनाने विषयक

153-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के नगर पालिका परिषद् मुंगराबादशाहपुर बाजार क्षेत्र में भीषण जाम की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार उक्त क्षेत्र के बाहर से बाईपास सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत बाईपास के कार्य हेतु शासनादेश संख्या-356/ 2016/136 (1)/ 23-11-2016-1/2(146)/16, दिनांक 19-12-2016 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, परन्तु बाईपास के निर्माण कार्य हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने की भी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। बाईपास का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधानसभा क्षेत्र रुधौली के परसा शिवराज, छपिया, आदमपुर आदि गांवों में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराने विषयक

154--श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत बिजली की खराबी तथा यांत्रिक दोष से राजकीय नलकूप परसा, शिवराज, असनहरा, छपिया,

आदमपुर, तुसायल, सकतपुर, दढ़ौठी, चैसार, लपसी, औडजगल, जिनवा आमा बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदि गांवों में स्थापित नलकूपों को दोष मुक्त कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

दिनांक 08-02-2018 की बन्दी के अनुसार जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ग्राम परसा, शिवराज, असनहरा, छपिया, आदमपुर, तुसायल, लप्सी, औडजगल में स्थापित राजकीय नलकूप सिंचाईरत् हैं। दिनांक 01-04-2017 के अनुसार दड़ौठी, चैसार एवं जिन्वा में स्थापित राजकीय नलकूप अपनी मितव्ययी आयु पूर्ण करने के उपरान्त असफल हैं। ग्राम आमा में स्थापित राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में है। ग्राम सकतपुर में कोई राजकीय नलकूप स्थापित नहीं है।

उक्तानुसार 01 राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में एवं 03 राजकीय नलकूप असफल की श्रेणी में हैं।

परित्याग हेतु प्रस्तावित राजकीय नलकूपों को ठीक नहीं कराया जाता है। असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण कराया जाता है परन्तु वर्तमान में प्रदेश में पुनः निर्माण की कोई परियोजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना समितियों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन दिये जाने विषयक

155-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गन्ना समितियों का कमीशन सरकार द्वारा घटाने के कारण गन्ना समितियों का वित्तीय घाटा बढ़ गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना समिति कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

सहकारी गन्ना विकास समितियों को उनके द्वारा चीनी मिलों को आपूर्तित गन्ने पर देय गन्ना विकास कमीशन की दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु गन्ना विकास कमीशन क्रमशः रु0 2.00, रु0 3.00, रु0 4.50 एवं रु0 5.10 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। उक्तानुसार प्रति वर्ष गन्ना विकास कमीशन में उतरोत्तर वृद्धि के फलस्वरुप गन्ना समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी गन्ना विकास समितियां स्ववित्त पोषित एवं स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करती हैं तथा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से होने वाली आय से समिति कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करती हैं। इन्हें राज्य सरकार के द्वारा वेतन आदि के मद में कोई धनराशि/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। स्वशासी संस्थाओं में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने हेतु शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सहकारी गन्ना विकास समितियों की प्रबन्ध कमेटी की संस्तुति, वित्तीय स्थिति, आय के स्रोत एवं सम्भावित व्ययभार को वहन करने की सक्षमता आदि कारकों के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उ0प्र0 के स्तर से, आर्थिक रूप से सक्षम समितियों में ही पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के ग्राम करमहिया में कुआनो नदी के पगोर घाट पर पुल निर्माण सम्बन्धी विषयक

156-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर में ग्राम करमहिया से हलुवा बेलवरिया जंगल मार्ग पर प्रवाहित होने वाली कुआंनो नदी के पगोर घाट पर आवागमन को सुलभ बनाने के लिये सरकार पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रस्तावित स्थल से 5 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में अईलाकलाघाट पर 3x25 मी0 दर व्यवस्था का 79.48 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। इसलिए प्रस्तावित स्थल पर सेतु का निर्माण किया जाना लो0नि0वि0 के प्रचलित नीति से नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के रुधौली व रामनगर ब्लाक के ग्राम बेलमरिया, अनदेऊरी में नहर पर पैदल मार्ग के लिए पुलिया का निर्माण सम्बन्धी विषयक

157-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली व रामनगर ब्लाक के ग्राम बेलमरिया, अनदेऊरी, असनहरा, कुतुबपुर, खलगांवा से होकर गुजरने वाली सरजू नहर खण्ड 3 व 4 के दूसरी तरफ के खेतों में जाने के लिये किसानों को लगभग 2 से 3 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिये उक्त ग्रामों में नहरों पर पैदल मार्ग के लिये पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सांऊ घाट बलाक के बेलभरिया, रामनगर ब्लाक के ग्राम-कुतुबपुर, ब्लाक रुधौली के ग्राम-अठदेउरा व देउरा ग्राम के किसानों को नहर के पार जाने हेतु बस्ती शाखा के कि0मी0 149.00 एवं कि0मी0 150.300 पर पुल का निर्माण किया गया है, जिस स्थान पर पुल की मांग की गयी है, उसकी दूरी 01.00 कि0मी0 से कम होने के कारण पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली में सरजू नहर खण्ड 3 के द्वारा निर्मित नहर में पानी न छोड़े जाने सम्बन्ध में

158-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रूधौली में सरजू नहर खण्ड-3 के द्वारा अनदेऊरा से वाघाडीहा होते हुए परसा तिवारी के रेरूआ नदी तक जाने वाली नहर में आज तक विभाग द्वारा पानी ही नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा हेतु उक्त नहर में पानी छोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

खलीलाबाद शाखा की पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना स्वीकृत है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पुनर्स्थापना का कार्य कराये जाने के पश्चात नहर को पूरी क्षमता से चलाये जाने पर परसा तिवारी माइनर में पानी पहुंचाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

वि0स0 क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत मार्च 2017 से जनवरी 2018 तक कुल क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या में प्राप्त पत्रों की संख्या के संबंध में

159-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत मार्च, 2017 से जनवरी, 2018 तक किन-किन गांवों में क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है तथा नवीन सड़कें बनानी प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कराकर नवीन प्रस्तावित सड़कें बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद लखीमपुर-खीरी में विधान सभा धौरहरा के अन्तर्गत मार्च 2017 से जनवरी 2018 तक कुल 94 क्षतिग्रस्त मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है।

वर्तमान में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु कुल 07 नवीन सड़के बनाया जाना प्रस्तावित है, इनके सापेक्ष 03 नवीन सड़कें बनाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अवशेष 4 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने हेतु कार्यों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना समिति उरा का खाद गोदाम में खाद की उपलब्धता कराने सम्बन्धी

160-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील धौरहरा की गन्ना समिति उरा का खाद गोदाम ग्राम वेती सहदेव में बना है। केन्द्र/खाद आपूर्ति वहां नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर बने खाद गोदाम में खाद आपूर्ति किसानों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां।

लखीमपुर खीरी में तहसील धौरहरा की सहकारी गन्ना विकास समिति, ऐरा का खाद गोदाम ग्राम-बेती सहदेव में बना है, जो अत्यन्त जर्जर हो गया है, जिसके कारण उक्त खाद गोदाम में खाद रखकर वितरण किया जाना सम्भव नहीं है। वैकल्पिक रुप से वर्तमान में क्षेत्र के कृषकों को समिति कैम्पस से खाद का वितरण कराया जा रहा है।

उक्त जर्जर हो चुके समिति के खाद गोदाम-बेती सहदेव की मरम्मत किये जाने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के समिति बजट में आवश्यक धनराशि का प्राविधान निर्धारित प्रक्रियानुसार कराकर मरम्मत का कार्य पूर्ण कराते हुए उक्त खाद गोदाम से कृषकों को खाद का वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के वि0स0 क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत राप्ती नदी पर स्थित पिपरा घाट पुल का निर्माण

161-श्री राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत राप्ती नदी पर स्थित पिपराघाट पुल का निर्माण कार्य बन्द है अर्धनिर्मित पुल के कारण लोगों को देवी पाटन मंदिर दर्शन करने एवं आने जाने में 15 कि0मी0 की दूरी लगभग 60 कि0मी0 में पूरी करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पिपराघाट पुल एवं अप्रोच मार्ग का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सेतु का निर्माण कार्य 06/2018 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। पहुंच मार्ग का निर्माण पूर्ण है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर के भूतनाथ मार्केट के भूमिगत पार्किंग के तीनों तरफ क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण हेतु

162-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट में भूमिगत पार्किंग के तीनों तरफ का तथा सेंट डॉमनिक स्कूल होते हुये पानी की टंकी तक का मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनःनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना-

जी नहीं।

उक्त मार्ग पर मात्र 2-3 स्थलों पर छोटे-छोटे गडढे हैं जिन्हें शीध्र मरम्मत करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट के कलसी इलेक्ट्रिकल्स से ट्रान्सफार्मर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स लगवाने के सम्बन्ध में

163-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के इन्दिरा नगर भूतनाथ मार्केट स्थित कलसी इलेक्ट्रिकल्स से ट्रांसफार्मर तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स न होने के कारण लोगों को चलने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उक्त मार्ग पर पूर्व से ही इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में इन्दिरा नगर स्थित हनुमान मन्दिर के पास शौचालय का निर्माण एवं भवन सी-3000 से सी-3018 तक सड़क पर इण्टरलाकिंग के निर्माण के सम्बन्ध में

164-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सी0 ब्लाक इन्दिरा नगर स्थित हनुमान मन्दिर के आस-पास कोई भी शौचालय न होने के कारण लोग मन्दिर परिसर के आस-पास ही शौच करते हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भवन सी0-3000 से सी0-3018 तक सड़क पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स नहीं होने से लोगों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में हनुमान मन्दिर के पास एक शौचालय का निर्माण तथा उक्त भवनों के पास इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

हनुमान मन्दिर के आस-पास शौचालय हेतु उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने के कारण शौचालय निर्माण में कठिनाई है। स्थल पर सड़क की चौड़ाई लगभग 8.00 मी0 एवं फुटपाथ के दोनों साइड 2-2 मी0 है, जिसमें यातायात सुगम रूप से हो रहा है तथा उक्त भवनों के पास इण्टरलाकिंग टाइल्स न होने के कारण आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज में ग्रामों में सड़क पर लेपना कार्य कराने हेतु

165-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम सभा बीरमपुर द्ल्ला के बगीचे से चंडी माता मन्दिर होते हुये त्रिमुहानी घाट तक एवं पसेवा झुरिया स्कूल से पसेवा चौहान बस्ती तक तथा ग्राम सभा भदेवरा (परोआ) मोड़ से चौहान बस्ती होते हुये विशुनपुर बसवत तक और रेलवे स्टेशन कन्या विद्यालय से निशान यादव बस्ती होते हुये ग्राम सभा अमरा तक लेपन कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1-मुफ्तीगंज के ग्राम सभा बीरमपुर दल्ला के बगीचे से चंडी माता मन्दिर होते हुए त्रिमुहानी घाट तक मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 खड़ण्जा ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। मार्ग पर दो ग्राम बीरमपुर एवं विजईपुर पड़ते हैं, ग्राम सभा बीरमपुर, बीरमपुर कटहरी सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है व विजयीपुर को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु विजयीपुर प्रा0पा0 कटहरी सम्पर्क मार्ग कि0मी0 2 से विजयीपुर घाट तक मार्ग की कुल लम्बाई 3.10 कि0मी0 है जिसकी लागत रु0 130.93 लाख राज्य सड़क निधि योजना में स्वीकृत है व कार्य प्रगति पर है।

2-पसेवा झुरिया स्कूल से पसेवा चौहान बस्ती तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.100 किमी0 है, जो खड़ण्जा स्तर तक ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है एवं पसेवा झुरिया स्कूल व पसेवा चौहान बस्ती देवकली मई घाट मार्ग से संतृप्त है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

3-ग्राम सभा भदेवरा (परोआ) मोड़ से चौहान बस्ती होते हुए विशुनपुर बसवत तक मार्ग की लम्बाई 2.95 कि0मी0 है, जो कच्चा मार्ग है परन्तु प्रश्नगत ग्राम एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

4-रेलवे स्टेशन कन्या विद्यालय से निशान यादव बस्ती होते हुए ग्राम सभा अमरा तक मार्ग की कुल लम्बाई 2.550 कि0मी0 है, जिसमें से 400 मी0 लेपित व 2150 मी0 खड़ण्जा स्तर का है। प्रश्नगत मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, ग्राम सभा अमरा निशान सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ग्रामों में सड़क पर लेपना कार्य कराने हेतु

166-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के जमुआ गांव से हरिजन बस्ती, चरनेहुआ होते हुये बिसुई ग्राम सभा तक, रतनूपुर से विशुनपुर तक, ग्राम सभा मई (टहुआ) सम्पर्क मार्ग से सुधीर शर्मा सोनकर बस्ती तक, मोढैला रतनूपुर ग्राम सभा घुड़दौड़ मार्ग से राजभर बस्ती के बगल से मिश्रान बस्ती होते हुये प्रा0 वि0 देवराई तक, ग्राम सभा नुआंव में डिछिया पुल रतनूपुर नहर होते हुये ग्राम सभा रुदलपुर तक, मोढैला रतनूपुर ग्राम सभा घोड़ दौड़ मार्ग से राजभर बस्ती के बगल व मिश्रान बस्ती होते हुये प्रा0वि0 देवराई तक लेपन कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्राम सभा जमुआ गांव से हरिजन बस्ती, चरनेहुआ होते हुए बिसुई ग्राम सभा तक 3.250 किमी0 लम्बा मार्ग है, जिसमें से 2.350 किमी0 खड़ण्जा व 0.600 किमी0 कच्चा मार्ग ग्राम पंचायत (पंचायती राज विभाग) द्वारा निर्मित है, शेष 0.300 किमी0 जिला पंचायत द्वारा लेपित मार्ग है। अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2-रतनूपुर से विशुनपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.850 किमी0 है, जिसमें 1.150 किमी0 खड़ण्जा ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है शेष 0.700 कि0मी0 जिला पंचायत द्वारा लेपित मार्ग है। रतनूपुर पूर्व में लेपित मार्ग से संतृप्त है एवं ग्राम विशुनपुर की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 189 है, जो लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

3-ग्राम सभा मई (टहुआ) सम्पर्क मार्ग से सुधीर शर्मा सोनकर बस्ती तक मार्ग की लम्बाई 0.800 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर का है, जो ग्राम पंचायत विभाग के अधीन है, लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

4-मोढैला रतनूपुर ग्राम सभा-घुड़दौड़ मार्ग से राजभर बस्ती के बगल में मिश्रान बस्ती होते हुए प्र0वि0 देवराई तक मार्ग की लम्बाई 1.800 कि0मी0 खड़ण्जा ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। मिश्रान बस्ती की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से कम होने के कारण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

5-ग्राम सभा नुआंव में डिहियास पुल रतनूपुर नहर होते हुए ग्राम सभा रूदलपुर तक खड़ण्जा स्तर के मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। इसे लेपित किया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

6-मोढैला रतनूपुर ग्राम सभा-घुड़दौड़ मार्ग से राजभर बस्ती के बगल में मिश्रान बस्ती होते हुए प्र0वि0 देवराई तक मार्ग की लम्बाई 1.800 कि0मी0 खड़ण्जा ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। मिश्रान बस्ती की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से कम होने के कारण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज में ग्रामों में सड़क पर लेपना कार्य कराने हेतु

167-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के पेसवा आई0टी0आई0 कालेज के पीछे टावर के पूर्व जू0हा0 स्कूल पसेवा होते हुये रामहित चौहान के सामने तक ग्राम सभा निशान में गौरा बादशाहपुर रोड से मुसहर बस्ती तक, पेसारा बाजार में चौहान बस्ती तक, ग्राम सभा झमका से ग्राम सभा डेहरी में अम्बेडकर मूर्ति तक, ग्राम सभा जमुआरी से ग्राम सभा महुआरी तक, ग्राम सभा उदियासन माइनर से ग्राम सभा निशान तक, ग्राम सभा बारी के अन्तर्गत बारी मोड़ से प्रभुवा बाबा तक, ग्राम सभा बगयरी के लोहार बस्ती से नहर पटरी तक तथा ग्राम सभा उमरी से नवीन सब्जी मण्डी तक बजरडीह तक लेपन कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1-मुफ्तीगंज के पेसवा आई0टी0आई0 कालेज के पीछे टावर के पूर्व जू0हा0 स्कूल पसेवा होते हुए रामहित चौहान के सामने तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.50 कि0मी0 खड़ण्जा ग्राम पंचायत (पंचायती राज विभाग) द्वारा निर्मित है, जो ग्राम का आंतरिक मार्ग है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2-ग्राम सभा निशान में गौरा बादशाहपुर रोड से मुसहर बस्ती तक मार्ग की लम्बाई 0.750 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर तक का है, जो पंचायती राज विभाग के अधीन है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3-पेसारा बाजार से चौहान बस्ती तक 0.300 किमी0 खड़ण्जा मार्ग निर्मित है, जो पेसारा ग्राम का आंतरिक मार्ग तथा चौहान बस्ती की आबादी 250 से कम होने के कारण मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

4-ग्राम सभा झमका से राजस्व ग्राम डेहरी में अम्बेडकर मूर्ति तक ग्राम सभा झमका एवं डेहरी क्रमशः झमका-चकजमीन-अमरौना-उचेहुवा अन्य जिला मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में स्थित है, जो लेपित मार्ग से संतृप्त है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5-ग्राम सभा जमुआरी के निकट महुआरी नामक कोई ग्राम स्थित नहीं है।

6-ग्राम सभा उदीयासन माइनर से ग्राम सभा निशान तक मार्ग की लम्बाई 1.350 कि0मी0 है, जो खड़ण्जा स्तर का मार्ग है, परन्तु ग्राम सभा उदीयासन व ग्राम सभा निशान पूर्व से ही एकल दिशा मार्गों से जुड़ा है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

7-ग्राम सभा बारी के अन्तर्गत बारी मोड़ के निकट प्रभुवा बाबा तक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम सभा बारी में प्रभुवा बाबा नामक कोई स्थान/मजरा नहीं है।

8-ग्राम सभा बगथरी के लोहार बस्ती से नहर पटरी तक खड़ण्जा स्तर का मार्ग निर्मित है, जो नहर की पटरी पर स्थित है। नहर पटरी के मार्ग का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है। अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

9-ग्राम सभा उमरी से नवीन सब्जी मण्डी तक मार्ग की लम्बाई 02 कि0मी0 है, जिसमें से 1.00 कि0मी0 कच्चा मार्ग तथा शेष 1.00 किमी0 खड़ण्जा स्तर तक निर्मित है, परन्तु ग्राम सभा-उमरी एवं बजरडीहा (बरडीहा) एकल दिशा मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के ब्लाक डोभी में ग्रामों में सड़क पर लेपना कार्य कराने हेतु

168-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक डोभी के अन्तर्गत मारिकपुर बाजार से ग्राम सभा चिटको, बरहपुर पिच रोड से ग्राम सभा बहरी में गुड्ढा सिंह के घर तक, हिसामपुर रामनाथ राय के घर से जौनपुर सीमा तक, ग्राम सभा करनेहुआ उचहुवा के अन्तर्गत बुढ़ऊ बाबा से ब्राह्मण बस्ती होते हुये राजभर बस्ती तक, ग्राम सभा अमरौना में तूफानी यादव के घर से शम्भू कन्नौजिया के घर तक, ग्राम सभा अमरौना में कुशल सिंह के घर से मिठाई की मशीन तक, ग्राम सभा विरहदपुर (गोठौली) ओम प्रकाश सिंह के घर से मुस्लिम बस्ती होते हुये मुसहरान व पाल के घर तक तथा ग्राम सभा अवछतपुर प्राइवेट स्कूल से ग्राम सभा करनेहुवा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में वर्णित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1-मारिकपुर बाजार से ग्राम सभा चिटको मार्ग की लम्बाई 1.50 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर का है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

2-बरहपुर पिच रोड से ग्राम सभा बहरी में गुड्डा सिंह के घर तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 खड़ण्जा है, जो ग्राम पंचायत (पंचायती राज विभाग) द्वारा निर्मित है, एवं ग्राम का आंतरिक मार्ग है। अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3-ग्राम सभा हिसामपुर अन्य जिला मार्ग पर स्थित है, जो लेपित मार्ग से जुड़ा है। हिसामपुर में रामनाथ राय के घर से जौनपुर की सीमा तक मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर का है, जो ग्राम पंचायत (पंचायती राज विभाग) द्वारा निर्मित है, एवं अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

4-ग्राम सभा करनेहुवा उचेहवा के अन्तर्गत बुढ़ऊ बाबा से ब्राम्हण बस्ती होते हुए राजभर बस्ती मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, जिसमें 0.600 कि0मी0 कच्चा एवं 0.400 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर का है, ग्राम पंचायत (पंचायती राज विभाग) द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5-ग्राम सभा अमरौना में तूफानी यादव के घर से शम्भू कन्नौजिया के घर तक 1.50 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर का मार्ग है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है एवं ग्राम का आंतरिक मार्ग है। अतः इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

6-अमरौना में कुशल सिंह के घर से मिठाई की मशीन तक खड़ण्जा स्तर का मार्ग है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है एवं अमरौना ग्राम का आंतरिक मार्ग है। अतः लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

7-ग्राम सभा विरहदपुर (गोठौली) ओम प्रकाश सिंह के घर से मुस्लिम बस्ती होते हुए मुसहरान व पाल के घर तक की दूरी 0.60 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर का मार्ग है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

8-ग्राम सभा अवछतपुर प्राइवेट स्कूल से ग्राम सभा करनेहुवा सम्पर्क मार्ग तक मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी0 खड़ण्जा ग्राम पंचायत पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित है एवं ग्राम का आंतरिक मार्ग है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर में औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में दिनांक 01-12-2017 से 20-01-2018 तक वायु प्रदूषण की रिपोर्ट के संबंध में

169-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदूषण विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 01-12-2017 से 20-01-2018 के बीच वायु प्रदूषण की जांच की गयी है ? यदि हां, तो वहां का वायु प्रदूषण सूचकांक क्या था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सूचकांक खतरनाक स्तर का है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे सुधारने हेतु कोई उपाय/योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहां पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 17-11-2017 के अनुपालन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु काम्प्रेहेंसिव रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कराये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस एक्शन प्लान में प्रदूषण के स्तर के अनुसार 16 विभागों हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित हैं।

उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 में कार्यरत सुमन कुशवाहा को पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रांक क-6, नं0-093855, दिनांक 16-10-2017 पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

170-श्री संजय गर्ग-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-6, नं0-093855, दिनांक 16-10-2017 जो कि उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 में कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत कर्मियों को उनके योगदान तिथि से पदोन्नति एवं पदोन्नत वेतनमान दिये जाने विषयक है, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

श्रीमती सुमन कुशवाहा, कार्यकारी अधिकारी को सहायक महाप्रबन्धक की वरिष्ठता सूची में नहीं दर्शाया जा सकता है क्योंकि श्रीमती सुमन कुशवाहा की नियुक्ति सहायक महाप्रबन्धक के पद पर न होकर कार्यकारी अधिकारी के पद पर हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5, नं0-807134 जिला सहकारी बैंक, लखनऊ में पति पत्नी एक ही जनपद में रखने की स्थानान्तरण नीति का पालन न करने के सम्बन्ध में

171-श्री संजय गर्ग-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ममतेश शाक्य, सदस्य विधान सभा का पत्र संख्या-ख-5, नं0-807134, दिनांक 08-05-2017 जो कि जिला सहकारी बैंक, लखनऊ में पति तथा पत्नी को एक ही जनपद में रखने की स्थानान्तरण नीति का पालन न करके नीति विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों को रोकने विषयक है, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां, सन्दर्भित पत्र आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 15 मई, 2017 को प्रेषित किया गया है।

शासनादेश संख्या-2/2017/01-3-96-क-4-2017, दिनांक 03 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित स्थानान्तरण नीति सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में है। श्रीमती रेनू कुशवाहा की नियुक्ति प्राधिकारी जिला सहकारी बैंक लखनऊ न होकर राज्य संवर्ग प्राधिकारी, लखनऊ है जिसकी सेवायें सरकारी न होकर गैर सरकारी हैं। इस प्रकार श्रीमती कुशवाहा की सेवायें स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नहीं होती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

चौहतरवां संवैधानिक संशोधन लागू करने के सम्बन्ध में

172-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के अधिकारों विषयक चौहत्तरवां (74वां) संवैधानिक संशोधन प्रदेश में लागू करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो इसके क्या लाभ जनता को कब तक मिलेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 को संशोधित कर संविधान की अपेक्षानुसार विधिक व्यवस्था कर कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम रसीन मजरा महादेवन में निर्मित अधोमानक चेक डैम के बह जाने के विरुद्ध जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु

173-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन से निर्गत पत्रांक 4433/17-27-सिं-5-317/17, दिनांक 13-12-17 के द्वारा ग्राम रसीन मजरा महादेवन में निर्मित अधोमानक चेक डैम के बह जाने के विरुद्ध 2 सप्ताह में जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह जांच पूरी हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-जी-1070/प्राजांप्र, दिनांक 11-01-2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच के आदेश दिये गये हैं। जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में मुख्यालय कर्वी स्थित बाजार से रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

174-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में जनपद मुख्यालय कर्वी स्थित बाजार में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सड़क निर्माण का कार्य सेतु निगम द्वारा लम्बे समय से रुका है ? जिससे जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानी को देखते हुये उक्त सड़क का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए शासनादेश संख्या-123(1)/23-11-2013, दिनांक 11-06-2013 द्वारा रु0 1905.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

जनपद चित्रकूट में जनपद मुख्यालय कर्वी स्थित बाजार में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिसका लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य माह मार्च, 2018 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में यमुना नदी पर चिल्ली मल लिफ्ट कैनाल के पम्प हाउस का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

175-श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में यमुना नदी पर चिल्ली मल लिफ्ट कैनाल के पम्प हाउस का निर्माण कार्य अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है ? क्या सरकार उक्त निर्माण को तय समय में पूर्ण करायेगी ताकि खरीफ, 2018 में किसानों को सुचारु रूप से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद चित्रकूट में यमुना नदी पर निर्माणाधीन चिल्ली मल पम्प हाउस का निर्माण लगभग 82 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, आजमगढ़ के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के सम्बन्ध में

176-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 कार्मिक (श्री उमाकान्त मिश्र) से बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, आजमगढ़ में सचिव/प्रबन्धक का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गड्ढा मुक्त के नाम पर खर्च की गयी धनराशि के सम्बन्ध में

177-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान सरकार बनने के बाद प्रथम चरण में सड़कों को गड्ढामुक्त करने हेतु कितनी धनराशि खर्च हुई थी और दूसरे चरण में कितनी धनराशि खर्च करने की व्यवस्था है ? क्या गड्ढामुक्त की गयी सड़कों पर खर्च की गई धनराशि की जांच सरकार कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में वर्तमान सरकार बनने के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त करने हेतु माह जून, 2017 तक कुल रु0 279 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है तथा मार्च, 2018 तक लगभग रु0 139 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढामुक्त की गयी सड़कों हेतु कराये गये कार्यों की जांच जनपद स्तर पर स्थानीय अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद हेतु विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर एवं स्टेट लेवल कमेटी गठित कर करायी गयी है। जांच आख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के नव विकसित शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली के सम्बन्ध में

178-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों एवं महानगरों में विकसित हो रही आवासीय, व्यवसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका मानक क्या है ? क्या सरकार जनपद इलाहाबाद की आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अनुपालन की अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल के उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथासंशोधित, 2016 के अन्तर्गत किया गया है।

जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र अन्तर्गत रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्राविधान सुनिश्चित कराये जाने हेतु मानचित्र स्वीकृति के समय मानचित्र में प्राविधान कराया जाता है तथा अनुबन्ध के रूप में निर्धारित शुल्क का एफ0डी0आर0 जमा कराया जाता है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण हो जाने के उपरान्त भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही एफ0डी0आर0 अवमुक्त की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के बेवर फीडर की अनुबंध सं0-04/एस0ई0/2015-16 के पूर्ण हुए कार्य में पांच करोड़ का गबन करने वाले अभियन्ता श्री बलराम सिंह यादव, श्री रामकृष्ण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु

179-श्री 'पटेल' रामकुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के बेवर फीडर की अनुबन्ध सं0-04/एस0ई0/2015-16 के पूर्ण हुये कार्यों का अवशेष कार्यों के विरुद्ध कूटरचित फर्जी डेविटेबुल अनुबन्ध गठित कर अपराधिक षड्यन्त्र करके रु0 पांच करोड़ का भुगतान डेविटेबुल एजेन्सी के नाम आरोपी अभियन्ताओं तथा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड एटा के द्वारा किया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार मूल अनुबन्ध निष्पादितकर्ता फर्म को उसका अवशेष भुगतान अनुमन्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद एटा के बेवर फीडर की अनुबंध सं0-04/एस0ई0/2015-16 के सापेक्ष डेविटेबिल अनुबन्ध श्री बलराम सिंह यादव, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा गठित किया गया था तथा श्री रामकृष्ण, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा द्वारा भुगतान किया गया था। प्रारम्भिक जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितताओं हेतु उक्त अधिकारियों के विरुद्ध शासन के पत्र सं0-3821/17-27-सिं-5-07/2017, दिनांक 07-11-2017 द्वारा आरोप-पत्र निर्गत कर गठित आरोपों की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) स्तर-1 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। तत्क्रम में जांच की कार्यवाही गतिमान है। प्रश्नगत प्रकरण में जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र हरैया में सरजू नदी के तट पर निर्मित विक्रमजोत-घुसवा बांध का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक

180-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत सरजू नदी तट पर निर्मित विक्रमजोत-घुसवा बांध का लगभग 6 कि0मी0 का निर्माण अधूरा होने के कारण प्रति वर्ष भारी मात्रा में फसल एवं जानमाल का नुकसान होता है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त बांध का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि तटबंध अधूरा नहीं है। पूर्ण लम्बाई में निर्मित है।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र हरैया में मनवर नदी के शुगर मिल के कचरेयुक्त जल के शोधन हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में

181-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया में स्थित दतौली शुगर मिल का कचरा एवं गन्दा कैमिकल मनवर नदी में छोड़े जाने से पानी अत्यन्त प्रदूषित हो

गया है जिसके कारण जीव जन्तु/जनमानस गम्भीर रूप से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी में गिरने वाले शुगर मिल के कचरे युक्त जल के शोधन हेतु व्यवस्था करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

मनवर नदी के कैचमेन्ट एरिया में दतौली शुगर मिल स्थित नहीं है तथा इसका कचरा एवं गन्दा केमिकल मनवर नदी में निस्तारित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र महादेवा में शवदाह गृह निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या क-5 नं0-595547 पर कार्यवाही हेतु

182-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 311, जनपद बस्ती के विभिन्न क्षेत्रों में शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-5, नं0-595547, दिनांक 13-05-2017 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के कस्बा टांडा में भ्रष्टाचार के कारण बन्द राज्य भण्डारण निगम के गोदाम के सम्बन्ध में

183-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के कस्बा टान्डा में राज्य भण्डारण निगम के गोदाम को अनियमितता/भ्रष्टाचार के कारण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टान्डा के गोदाम में व्याप्त अनियमितता/भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये टान्डा गोदाम में पुनः भण्डारण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

जनपद अम्बेडकरनगर के कस्बा टांडा में राज्य भण्डारण निगम के गोदाम को भण्डारण हेतु स्थानाभाव के कारण भारतीय खाद्य निगम, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22/23-12-2017 द्वारा अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारगृह से खाद्यान्न निर्गमन होने के

उपरान्त खाली हुई भण्डारण क्षमता में दिनांक 13-01-2018 से कस्टम चावल का उतार कार्य आरम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में टाण्डा भण्डारगृह पर भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के भण्डारण का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा प्याज व लहसुन उत्पादक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में

184-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर प्याज एवं लहसुन की खेती की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्याज एवं लहसुन उत्पादक किसानों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में प्याज की खेती लगभग 27244 हेक्टेयर एवं लहसुन की खेती लगभग 38749 हेक्टेयर में की जाती है।

प्याज एवं लहसुन उत्पादक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज-2 की गायत्री बिहार कालोनी की गली नं0-3 व 4 के सामने लगे एच0टी0 पोलो पर विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में

185-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-144 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज-2 की गायत्री बिहार कालोनी के मुख्य मार्ग पर गली नम्बर 3 व 4 के सामने लगे एच0टी0 पोलों पर प्रकाश विद्युत व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त पोलों पर प्रकाश व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज-2 की गायत्री बिहार कालोनी के मुख्य मार्ग पर गली नम्बर-3 व 4 के सामने लगे एच0टी0 पोल स्थापित हैं जिन पर एल0टी0 विद्युत आपूर्ति न होने के कारण प्रकाश बिन्दु स्थापित नहीं हैं। पूर्व से स्थापित विद्युत पोल जिन पर एल0टी0 लाइन है उन पर स्ट्रीट लाइट लगाकर प्रकाश व्यवस्था करायी जा चुकी है।

विद्युत वितरण खण्ड द्वारा प्रश्नगत स्थल पर एल0टी0 आपूर्ति की समुचित व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही प्रकाश व्यवस्था किया जाना सम्भव होगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम जोन-6 में निर्माण मार्ग पर आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

186-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम, जोन-6 में निर्माण मार्ग पर आवंटित धनराशि से निम्न दरों या अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में कितनी धनराशि बचत हुई व इस धनराशि का किन-किन मार्गों पर कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बचत धनराशि का उपयोग किसके निर्देश पर किया गया है एवं क्या कभी इनकी उच्चाधिकारियों से जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट/आख्या को क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लखनऊ नगर निगम में सड़क निर्माण पर आवंटित धनराशि से निम्न दरों या अन्य कारणों से वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में बचत धनराशि का किसी भी सड़क निर्माण पर उपयोग नहीं किया गया है। निम्न दरों के आने पर द्वितीय किश्त की मांग पत्र में ही मात्र अवशेष उपयोग की जाने वाली धनराशि की मांग की जाती है, जिस कारण धनराशि की बचत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्य निविदा/अनुबंध धनराशि के अन्तर्गत ही कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम जोन-6 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न फर्मों पर विभिन्न कार्यों में लागत के भुगतान के सम्बन्ध में

187-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम जोन-6 में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किन-किन फर्मों पर किन-किन कार्यों के कितनी लागत के एस्ट्रा आइटम या सेलेक्शन बांड द्वारा भुगतान किया गया तथा इन कार्यों के किस अधिकारी के निर्देश पर एस्ट्रा आइटम या सेलेक्शन बांड बनाये गये ? क्या कभी इनकी उच्चाधिकारियों से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लखनऊ नगर निगम जोन-6 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक्स्ट्रा आइटम का सेलेक्शन बांड द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के निकट रजवाहा पापड़ी की पटरी की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

188-श्री नाहिद हसन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला के निकट स्थित पापड़ी रजवाहा की पटरी बेहद जीर्ण-शीर्ण हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पटरी का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद शामली में पड़ने वाली राजवाहा पापड़ी पूर्वी यमुना मुख्य नहर के कि0मी0 83.301 के बायें किनारे से निकलती है, इसकी कुल लम्बाई 16.631 कि0मी0 एवं डिस्चार्ज 50 क्यूसेक है। उक्त राजवाहा के बायें किनारे की पटरी पर डब्ल्यू0 बी0 एम0 रोड निर्मित है तथा पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा इस रोड का नवीनीकरण कराया जाना प्रस्तावित है। नहर का दायां बैंक मिट्टी का बना हुआ है जोकि कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त बैंक के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई)

[12:20 बजे] (समाजवादी पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से सी0एम0 की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, गुण्डागर्दी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट लूट की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अधिकारियों के दम पर यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी-गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी डण्डे की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लूट डकैती की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपसे आग्रह है कि आप अपने लोगों को वेल से वापस बुलाईये और सदन को व्यवस्थित चलाने में सहयोग करिये। माननीय सदस्यगण मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग अपने- अपने स्थान पर चलिये।

(समाजवादी पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बताईये कि आप सदन चलाना चाहते हैं या नहीं। आप बताईये आज विधान सभा चलेगी अथवा नहीं चलेगी। अगर आप इस तरह करेंगे तो कैसे कार्य होगा।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचनायें लेने जा रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया पहले सदन को व्यवस्थित करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह लोग अपने स्थान पर जा नहीं रहे हैं। मैंने इनसे अनुरोध किया है, लेकिन सदन चलने देने का इनका मन नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12:21 बजे] श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-03-2018 को कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं

1-श्री ममतेश शाक्य

2-श्री तसलीम अहमद,

3-श्री अमिताभ बाजपेयी,

4-श्री दुर्गा प्रसाद यादव

5-श्री अबरार अहमद,

6-श्री चेतराम,

7-श्री गौरी शंकर वर्मा,

8-श्री सीता राम वर्मा,

9-श्री नरेश सैनी,

10-श्री लालजी वर्मा,

11-श्री हाकिम लाल बिन्द,

12-श्रीमती सुषमा पटेल,

13-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव,

14-श्री मो0 असलम राइनी (एडवोकेट),

15-श्री शैलेन्द्र यादव ललई,

16-श्री उज्जवल रमण सिंह,

17-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,

18-श्री आलम बदी,

19-श्री मनोज कुमार पारस,

20-श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस,

21-श्री कुलदीप सिंह सेंगर तथा

22-श्री अमन मणि त्रिपाठी।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सफीपुर कस्बे में एक डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल दिवाकर-

[महोदय, मैं उन्नाव जनपद के सफीपुर कस्बे में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सफीपुर एक उभरता हुआ जनपद का प्रमुख कस्बा है। यहां पर राष्ट्रीय बैंकों के कार्यालय, तहसील व ब्लाक मुख्यालय एवं प्रदेश सरकार के कई कार्यालय स्थापित हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। उनके उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को लगभग 30-40 किमी0 दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु अनुरोध करता हूं।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के रजबहों में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव दिवाकर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जलेसर के किसी रजवाहे में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। लगभग 20 वर्षों से रजवाहों में पानी नहीं आया है। जलेसर क्षेत्र के किसान खारे पानी की समस्या से परेशान हैं वहीं रजवाहें में पानी न मिलने से यह समस्या और बढ़ जाती है। समय से पानी न मिलने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। यदि रजवाहों को सही समय से पानी मिले तो किसान भी उन्नति करेगा तथा खारे पानी की समस्या का भी समाधान होगा। जलेसर क्षेत्र के रजवाहों को समय से पानी उपलब्ध कराना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्रा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर की 364-बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गजेन्द्रपुर से मेढ़ा बाजार तक 3 किमी0 लखनेपुर से बेसहुपुर होते हुए ग्राम गौरा तक 2.5 किमी0, हिलाली त्रिवेणी मिश्रा के घर से बंटी के घर होते हुए सरोज बस्ती तक 6 किमी0, महराजगंज के राजा बाजार मार्ग से भगवानपुर तक 3.5 किमी0 तथा अगरौरा से बरपुर होते हुए मई तिराहे तक 2 किमी0 जर्जर स्थिति में पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त सड़कों का नवनिर्माण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त सड़कों का नवनिर्माण कार्य किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के लौहरपुर के पास तरेना नाला पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खजनी जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत लौहरपुर के पास तरैना नाला पर पक्का पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। पुल न होने के कारण दर्जनों गांव के किसानों, विद्यार्थियों, बालक एवं बालिकाओं को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पुल न होने के कारण लगभग 10 किमी0 की अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। दवा कराने के लिये पढ़ने के लिये बच्चियों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। तरैना नाले पर लौहरपुर के पास जनहित को ध्यान में रखते हुए एक पक्का पुल का निर्माण तथा पुल के साथ पुल के दोनों तरफ 500-500 मी0 पक्की सड़क लौहरपुर से शेख की सूती कोटिया मार्ग एवं खजहिया टोला हरिहरपुर ग्राम सभा से जोड़ा जाय।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजेश कुमार रावत-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहान, जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में एक भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है जिसके कारण आग लगने की घटना में अग्निशमन के अभाव में काफी नुकसान होता रहता है। आग लगने की घटना पर सूचना देने के बाद काफी देर से अग्निशमन की गाड़ियों के पहुंचने से काफी क्षति हो जाती है। जनहित में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत ब्लाक औरास में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र की जनता द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में निराशा व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र जेवर के ग्राम कपना स्थित पुल के क्षतिग्रस्त होने तथा दोषी अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धीरेन्द्र सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जेवर-63 जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत उपरोक्त क्षतिग्रस्त नहर का पुल जो कि ग्राम कपना, जनपद बुलन्दशहर के निकट स्थित है पिछले कई वर्षों से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिस पर लगभग 31 वर्षों के दौरान दर्जनों घटनाएं हो चुकी है। जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो गयी है। कई बार प्रशासन को भी सूचित किया गया लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जनहित में सम्बन्धित अधिकारियों पर कार्यवाही और पुल की मरम्मत आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के सेक्टर-4ए आवास विकास कालोनी के जर्जर सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के सेक्टर-4 ए आवास विकास कालोनी की जर्जर सड़कों व नालियों के निर्माण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

आगरा सेक्टर-4 ए आवास विकास कालोनी में मकान नं0 409/4ए से नीरज जनरल स्टोर तक तथा सेक्टर-4 ए मकान नं0 246 से 237 तक की सड़क व नाली जर्जर होने के कारण यहां के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय जनता में इसके कारण बहुत रोष है जनहित में उक्त कार्य को शीघ्र कराना अति आवश्यक है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के बाबौता ब्लाक में गंगा यमुना संगम स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[महोदय, जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत नानौता ब्लाक के ग्राम कुआं खेड़ा में गंगा यमुना का संगम स्थल है, जहां पर प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए इस संगम स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियान के अहरौरा को नया तहसील बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर पटेल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान जनपद मिर्जापुर भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्रफल रहा है। अहरौरा नगर पालिका एवं कानून-गो सर्किल है जो कि चुनार तहसील में पड़ता है। चुनार तहसील का यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। जनहित में अहरौरा को नया तहसील बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी मांग भी जनता द्वारा काफी समय से की जा रही है। परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मड़िहान एवं चुनार तहसील के मध्य अहरौरा को नयी तहसील बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में शहीद स्मारक सेनापुर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र 372-केराकत में सेनापुर गांव में अंग्रेज हुकूमत में आजादी में भाग ले रहे 23 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिये तब से यह गांव शहीद स्मारक सेनापुर गांव के नाम से जाना जाता है। जबकि यहां पर उन शहीदों की याद में केवल शिलापट्ट ही बनाया गया है। इस जगह को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। शहीदों की इस वीर भूमि को यादगार बनाने के लिए सौन्दर्यीकरण कराना अति आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड रामकोला के सप्लाई इन्सपेक्टर की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुशीनगर के ग्राम परवरपार, विकास खण्ड रामकोला, जनपद कुशीनगर के गरीबों का अन्त्योदय कार्ड काटकर उन्हें विगत दो माह से किसी भी कार्ड की सुविधा नहीं दी गयी है, जबकि वास्तव में वह अंत्योदय कार्ड के हकदार हैं। इन सभी लोगों को अंत्योदय कार्ड का लाभ दिया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है। सप्लाई इंस्पेक्टर राघवेन्द्र शाही आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र सिरसा में ऐतिहासिक मन्दिर के पास सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूराम पासवान-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ग्राम सिरसा के जंगल में बाबा इकोत्तरनाथ का ऐतिहासिक मन्दिर है, जहां हर अमावस्या, पूर्णमासी व शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां देश व ग्रामीण अंचलों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हें लेकिन 4 किमी0 कच्चा व दुर्गम स्थान है जिससे आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहां रोड का निर्माण होना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये जो वांछनीय कार्रवाई से लोकहित जनहित कल्याणकारी होगा।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में रजबहा गढ़मुक्तेश्वर के पास पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मेरठ की 46-किठौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजवाहा गढ़मुक्तेश्वर पर मील 1 फर्लांग साढ़े पांच ग्राम फतेहपुर नारायण में पुल न होने के कारण कृषक को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त स्थान पर पुल का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम फतेहपुर नारायण में पुल का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा एक्सप्रेस-वे को इटावा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[महोदय, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे पर चौपला में एक कट बनाया गया जो इटावा से आने वाले लोगों के उपयोग में है। परन्तु जो बसरेहर तथा दतावली आदि बहुत ही घनी बस्ती है। इटावा को एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए लगभग 22 किमी0 बाई पास का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसकी मांग बहुत जोरों से की जा रही है। जनहित में यह बहुत आवश्यक भी है। आगरा एक्सप्रेस-वे से इटावा को जोड़ दिये जाने से बहुत लाभ होगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 22 किमी0 बाई पास का निर्माण कराकर इटावा को एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद हरदोई व नैमिषारण्य के बीच राजघाट पर गोमती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, विनम्र निवेदन के साथ कहना है कि जनपद-हरदोई के अन्तर्गत बेनीगंज के अमरगंज मार्ग पर राजघाट व नैमिषारण्य के बीच पुल का निर्माण कराया जाना जनहित व पर्यटन के हित में नितान्त आवश्यक है क्योंकि उक्त पुल के बन जाने से कानपुर, हरदोई व सीतापुर जनपद का सम्पर्क जुड़ जायेगा तथा पर्यटन स्थल नैमिष व मिश्रिख तीर्थ को जाने के लिए भी यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

कृपया लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद मिर्जापुर के ग्राम कोलाही में कर्णावती नदी पर पुल के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे में विकास खण्ड छानबे के ग्राम कोलाही में कर्णावती नदी के आर-पार जाने के लिए कोई पुल न होने के कारण लगभग 20 गांव का आवागमन बाधित रहता है। पुल का निर्माण न होने से जनता को 40 किमी0 की दूरी तय करके अपने गन्तव्य को जाना पड़ता है। ग्राम कोलाही में कर्णावती नदी पर पुल के निर्माण हो जाने से क्षेत्रीय जनता को मात्र 5 किमी0 की दूरी तय करके अपने गन्तव्य को पहुंच जायेंगे। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी सुविधा होगी। यहां की जनता की कई वर्षों से मांग है कि उक्त ग्राम में पुल का निर्माण कराया जाय। यह जनहित का प्रकरण है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम कोलाही में कर्णावती नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निषाद (मछुआ) वंशीय जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवन्त-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान निषाद (मछुआ) वंशीय जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहती हूं।

उत्तर प्रदेश में निषाद (मछुआ) वंशीय जातियां (निषाद, केवट, बिन्द, मल्लाह, माझी, मझवार एवं धीवर आदि) काफी संख्या में रहती हैं, जिनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर अनुसूचित जाति से भी नीचे है। अब तक इन जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में इन जातियों का रहन-सहन एवं सामाजिक स्तर बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रहने वाली निषाद (मछुआ) वंशीय जातियों जैसा ही है, परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है, जिससे यह समुदाय विकास की धारा से वंचित है। निषाद (मछुआ) वंशीय जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाय, ताकि इन जनजातियों को सामाजिक न्याय व अन्य लाभ मिल सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के कतिपय स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत राजा-महाराजाओं की खान है, जिसमें राजा मोहध्वज, नीलध्वज, ताम्रध्वज, बलि, बेन, बशु एवं चितु जैसे लोकप्रिय महाराजाओं का शासन जनपद पीलीभीत को कार्यक्षेत्र बनाकर रहा है। इसीलिए जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर के अन्तर्गत इलाहाबाद, देबल, शिवसरोवर लिलहर एवं सूर्यकुण्ड जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं, जो कि उपरोक्त राजा-महाराजाओं के पौराणिक एवं ऐतिहासिक अवशेष हैं। प्रतिवर्ष भारी संख्या में पर्यटकों का आवागमन रहता है। जिनको आने-जाने में भारी असुविधाएं होती है। इसलिए इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधाओं का उत्थान होना चाहिए। साथ ही साथ प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक अवशेषों को भी विकसित किया जाना चाहिए। शिवसरोवर लिलहर पर तो प्रति माह अमावस्या को लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, जो शिवसरोवर में स्नान करके चरम रोगों से ही मुक्ति नहीं पाते हैं, अपितु पापों से भी निवारण प्राप्त करते हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा उपरोक्त उल्लिखित पर्यटन केन्द्र को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुरकाजी में शमशान घाट का रास्ता बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुरकाजी के गांव खुड्डा में भूमिया खेड़ा मन्दिर से श्मशान घाट तक का रास्ता जिसकी ल0 लगभग 600 मी0 है उस रास्ते का निर्माण जनहित में आवश्यक हे। क्योंकि रास्ता न होने के कारण शवों को ले जाने में काफी कठिनाई होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर में इन्दिरा कालोनी व बसन्त विहार के तालाबों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर सदर के इन्दिरा कालोनी व बसन्त बिहार के तालाबों का अतिक्रमण हो रहा है जिससे सरकारी भूमि का नुकसान हो रहा है। इस पर रोक लगाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

[12:24 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 मार्च, 2018 को नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

मा0 विधायकों द्वारा क्षेत्र का विकास कार्य को कराये जाने हेतु दिये गये प्रस्तावों पर 3-4 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त गृह विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

पहली सूचना श्री दल बहादुर की है, जो माननीय विधायकगणों द्वारा क्षेत्र के विकास कार्यों को कराये जाने हेतु दिये गये प्रस्तावों पर तीन-चार माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्य न कराये जाने तथा मा0 सदस्य द्वारा हैण्डपम्प लगाये जाने के प्रस्ताव के तीन माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न किये से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है। मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ कि इस पर सरकार कार्रवाई करे।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 सदस्यों को 100-100 इंडिया मार्का हैण्ड पम्प दिये जाने तथा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को 2 (दो) वार्ड विकसित किये जाने के बावजूद शासन द्वारा पत्र प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है जो वर्ष 2017-18 के बजट प्रस्तुतीकरण के समय माननीय सदस्य की मांग पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 सदस्यों की संस्तुतियों पर 100-100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दिये जाने तथा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को दो वार्ड विकसित किये जाने की घोषणा के बावजूद शासन द्वारा पत्र प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। सदन व्यवस्थित नहीं है इसलिये सूचना को सुनने का अवसर नहीं है।

[12:24 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति की आंतिरिक कार्य प्रणाली नियमावली†

श्री (डॉ0) सोमेन्द्र तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पंचायती राज समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली नियमावली प्रस्तुत करता हूं।

[12:25 बजे] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन††

श्री (डॉ0) जी0एस0 धर्मेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

जिला रायबरेली के ब्लाक डीह के अन्तर्गत सुरैरया मुवक्किल से बरुआ होते हुए वीरगंज बाजार तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ प्रसाद पांडेय आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री दल बहादुर कोरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला रायबरेली के ब्लाक डीह के अन्तर्गत सुरैरया मुवक्किलल से बरूआ होते हुए बीरगंज बाजार तक मार्ग निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जिला रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक डीह में सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ प्रसाद पांडेय आदि निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री दल बहादुर कोरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक डीह में सई नदी पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत बिन्दकी बाईपास का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश गुप्ता आदि निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री करण सिंह पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत बिन्दकी बाईपास का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश गुप्ता लोहिया व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 इसमें कुछ नहीं है। अब मद संख्या-8।

[12:27 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2018-2019 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समबन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को सूचित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2018-2019 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समबन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को अपराह्न 4:00 बजे तक
2-	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 26 मार्च, 2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3-	नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 28 मार्च, 2018 को समय अपराह्न 4:00 बजे तक
4-	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
	(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	सोमवार, 02 अप्रैल, 2018
	(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10:30 बजे से 04:00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2018-2019 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा में 14 मार्च, 2018 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2018-2019 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2018-2019 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता हूं कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2018-2019 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के

लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2018-2019 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-09 इसमें कुछ नहीं है।

[12:32 बजे] संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि-''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि-'' यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा में दिनांक 14 मार्च, 2018 को निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में

दिनांक 14 मार्च, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से स्म्बन्धित है, उक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त संस्थान में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 14 मार्च, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से स्म्बन्धित है, उक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त संस्थान में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

आय-व्ययक पर जो चर्चा जारी थी अगर आप लोग चाहते हों, यदि आपकी इच्छा हो और चर्चा करनी हो तो हम चर्चा करा दें।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

लग रहा है कि आप लोग वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा नहीं चाहते हैं।

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य विपक्ष के सदस्य वेल में लगातार नारे लगाते रहे कि :- लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। मतगणना में धांधली बंद करो, बंद करो। लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काउंटिंग में धांधली बंद करो, बंद करो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12:37 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-03-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 58 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री नील रतन सिंह की जनपद वाराणसी के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में, तथा दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव भारत सरकार की सौर ऊर्जा योजना को उत्तर प्रदेश में समुचित तरह से लागू कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारनपुर में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चौथी सूचना श्री बृजेश कुमार प्रजापति की प्रदेश के सरकारी विभाग की कैन्टीन में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ों एवं प्लेटों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में तथा पांचवीं सूचना श्री रमाशंकर पटेल की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में विकास खण्ड पटेहरा एवं राजगढ़ में पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में सातवीं सूचना श्री संजीव दिवाकर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में रोडवेज बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में आठवीं सूचपा श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर में बाणसागर नहर निर्माण मण्डल प्रथम द्वारा टेण्डर में अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर में कालाआम चौराहे के निकट सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दसवीं सूचना श्री रामफेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के इकौना और गिलौला के मध्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ग्यारहवीं सूचना श्री चेतराम की बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल लि0 मकसूदापुर द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के सम्बन्ध में बारहवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा तेरहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की मत्स्य पालन व्यवसाय को कृषि का दर्जा दिलाये जाने विषयक आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

क्रम	नाम
1	श्री विनय शंकर तिवारी,
2	श्री लालजी वर्मा,
3	श्री कुलदीप सिंह सेंगर,
4	श्री नफीस अहमद,
5	श्री अनिल सिंह,
6	मो0 असलम राइनी 'एडवोकेट',
7	श्री अभिजीत सिंह सांगा,

8 श्री गौरीशंकर वर्मा,
9 श्री अवतार सिंह भड़ाना,
10 श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी,
11 श्रीमती जयदेवी,
12 श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
13 श्री रमेश चन्द्र मिश्र,
14 श्री हरिराम,
15 श्री प्रदीप चौधरी,
16 श्री हाकिम लाल बिन्द,
17 श्री रामअचल राजभर,
18 श्री मो0 मुज्तबा सिद्दीकी,
19 डा0 हरगोविन्द भार्गव,
20 श्री जटाशंकर त्रिपाठी,
21 श्री रितेश पाण्डेय,
22 श्री जवाहर लाल राजपूत,
23 श्री कपिल देव अग्रवाल,
24 श्री प्रमोद उटवाल,
25 श्री जगन प्रसाद गर्ग,
26 डा0 जी0एस0 धर्मेश,
27 श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस,
28 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,
29 श्री अबरार अहमद,
30 श्री अमिताभ बाजपेयी,
31 श्री ओंकार सिंह यादव,
32 श्री उमाशंकर सिंह,
33 श्री पारस नाथ यादव,
34 सुश्री अदिति सिंह,
35 श्री अजय कुमार लल्लू,
36 श्री मसूद अख्तर,
37 श्री संजय प्रताप जायसवाल,

38 श्री मनोज कुमार पारस,

39 श्री मनीष असीजा,

40 श्री रोशन लाल वर्मा,

41 श्री चौधरी नाहिद हसन,

42 श्री नरेश सैनी,

43 श्री अमनमणि त्रिपाठी,

44 श्री मो0 फईम इरफान, तथा

45 श्री अवस्थी बाला प्रसाद।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 20 मार्च, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मिलेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बज कर 38 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018 दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक : 14 मार्च, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-134 विधान सभा (241)-22-11-2018-631 प्रतियां (कम्प्यूटर)।